फरवरी 2000 मूल्य : सात रुपये

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

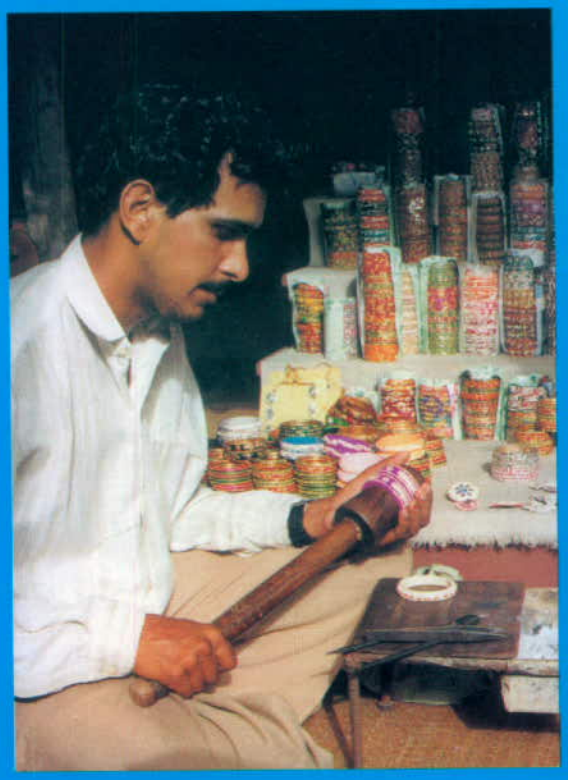

- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना : एक नज़र
- पंचायती राज : स्वावलम्बन की ओर बढ़ते कदम

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

- 65 वर्ष तथा अधिक आयु के निराश्रितों को 75 रु. मासिक पेंशन
- 53 लाख वृद्धों को लाभ

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

- परिवार के प्रमुख कमाऊ सदस्य की प्राकृतिक या दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में 10,000 रु. की सहायता
- आयु वर्ग 18–64 वर्ष

उनके लिए जिन्हें देखभाल की जरूरत है

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना

- गरीब परिवारों की 19 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रत्येक गर्भावस्था के दौरान 500 रु0 की सहायता
- योजना पहले दो बच्चों के जन्म के लिए ही
- 46 लाख महिलाओं को लाभ

लाभ नकदी/चैक/ मनीआर्डर से

पंचायतों/नगरपालिकाओं की योजना के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

पंचायत/नगरपालिका/ खंड विकास अधिकारी/ जिलाधीश

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भारत सरकार

davp 98/494

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय
की
प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष 45 अंक 4

माघ–फाल्गुन 1921

फरवरी 2000

संपादक
बलदेव सिंह मदान

उप संपादक
जयसिंह
बी.एस. मिरगे

संपादकीय पता
संपादक, 'कुरुक्षेत्र',
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 3015014
फैक्स : 011–3015014
तार : ग्राम विकास

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

विज्ञापन प्रबंधक
के.एस. जगन्नाथ राव

आवरण सज्जा
अलका नय्यर

फोटो साभार :
मीडिया डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय

मूल्य एक प्रति : सात रुपये
वार्षिक शुल्क : 70 रुपये
द्विवार्षिक : 135 रुपये
त्रिवार्षिक : 190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)
पड़ोसी देशों में : 500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में : 700 रुपये (वार्षिक)

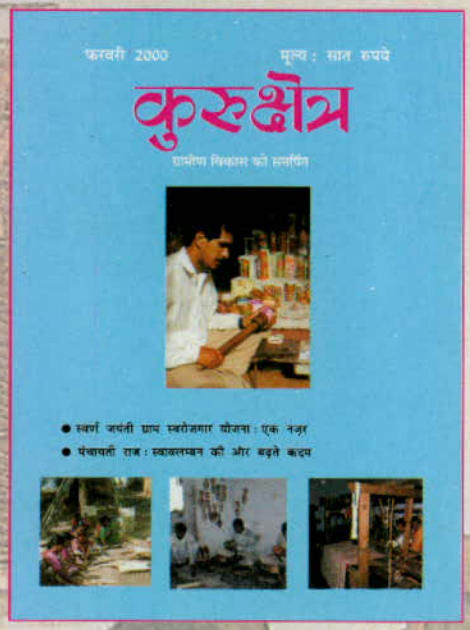

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक–4, लेवल–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक–4, लेवल–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। फोन : 6105590

हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी प्रकाशित इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

इस अंक में

● गरीबों और बेरोजगारों के लिए वरदानः स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	डा. उमेश चन्द्र अग्रवाल	3
● ग्राम स्वराज और पंचायतों का संवैधानिक स्वरूप	डा. दौलतसज थानवी	8
● पंचायतों के नेतृत्व में कमजोर वर्गों की जागरूकता	डा. राजमणि त्रिपाठी डा. सुनीत सिंह	10
● राजस्थान में पंचायती राज को सशक्त बनाने के प्रयास	डा. पूरण मल	19
● एक और संकल्प (कहानी)	नरेन्द्र राठौर	22
● उत्तर प्रदेश में सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम राज की स्थापना	डा. नरेन्द्र पाल सिंह	25
● महिला सशक्तिकरण की दिशा में पंचायती राज	विविन्द्र कुमार सोनी	29
● ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक परिवेश की वर्तमान स्थिति	डा. दिनेश मणि	32
● पंचायती राज : अधिकार और कर्तव्य	देवेन्द्र उपाध्याय	36
● निरक्षरता की मुक्ति के लिए व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत	जगदीश मालवीय	38
● अंकुरित अनाज : आहार भी औषधि भी	डा. विजय कुमार उपाध्याय	40
● जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं ग्रामीण विकास	डा. सी.एम. चौधरी	42
● ग्रामीण बैंक सौंपे गये अपने दायित्वों को पूरा करें	डा. ओम प्रकाश तोषनीवाल	44
● लगन, मेहनत और जीत (स्थायी स्तम्भ)	यशोविमलानन्द	47

पाठकों के विचार

अत्यंत प्रभावकारी लेख

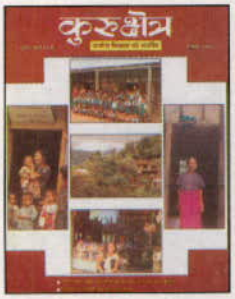

ग्रामीण विकास को समर्पित पत्रिका *'कुरुक्षेत्र'* का नवम्बर 1999 अंक अपनी आकर्षक साज–सज्जा और रंगीन चित्रों तथा जीवनोपयोगी लेखों के कारण काफी प्रभावशाली लगा।

यद्यपि इस पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख प्रशंसनीय हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी अत्यन्त उपयोगी हैं लेकिन मैं कुछ विशेष लेखों से विशेष प्रभावित हुआ। इन विशेष लेखों में विनोद हिमाचली द्वारा लिखित *प्रदूषण युक्त युग का घातक रोग : हेपेटाईटिस* तथा डा. डी.पी. गर्ग का लेख *हंसें और हंसाएं, जीवन मधुर बनाएं* आदि। ये लेख सरल और स्पष्ट भाषा में लिखे गए हैं जो अत्यन्त प्रभावकारी हैं।

इन लेखों से सम्पूर्ण मानव–समुदाय को जहां 'एड्स' से अधिक घातक 'हेपेटाईटिस' रोग से बचाव की जानकारी मिली, वहीं आज के तनावपूर्ण जीवन को उन्मुक्त हंसी, आनन्द बिखेरती मधुर मुस्कान तथा खिलखिलाहट के माध्यम से जीने का सन्देश देकर लेखक ने प्रशंसनीय कार्य किया है। इन लेखकों को मेरी हार्दिक बधाई।

आशा है, ऐसे लेख पत्रिका में सदैव प्रकाशित होते रहेंगे और समाज को नई दिशा देते रहेंगे।

डा. नागेश सिंह, प्रधानाचार्य, श्री रणवीर इ. कालेज, अमेठी, सुल्तानपुर (उ.प्र.)

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी आवश्यक

कुरुक्षेत्र नवम्बर '99 अंक में हिन्दी के राष्ट्रीय महत्व के विषय में आलेख *राष्ट्रीय एकता और अस्मिता की वाहक हिन्दी* महत्वपूर्ण लगा। लेखिका आशारानी व्होरा को इस लेख हेतु बधाई।

यह बात आज के परिदृष्य में विचारणीय है कि भारत में थोड़े से अंग्रेजी जानने और बोलने वाले लोग हिन्दी बोलने और हिन्दी का सम्मान करने वालों को बार–बार अपमानित होने पर विवश क्यों करते हैं, केवल इस कारण कि वे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान रखते हैं? हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली में हिन्दी माध्यम को विस्तार देना चाहिए तथा अंग्रेजी को अनावश्यक प्रसार देने वाले उन 'स्कूलों' पर रोक लगानी चाहिए जो अच्छी शिक्षा का वादा करके हिन्दी और संस्कृति को समाप्त करने पर तुले हैं।

वास्तव में हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है और निभाएगी। हिन्दी के महत्व को उजागर करने हेतु *राष्ट्रीय एकता और अस्मिता की वाहक हिन्दी* लेख की लेखिका को पुनः बधाई जिन्होंने हिन्दी के महत्व को प्रख्यात व्यक्तियों के विचारों द्वारा प्रमाणित करने का सफल प्रयास किया। इस लेख की अन्तिम पंक्तियां ध्यान देने योग्य हैं।

वास्तव में हिन्दी को व्यावहारिक रूप से अधिक प्रयोग करके तथा हिन्दी का प्रसार करके ही हिन्दी को महत्वपूर्ण और सही सम्मान दिलाया जा सकता है। हिन्दी ही राष्ट्रीय एकता को कायम रख सकती है अतः हिन्दी का प्रसार आवश्यक है। जब रूस तथा जापान अंग्रेजी के महत्व को नकार कर कई क्षेत्रों में उन्नति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अतः राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने हेतु हिन्दी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार आवश्यक है।

विपिन कुमार, 183/3, पैलेस कालोनी, मण्डी–175001 (हि.प्र)

गांव भौतिकता की आंधी में अपनी जड़ें खोखली कर चुके हैं

ग्रामीण विकास को समर्पित *'कुरुक्षेत्र'* का दिसम्बर 99 अंक प्राप्त हुआ। विकलांग दिवस के अवसर पर प्रकाशित लेख रुचिकर, ज्ञानवर्द्धक तथा प्रेरणादायक रहे। विशेषरूप से – *विकलांगों के लिए शिक्षा*। सरकारी योजनाओं की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि उन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचे, मात्र तथ्यों या आंकड़ों तक ही सीमित न रहे।

डा. उमेश चन्द्र अग्रवाल का लेख *राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना– उद्देश्य, विशेषताएं और सम्भावनाएं* ज्ञानवर्द्धक लगा। ग्रामीण पाठक के लिए यह विशेष उपयोगी है क्योंकि इस योजना का लाभ वह स्वयं उठा सकेगा तथा अन्य कृषकों की भी इसके बारे में जानकारी प्रदान करेगा। यह एक कारगर योजना है जो भारतीय कृषि के लिए विशेष लाभकारी है।

इस अंक का विशेष आकर्षण रहा विजय कुमार का मर्मस्पर्शी लेख *गुम होते गांव*। गांव जिन पर हमें भारतीय संस्कृति के संरक्षक होने का गर्व था, आज भौतिकता की आंधी में अपनी जड़ें खोखली कर चुके हैं। ग्रामीण संस्कृति में अति शीघ्रता से परिवर्तन हो रहे हैं, यदि समय रहते हम सचेत न हुए तो गम्भीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

पुरु मालव, दीगोद खालसा, छीपाबड़ौद, बारां (राज.)

(शेष पृष्ठ 46 पर)

गरीबों और बेरोजगारों के लिए वरदान

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

डा. उमेश चन्द्र अग्रवाल

देश के ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी और बेरोजगारी का निर्धारित अवधि में उन्मूलन करने के लिए वहां छोटे–छोटे उद्यम स्थापित करके सम्पन्नता और खुशहाली लाने के उद्देश्य से पहली अप्रैल 1999 से एक बहुउद्देश्यीय तथा बहुआयामी योजना *स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)* के नाम से प्रारम्भ की गई है। इस योजना को लागू करते समय विशेष रूप से यह ध्यान रखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से चल रही विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जिन व्यवहारिक कठिनाइयों का अनुभव किया जाता रहा है उस प्रकार की कठिनाइयों का अभिज्ञान पहले से करते हुए उनके निराकरण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे इस योजना की सफलता में कोई सन्देह न रहे।

इस नवीन योजना के अंर्तगत व्यक्तिगत तौर पर रोजगार की व्यवस्था करने के साथ–साथ सामूहिक रूप से उद्यम स्थापित करने हेतु *स्वयं सहायता समूहों* के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इन लोगों को रोजगार चलाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण, समुचित तकनीकी सहायता, पूंजीगत ऋण तथा अनुदान की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। रोजगार स्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर्स बनाकर उनमें चिन्हित उद्यमों की स्थापना के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने तथा उद्यमों में तैयार माल की बिक्री के लिए विपणन की समुचित व्यवस्था हेतु भी की गई है। योजना लागू होने के प्रथम वर्ष अर्थात् 1999 – 2000 में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त मात्रा में धनराशि भी आबंटित की गई है।

छोटे छोटे उद्यमों की स्थापना से बेरोज़गारी दूर करना आसान

नवीन योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास की पहले से चल रही कई योजनाओं जैसे – *समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी), ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किट की आपूर्ति योजना (सिट्रा), ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (ड्वाकरा), गंगा कल्याण योजना और 10 लाख कुंओं की योजना (मिलियन वैल स्कीम)* को समन्वित करते हुए *स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना* के संचालन का निर्णय लिया गया है। इस योजना में कार्यकलापों का निर्धारण प्रत्येक विकास खण्ड की विशेष परिस्थितियों, वहां उपलब्ध संसाधनों, वहां के लोगों के विशेष व्यावसायिक कौशल और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही विकास खण्ड विशेष में जिस प्रकार के रोजगार पैदा करने की सुविधाएं एवं सम्भावनाएं होगी, वहां उसी प्रकार के रोजगार प्रारम्भ करने के लिए नौजवानों को प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने की समुचित व्यवस्था की जाएगी तथा लाभार्थियों को बैंकों से पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ इन लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बिक्री की भी समुचित व्यवस्था किए जाने का प्रावधान भी इस योजना में किया जा रहा है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के माध्यम से छोटे–छोटे असंख्य उत्पादन केन्द्र स्थापित हो सकेंगे। इस योजना में लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के अलावा आवश्यकतानुसार समूह बनाकर सामूहिक रूप से रोजगार उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया है जिससे अधिक पूंजी लगाने वाले उद्यमों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से स्थापित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

इस योजना में सबसे अहम् मुद्दा यह निर्धारित किया गया है कि रोजगार शुरू करने वाले लोग तीन वर्षों के अन्दर गरीबी की रेखा से ऊपर आ जाएं और अगले पांचों वर्षों में करीब 30 प्रतिशत लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकें। इसके लिए रोजगार शुरू करने वाले सभी युवक/युवतियों को व्यक्तिगत क्षमता, प्रशिक्षण तथा रोजगार के स्वरूप के अनुसार आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में विकास खंड स्तर तक के उद्यमों का चयन खंड विकास अधिकारी द्वारा तथा जिला स्तर के उद्यम और उद्योगों का चयन जिला स्तरीय पंचायत के पदाधिकारी करेंगे। इस प्रकार चुने हुए उद्योगों तथा रोजगारों को प्रारम्भ करने से पूर्व अधिकारियों के सहयोग से परियाजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसमें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों का विशेष सहयोग प्राप्त किया जाएगा जिससे बैंकों को परियोजना की प्रकृति के आधार पर ऋण स्वीकृत करने में आसानी रहे। इस योजना के अन्तर्गत अगले पांच वर्षों में प्रत्येक विकास खण्ड के कम से कम तीस प्रतिशत परिवारों को सम्मिलित करने और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ–साथ रोजगार प्रारम्भ करने के लिए कम से कम आधे स्थान महिलाओं के लिए निर्धारित करने पर बल दिया गया है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को उपयुक्त प्रकार का स्वरोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि करना है जिससे आगामी तीन वर्षों में वे गरीबी की रेखा से ऊपर आ सकें।
- लोगों की भागीदारी से *छोटे–छोटे उद्यमों की स्थापना* करके सदियों से पिछड़े रहे गांवों और गांववासियों को विकसित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 'आर्थिक क्लस्टर्स' में विभाजित कर अभिज्ञानित क्रियाकलापों को शुरू करने हेतु वहां *अवस्थापना सुविधाएं* विकसित करना।
- गरीब ग्रामीणों में *आसान शर्तों पर ऋण* तथा सहायता के रूप में आर्थिक अनुदान देकर आर्थिक गतिविधियां अपनाने हेतु अभिप्रेरित करना।
- गरीब ग्रामीणों में से भी विशेष रूप से *संवेदनशील संवर्गों* जैसे– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांगों तथा महिलाओं आदि को वरीयता देकर उन्हें स्वरोजगार अपनाने हेतु प्रेरित कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना।
- लघु सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक ऋण और अनुदान उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में सिचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन बढ़ाने में योगदान करना।

योजना की विशेषताएं

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) में न केवल ग्रामीण विकास की कई योजनाओं को सम्मिलित कर योजना को समन्वित स्वरूप प्रदान किया गया है बल्कि इस योजना में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे यह योजना ग्रामीण गरीबों और बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो सकती है। योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं पर समुचित विचार–विमर्श करते हुए योजना में इसके निर्माण के स्तर से ही विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखा गया है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं :

- इस योजना में प्रत्येक विकासखण्ड में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों और व्यावसायिक कौशल के अनुकूल 4 या 5 गतिविधियों का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक विकास खण्ड पर और जिले स्तर पर भी गरीबी उन्मूलन के लिए उपलब्ध सम्पूर्ण संसाधनों का आकलन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड में कुछ सामूहिक केन्द्र (क्लस्टर) विकसित करने का प्रयास किया जाएगा और इस योजना की अधिकांश धनराशि इन केन्द्रों के विकास तथा अवस्थापन सम्बन्धी सुविधाओं पर व्यय की जाएगी।
- इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत तौर पर रोजगार और व्यवसाय प्रारम्भ करने के साथ–साथ समूहों के गठन को बढ़ावा देते हुए सामूहिक तौर पर लोगों को लाभान्वित करने की व्यवस्था की गई

है। योजना में इन समूहों को *स्वयं सहायता समूह* कहा गया है तथा लाभार्थी को *स्वरोजगारी* नाम से सम्बोधित किया गया है।

- योजना के अन्तर्गत महिलाओं और कमजोर वर्गों को लाभान्वित करने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें 50 प्रतिशत स्वरोजगारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के होंगे, 40 प्रतिशत महिलाएं और तीन प्रतिशत स्थान विकलांगों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
- इस योजना में स्वरोजगारियों को उनकी योजना पर होने वाले खर्च का 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा। यह राशि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए अधिकतम 7,500 रूपये तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के स्वरोजगारियों को अधिकतम 10,000 रूपये निर्धारित की गई है।
- योजना में रोजगार के साधन के रूप में सिंचाई की परियोजना शुरू करने वालों को अनुदान की राशि 50 प्रतिशत तक रखने की व्यवस्था है।
- योजना के अंतर्गत सामूहिक रूप से रोजगार प्रारम्भ करने वालों को 1.25 लाख रुपये तक के अनुदान की व्यवस्था की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार प्रारम्भ करने वालों का चयन ग्राम सभा में किया जाएगा तथा बैंकों द्वारा उनकी परियोजना बनाने, उसे क्रियान्वित कराने और समय–समय पर आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किया जाएगा।
- इस योजना में परियोजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण करने का दायित्व सम्बन्धित बैंकों को सौंपा गया है। वे समय–समय पर परियाजना की प्रगति हेतु आवश्यक व्यवस्था करेंगे।
- यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से लागू की जा रही है। अतः इसके अंतर्गत 75 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
- इस योजना के अधीन चयनित व्यवसायों और रोजगारों के लिए विशेष *प्रशिक्षण कार्यक्रम* चलाए जाएंगे जिससे स्वरोजगारी को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित हो सकेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चुनाव स्थान विशेष तथा समूह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
- इस योजना में स्वरोजगारी द्वारा *तैयार माल के विपणन* की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए बाजार की पहचान, मांग, व्यावसायिक परामर्श और खपत के सम्बन्ध में विकास क्षेत्र स्तर पर आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजना के लिए चुनी हुई गतिविधियों हेतु *बुनियादी ढांचागत सभी सुविधाएं* राज्य सरकार द्वारा जुटाई जाएंगी और राज्य सरकार योजनागत व्यय से प्रत्येक विकास खण्ड में सभी आवश्यक सुविधाओं को मुहैया कराने का पूरा प्रयास करेगी।
- इस योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व *जिला ग्रामीण विकास*

स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत लगे उद्यमों में तैयार माल के विपणन की व्यवस्था भी है

अभिकरणों पर डाला गया है। उन्हें योजना बनाने, उनके क्रियान्वयन और अनुश्रवण की प्रक्रिया में बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं त्रिस्तरीय पंचायतों, गैर सरकारी संगठनों तथा जिले के तकनीकी संगठनों के सहयोग से इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा।

- योजना में सामूहिक रूप से रोजगार शुरू करने वाले स्वरोजगारियों के लिए 10–सूत्रीय आचार संहिता बनाने की व्यवस्था की गई है जिसके आधार पर वे बैंक खातों में संचालन से लेकर व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन, वस्तुओं का उत्पादन तथा उनकी बिक्री आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था आसानी से कर सकें।
- योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार में लगे लोगों की *सम्पत्ति और उनके पशु आदि का बीमा* कराने की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर उनकी आर्थिक गतिविधियां निर्बाध रूप से चलती रह सकें।
- इस योजना की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसमें स्वरोजगारी को एक बार के स्थान पर *कई बार सहायता प्रदान करने* की व्यवस्था की गई है अर्थात् यदि एक बार सरकारी सहायता प्राप्त करने के बाद स्वरोजगारी गरीबी की रेखा से नहीं निकल पाता है और इसमें यदि उसकी कोई गलती नहीं प्रतीत होती है तो उसे दूसरी बार तथा आगे भी उसी प्रकार सहायता उपलब्ध कराई जाती रहेगी जब तक वह गरीबी की रेखा को पार नहीं कर लेता।
- योजना के भली–भांति क्रियान्वयन और उससे निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमित अनुश्रवण की समुचित व्यवस्था' कई स्तरों पर निर्धारित की गई है अर्थात् विकास खण्ड स्तर से लेकर जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय तथा केन्द्र स्तरीय तक की समितियां गठित कर उनके कार्य और दायित्वों का निर्धारण कर दिया गया है।

योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता

1. इस योजना योजना के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे सभी लोग लाभ पाने के पात्र हैं जो *'गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों* से हैं।
2. यद्यपि इस योजना में पात्र परिवार का कोई भी सदस्य व्यक्तिगत रूप से लाभ प्राप्त कर सकता है तथापि इसमें सामूहिक रूप से लाभान्वित होने के लिए समूह पद्धति पर विशेष बल दिया गया है। अतः पात्र व्यक्ति *स्वयं सहायता समूह* का गठन करके सामूहिक रूप से कोई भी आर्थिक कारोबार प्रारम्भ कर सकते हैं।
3. *स्वयं सहायता समूह* ग्रामीण गरीबों का वह समूह है जिसमें सदस्यों की संख्या 10 से 20 तक हो सकती है अर्थात् कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 व्यक्तियों के एक समूह का गठन कर वे लोग किसी भी लाभकारी उद्यम को प्रारम्भ कर सकते हैं।
4. स्वयं सहायता समूह द्वारा यदि लघु सिंचाई सम्बन्धी कोई कार्यक्रम या योजना बनाई जाती है तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 के स्थान पर 5 भी हो सकती है।
5. स्वयं सहायता समूहों में विकलांग व्यक्तियों के मामलों में स्वयं सहायता समूहों में सदस्यों की संख्या 10 के स्थान पर कम से कम 5 हो सकती है।
6. प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में यद्यपि समूह के समस्त सदस्य गरीबी की रेखा के परिवारों से सम्बन्धित होने चाहिए लेकिन समूह में प्रत्येक ऐसे *परिवार से एक सदस्य* ही समूह का सदस्य बन सकता है।
7. गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे किसी व्यक्ति को केवल एक स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनाया जा सकता है अर्थात् एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं हो सकता।
8. यों तो योजना में सभी ग्रामीण गरीब सम्मिलित हो सकते हैं लेकिन इसमें संवेदनशील समूहों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने की व्यवस्था की गई है अर्थात् योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 50 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
9. योजना के अन्तर्गत महिलाओं को विशेष रूप से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। महिलाओं को इसमें 40 प्रतिशत तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 3 प्रतिशत स्थान आवंटित रखने की व्यवस्था की गई है।
10. प्रत्येक विकास खण्ड में कुल गठित होने वाले समूहों में भी 50 प्रतिशत समूह महिलाओं के लिए रखे जाने हेतु व्यवस्था की गई है।
11. इस योजना के अन्तर्गत स्वरोजगारियों को सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जिस व्यवसाय को वे अपनाने जा रहे हैं उससे सम्बन्धित आवश्यक कौशल उन्होंने प्राप्त कर लिया हो अर्थात् ऋण का आवंटन उन्हें तभी किया जा सकेगा जब वे *कौशल विषयक सम्बन्धी प्रशिक्षण* सन्तोषजनक तरीके से प्राप्त कर चुके हों।

योजना के अंतर्गत अनुमन्य लाभ

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को अर्थिक, सामाजिक रूप से सामर्थ्य प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छोटे–छोटे उद्यमों की स्थापना करना है। इस सन्दर्भ में इस तथ्य से सभी सहमत हैं कि ग्रामीण गरीबों में सभी क्षमताएं और योग्यताएं मौजूद हैं और यदि उन्हें उचित सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए तो वे मूल्यवान वस्तुओं के सफल उत्पादक बन सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अन्तर्गत स्वरोजगारियों को विभिन्न प्रकार से लाभ प्रदान करने की व्यवस्था की गई है :

- योजना के अन्तर्गत दो प्रकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है जैसे उन्हें व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए आसान शर्तों पर आवश्यक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें आर्थिक अनुदान भी दिया जाएगा जो विभिन्न वर्गों के लिए अलग–अलग दरों पर होगा।
- स्वरोजगारियों को ऋण की मात्रा परियोजना की प्रकृति के आधार पर

निर्भर करेगी अर्थात इस योजना में कोई निवेश–सीमा निर्धारित नहीं की गई है। केवल परियोजना की इकाई लागत ही निवेश की सीमा रहेगी।

- योजना में स्वरोजगारियों को उपलब्ध कराए गए ऋण पर व्याज की दरें भी वही रखी गई हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाती हैं।
- सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुदान की राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है अर्थात् सिंचाई परियोजनाओं के लिए इस योजना में सार्वाधिक महत्व देने की चेष्टा की गई है।
- योजना के अन्तर्गत यदि एक बार सहायता प्राप्त करने के उपरांत भी यदि कोई स्वरोजगारी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ सका है और इसमें उसकी स्वयं की कोई त्रुटि भी नहीं रही है तो उसे दूसरी बार भी तथा आगे भी अनुवर्ती रूप में ऋण एवं सहायता प्रदान करने की व्यवस्था रखी गई है।
- योजना के अन्तर्गत स्वरोजगारियों द्वारा प्राप्त ऋण की वापसी हेतु न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तय की गई है तथा ऋण की किस्तों का निर्धारण अनुमोदन इकाई लागत के आधार पर किया जाएगा।
- योजना के अन्तर्गत स्वरोजगारियों द्वारा प्राप्त ऋण की सारी धनराशि यदि ऋण वापसी शुरू होने से पहले ही लौटा दी जाती है तो उसे केवल प्रो–राटा अनुदान अनुमन्य होगा।
- स्वरोजगारी द्वारा ऋण की त्वरित वापसी पर उसे 0.5 प्रतिशत की अनुश्रवण एवं प्रोसेसिंग फीस माफ करने की व्यवस्था की गई है।
- योजना में शामिल क्रियाकलापों के लिए स्वरोजगारियों को अतिरिक्त कौशल विकास की आवश्यकता होने पर उनके लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था की गई है जिससे वे समुचित कौशल प्राप्त कर अधिक से अधिक लाभार्जन प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सकें।
- योजना के अन्तर्गत स्वरोजगारियों को उनके द्वारा तैयार की जा रही वस्तुओं का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु उनके विपणन के लिए परामर्श, बाजार, सर्वेक्षण, प्रचार–प्रसार, विपणन–कौशल, एजेन्सी सम्बन्धी सभी आवश्यक व्यस्थाएं सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी जिससे स्वरोजगारियों को बिचौलियों के शोषण का शिकार होने को विवश न होना पड़े।

लक्ष्य प्राप्ति हेतु कुछ सुझाव

इस योजना के भली–भांति संचालन और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इसमें की गई विशेष व्यवस्थाएं, सामूहिक और व्यक्तिगत तौर पर पात्र लोगों को लाभान्वित करने के लिए अलग–अलग प्रावधान, अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांगों एवं महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभान्वित करने हेतु उन्हें समुचित मात्रा में स्थानों का निर्धारण, पर्याप्त मात्रा में ऋण एवं अनुदान की समुचित व्यवस्था, लाभार्थियों हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और तकनीकी परामर्श के प्रावधान तथा स्वरोजगारी की प्रगति का समुचित प्रकार से अनुश्रवण तथा नियंत्रण के लिए पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का दायित्व भी निर्धारित किए जाने से योजना की सफलता की पर्याप्त सम्भावनाएं प्रतीत होती हैं। फिर भी यदि इसमें निम्नांकित क्षेत्रों में यथा आवश्यक संशोधन एवं परिवर्द्धन किए जा सकें तो निश्चित रूप से सफलता की सम्भावनाएं अधिक रहेंगी :

- यह योजना गरीबी की रेखा के नीचे गुजर–बसर करने वाले परिवारों के सदस्यों के लिए है जिनके पास उद्यम स्थापित करने हेतु स्थान तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का निश्चित रूप से अभाव है। अतः उन्हें आधारभूत सुविधाओं के लिए भी ऋण उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था करना व्यावहारिक होगा जिसकी वर्तमान योजना में व्यवस्था नहीं है।

- योजना में स्वयं सहायता समूहों तथा व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को 75:25 के अनुपात में लाभान्वित करने की व्यवस्था की गई है। यदि इसे 50:50 के अनुपात में कर दिया जाए तो अधिक व्यावहारिक होगा क्योंकि समूह में उत्तरदायित्व की भावना अपेक्षाकृत कम रह जाती है जबकि व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति के अपने उद्यम में अधिक रुचि लेने और अधिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करने की सम्भावनाएं अधिक रहती हैं।

- प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में जो 10 से 15 तक स्वरोजगारियों की संख्या आवश्यक की गई है यदि उसे 5 से 10 तक ही निर्धारित किया जा सके तो एक जैसी प्रवृत्ति तथा आपसी ताल–मेल वाले लोगों के समूह बनने में अधिक आसानी होगी तथा 'रिपेयमेंट' की सम्भावनाएं अच्छी रहेंगी।

- समूह के सदस्यों को निर्धारित क्रियाकलापों के सम्बन्ध में तथा लेखांकन सम्बन्धी व्यावहारिक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था प्रारम्भ में ही किया जाना अनिवार्य है केवल आधा–अधूरा तथा खानापूर्ति मात्र प्रशिक्षण उनके हित में नहीं होगा जैसा कि अन्य विभिन्न योजनाओं में प्रायः अनुभव किया गया है।

- योजना के अन्तर्गत जो 'रिवाल्विंग फण्ड' की व्यवस्था की गई है, उसको समूह के सदस्यों द्वारा की गई बचत की धनराशि के अनुपात में ही इसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए तो इससे समूह के सदस्यों में बचत की भावना को अधिक विकसित किया जा सकता है।

- योजना में स्वरोजगारियों की बचत की आदत पर 6 माह तक निगरानी किए जाने की व्यवस्था की गई है। गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के लिए उद्यम प्रारम्भ करने हेतु इतने अधिक समय तक प्रतीक्षारत रहना अव्यावहारिक लगता है तथा इससे उनके उत्साह में भी कमी आने की सम्भावना रहेगी। अतः इस अवधि को तीन माह तक सीमित किया जाना और उन्हें इस अवधि में उद्यम प्रारम्भ करने हेतु ऋण उपलब्ध करा देना अधिक व्यावहारिक होगा। ❑

ग्राम स्वराज और पंचायतों का संवैधानिक स्वरूप

डा. दौलतराज थानवी

स्वाधीनता के आन्दोलन के साथ महात्मा गांधी ने पंचायती राज पर जोर दिया। उनकी धारणा थी कि प्राचीन काल से ग्रामों में शक्ति सम्पन्नता थी जब उनका स्वयं का शासन था। वे अपने ही संसाधनों से जीते थे और समृद्धि प्राप्त करते थे। इस कारण कौन दिल्ली का शासक है और होगा वह ग्राम ग्रामवासियों की चिन्ता का कारण नहीं था। ऐसी सशक्त संस्था को मध्यकालीन शासकों से ज्यादा अंग्रेजी हुकुमत ने नुकसान पहुंचाया था। गांधी जी ने इन ग्राम संस्थाओं को हस्तांतरण (डिवोल्यूशन आफ स्टेट आथोरिटी) राज्यों से करवाकर शक्तिशाली, स्वशासित और स्व–सम्पन्न बनाना चाहते थे। गांधी जी ने भारतीय प्रजातंत्र और संविधान के इस दिशा में किए गए कार्य को पुण्य कार्य की प्रेरणा दी थी।

गांधी जी मानते थे कि ग्रामों में जागरण और वहां की संस्थाओं का सबलीकरण हो जाएगा तो देश में प्रजातंत्र की जड़ों को कोई हिला नहीं सकेगा। पं. जवाहर लाल नेहरू ने इस दिशा में प्रारम्भिक कार्य सामुदायिक विकास योजनाओं की क्रियान्विति से करना चाहा जिसमें सरकार कल्याणकारी कार्यों की हवा वहां भेजती रही, वे हवा का झौंका तो लेते रहे परन्तु हवा के साथ बहे नहीं। ग्रामवासी 1952 तथा 1957 में लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदान भी करते रहे, विकास का दान खण्ड प्रशासन से लेते रहे लेकिन इससे सहभागिता और स्वंय की उत्प्रेरणा नहीं जाग सकी। इस कार्य के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी को अध्ययन करके नई व्यवस्था सोचने का काम सौंपा। श्री मेहता ने ग्रामों में निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों की तीन स्तरीय संस्थाओं की सरकार स्थापित करने की सलाह दी और राज्य की सत्ता से कुछ सत्ता का हस्तांतरण ग्राम स्तर की ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर की पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद को करने का प्रस्ताव रखा।

श्री बलवन्त राय मेहता कमेटी ने इस नई व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की संज्ञा दी और आशा की कि यह व्यवस्था एक क्रांतिकारी कदम होगी। 2 अक्तूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में इस क्रांतिकारी योजना का शुभारंभ किया। राजस्थान में तीन स्तर की संस्थाओं के लिए 1961 तथा 1965 में चुनाव हुए। ग्रामों में नया नेतृत्व उभरने लगा और खण्ड स्तर पर विकास के नाम पर इतना बजट और संसाधन अनुदान स्वरूप मिले कि विधायक और सांसदों को प्रधानों तथा ग्रामीण जन – प्रतिनिधियों से ईर्ष्या होने लगी। नतीजा यह हुआ कि 1965 के बाद 13 वर्ष तक इन संस्थाओं के चुनाव भी नहीं हुए। ये क्रांतिकारी संस्थाएं सरकार के शिकंजों में नियंत्रित रह गईं। सत्ता सरकार के हाथों में रही और वे दान से लाभान्वित होती रहीं। लाभ की इस प्रक्रिया में वे लोग ही प्रभावशाली रहे जो पहले से भूपति और सम्पन्न थे। खैर 1978 में पुनः चुनावों का सिलसिला चला परन्तु गांवों में कटुता तथा गुटबाजी और प्रभावी जातियों का बोलबाला रहा। सत्ता का सुख और विकास का लाभ सामान्य ग्रामीण को नहीं मिला। ग्राम सभाएं लुप्त हो गईं। श्री भैरो सिंह शेखावत ने अपने प्रथम मुख्यमंत्रित्व काल में चुनाव कराए और अंत्योदय योजना से ग्रामों की चौपाल पर ग्राम सभा से गरीबों की पहचान कराकर ग्रामीण विकास की योजनाओं से उन्हें लाभान्वित कराया। इन सभी ने इन संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने की दिशा में हवाई उड़ान भरते–भरते जमीन पर आकर राजनीति में कदम रखा तो नारा दिया – अगर जनतंत्र को जीवित रखना है तो ग्रामीण जनतंत्र को मजबूत करो।

श्री राजीव गांधी ने 1984 में जब प्रधानमंत्री का पदभार संभाला तभी से 'समाजवादी योजनाबद्ध ग्रामीण विकास' के स्थान पर 'जनतंत्रीय सत्ता हस्तांतरण से स्व विकास' का मार्ग प्रशस्त करना चाहा। पूर्व की सभी अध्ययन कमेटियों में अशोक मेहता, शाहिद अली तथा एल.एम. सिंघवी ने जो विचार दिए उनको पृष्ठभूमि में रखकर श्री राजीव गांधी ने मुख्यमंत्रियों, जिला कलेक्टरों तथा ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से वार्ताएं कीं, सेमिनार तथा संगोष्ठियां की और नया विधेयक लाकर संविधान में व्यापक संशोधन करके ग्रामीण संस्थाओं को सत्ता का हस्तांतरण करने का प्रयास किया। उनके प्रयास निरंतर चालू रहे और 1993 में 73वां संविधान संशोधन करके राज्यों को नया पंचायती राज अधिनियम बनाकर ग्रामीण संस्थाओं को अधिक शक्तियां प्रदान करने का संवैधानिक दायित्व सौंपा।

राज्य सरकारों ने 1995 में 73वें संवैधानिक संशोधन पर आधारित नव पंचायती राज अधिनियम से चुनाव करवाए और यह आशा सर्वत्र प्रसारित हो गई कि अब संविधान की ग्याहरवीं अनुसूची में जो कार्य राज्यों को सौंपे हैं उसमें से 29 कार्यों की राजकीय सत्ता का हस्तांतरण जड़मूल ग्रामीण प्रजातंत्रीय संस्थाओं को किया जाएगा। सत्ता और कार्य के साथ संसाधन नहीं दें तो वे अर्थहीन हो जाते हैं इसलिए 1994 के राजस्थान पंचायती राज्य अधिनियम की धारा 118 के अन्तर्गत प्रथम राज्य वित्त आयोग बैठाया गया जिसने पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था का सिंहावलोकन करके राजस्थान राज्य की शुद्ध कर–राजस्व की 2.18 प्रतिशत राशि इन संस्थाओं को हस्तान्तरण करने का मानस बनाया। उनका मानना था कि अधिक राशि का हस्तान्तरण पंचायती राज संस्थाओं को करने से उनके द्वारा राज्य की विकास योजनाओं पर विपरीत प्रभाव

होगा। यही सोच पंचायती राज संस्थाओं की दुर्बलता और शक्तिक्षीणता का कारक हो गई।

ग्राम सभाओं को संवैधानिक स्तर देकर प्रति छः माह में एक बैठक द्वारा ग्रामीण संस्था पंचायत का लेखा–जोखा परखने और योजना बनाने का काम सौंपा परन्तु आयोजन सरकारी आदेशों और वहां के अधिकारियों की देखरेख में हुआ जिसमें एक प्रतिशत ग्रामीण जनता भी भाग नहीं ले सकी। ऐसी सभाएं मैंने 1998 के दिसम्बर में तीन स्थानों पर देखी तथा मई 1999 में अनेक विद्वानों तथा संस्थाओं ने भी अवलोकित कीं परन्तु जनसहभागिता शून्य थी। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों का चयन, स्कूल संबंधित स्थानों और वहां के शिक्षकों का चयन एक प्रतिशत ग्रामीण जनता ने ही किया। इससे सरपंच और विकास से जुड़े ग्रामीण जन कहते हैं कि अधिकार तो सरकार ने दिए हैं पर साथ में नौकरशाही ने इतने निर्देश दिए हैं कि उनकी पालना, उनके निरीक्षण तथा अंकेक्षण का भय सदा बना रहता है। स्वयं की उत्प्रेरण और सोच होती ही नहीं, जिससे दिया या नहीं दिया बराबर हो जाता है। *राजीव गांधी स्वर्ण जयंती प्राथमिक पाठशाला योजना* से स्कूल का स्थल और वहां के शिक्षक का चयन ग्राम सभा को सौंपा तथा सरपंच को स्कूल भवन का नक्शा, निर्देश और संसाधन दिए। यह सभी एक प्रतिशत जनसहभागिता से हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि कहने को सभी कुछ हुआ परन्तु यह ग्राम की सूनी सभा में सरकारी अधिकारियों तथा सरपंच की सलाह से हुआ, ग्राम आत्मा तो वहां थी नहीं।

इसी तरह प्राथमिक शिक्षा को आदेश के तहत पंचायती राज मंत्रालय के अधीन लिया परन्तु उच्च प्राथमिक शालाओं का प्रबंधन और अन्य परियोजनाओं के संचालन पर व्यापक दिशा–निर्देश तथा कार्य व्यवहारों का मूल्यांकन नहीं हुआ। आज से 25 वर्ष पहले प्रो. इकबाल नारायण और प्रो. पी.सी. माथुर ने प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन पर व्यापक सर्वेक्षण किया था। उसके बाद कोई ऐसा कार्य हुआ ही नहीं सो दिशा–निर्देश कहां से मिले?

जिला परिषद के जिला प्रमुख को जिला विकास अभिकरण का अध्यक्ष जरूर बनाया है परन्तु कार्यविधि और विकास कल्याण योजनाओं को अभी जिला प्रशासन ही चला रहा है। इसमें ऐसा प्रतीत ही नहीं विश्वास हो गया है कि 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद भी ग्रामीण जनप्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्रीय संस्थाएं राज सत्ता से सत्ता तो नहीं ले सकी हैं। एक विभाग की शाखा की तरह विभागीय नौकरशाही के प्रबंधन के शिकंजों में सांस ले रही है। इस संबंध में जो कुछ कदम उठाए हैं उनके लिए जन जागरण करना जरूरी है। व्यापक वैचारिक और व्यवहारिक शोध परख अध्ययनों की जरूरत है और ग्राम–ग्राम में मस्तिष्क में तूफान उठाने वाले

कार्यक्रमों की जरूरत है, न कि योजनाओं की, जो मूर्त रूप न ले सकें। जुलाई में शिक्षा के लिए शाला मानचित्रण तथा प्रवेशोत्सव और राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं की स्थापना तथा शुभारंभ कितने पौष्टिक फल और रसीले स्वाद ग्रामवासियों को दे सके हैं, यह सभी को ज्ञात है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी 60 प्रतिशत स्कूल जाने योग्य बालक–बालिकाएं शाला के द्वार तक नहीं पहुंच सकी हैं। जनप्रतिनिधि गंभीरता से जिस दिन शत प्रतिशत नामांकन करके प्राथमिक शिक्षा को ग्रामों में उचित प्रबंधन से संप्रेषित कर सकेंगे तभी सच्चा ग्रामीण प्रजातंत्र होगा नहीं तो यह मात्र एक राजनीतिक प्रपंच तथा ग्रामीण जनों की शक्ति के प्रति किया जाने वाला प्रवंचनापूर्ण खेल ही कहा जाएगा। ❑

आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए। हर एक गांव में जमहूरी सल्तनत या पंचायत का राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। इसका मतलब यह है कि हर एक गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा – अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लेनी होंगी, ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सके।

– महात्मा गांधी

उत्तर प्रदेश का एक अध्ययन

पंचायतों के नेतृत्व में कमजोर वर्गों की जागरूकता

डा. राजमणि त्रिपाठी
डा. सुनीत सिंह

ऐतिहासिक दृष्टि से ग्राम पंचायतों की जड़ें प्राचीन भारत के लोक गणराज्यों की परम्परा में देखी जाती हैं। प्राचीन काल में ग्राम पंचायतें आज की पंचायतों जैसी राजकीय मान्यता के साथ औपचारिक रूप से गठित होने वाली पंचायतें नहीं थीं बल्कि सहज रूप में सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन–शैली के अभिन्न अंग के रूप में विकसित होने वाली संस्थाएं थीं। इनमें गांव के सर्वमान्य पांच विवेकशील लोगों को सामान्य स्वीकृति के साथ चुना जाता था। पंचायतों के स्वरूप तथा कार्य–प्रणाली में समय–समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी होता रहता था। इस दृष्टि से यह एक लचीली संस्था मानी जाती थी। वर्तमान में गांवों में प्रचलित जाति पंचायतें उक्त पंचायतों से मिलती–जुलती संस्थाओं के रूप में देखी जा सकती हैं। सहज रूप में जन–सामान्य की स्वीकृति के साथ विकसित होने वाली इन संस्थाओं के विपरीत हमारे देश में पिछले लगभग सौ वर्षों से ग्राम पंचायतों को एक औपचारिक संस्था के रूप में विकसित करने का प्रयास शासकीय स्तर पर किया जा रहा था जो वर्तमान में 73वें संविधान संशोधन तथा उनके अनुरूप राज्यों में गठित नवीन पंचायती राज व्यवस्था के रूप में उभर कर आया और उन्हें संवैधानिक स्वरूप मिल सका।

इन ग्राम पंचायतों का गठन न केवल ग्रामीण विकास के लिए बल्कि समाज में व्याप्त सामन्तवादी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए भी हुआ था जिससे कि ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित हो सके। पूर्व अध्ययनों से पता चलता है कि पंचायतें कुछ सवर्ण जाति के व्यक्तियों के द्वारा ही संचालित की जाती थीं। यद्यपि सरकारी योजनाएं गांव के गरीबों और कमजोर वर्गों के विकास हेतु लागू की गईं परन्तु योजनाओं के क्रियान्वयन में कमजोर वर्गों की सहभागिता न होने के कारण इनका लाभ वास्तव में उनको प्राप्त नहीं हो सका। इनका लाभ गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों के द्वारा ही उठाया गया। किन्तु 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्राम पंचायतों में आरक्षण प्रणाली लागू होने से कमजोर वर्गों को पंचायतों के नेतृत्व में भी पूर्ण प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हो सका है।

नवीन पंचायती राज–व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायतों के तीनों स्तरों पर सदस्यों और अध्यक्ष के पदों हेतु पहली बार कुल निर्धारित पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु उनकी जनसंख्या के अनुसार और महिलाओं हेतु एक तिहाई पद आरक्षित किए गए। जिला, ब्लाक और ग्राम स्तरीय पंचायतों में बड़ी संख्या में कमजोर वर्ग तथा महिला प्रतिनिधि चुने गए जिन्हें अपने क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं बनाने और उसे क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा गया। उक्त आरक्षण प्रणाली में वर्णित नियमावली के आधार पर ग्राम स्तरीय पंचायतों में कमजोर वर्ग के प्रतिनिधियों को कार्य करते लगभग साढ़े चार वर्ष बीत चुके हैं। ऐसे में यह जांचा जाना सर्वथा उपयुक्त होगा कि नवीन पंचायती राज व्यवस्था में इन वर्गों का नेतृत्व क्या सचमुच प्रभावकारी रहा है और भविष्य में क्या संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं तथा कमजोर वर्गों के पंचायत प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के कार्यों में किस सीमा तक सहयोग प्राप्त हो रहा है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने में ये प्रतिनिधि क्या कुछ कर पा रहे हैं अथवा शोषण, जातीय कमजोरी, आत्मविश्वास की कमी और अल्प शिक्षा के कारण पंचायतों के कार्यों में अपने को समर्थ नहीं पा रहे हैं? इन सभी प्रश्नों को यदि समय रहते नहीं देखा गया तो नवीन व्यवस्था में आरक्षण का पूरा लाभ न तो कमजोर वर्ग उठा सकेंगे और न ही विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया सफल हो सकेगी। प्रस्तुत लेख में उपर्युक्त प्रश्नों को विश्लेषित करने का प्रयत्न किया गया है तथा साथ ही पंचायतों के नेतृत्व में कमजोर वर्गों की जागरूकता और प्रभाव का आकलन भी किया गया है।

अध्ययन का संदर्भ

उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से कमजोर वर्गों का बाहुल्य है। इस वर्ग को समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके तहत काफी बड़ी संख्या में कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि चुने

गए और वे पंचायतों का नेतृत्व करने लगे। चुने गए इन पंचायत प्रतिनिधियों को गांव के विकास की योजना बनाने तथा क्रियान्वयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर पहले कभी भी जुड़ने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके समाधान हेतु नेहरू युवा केन्द्र ने दिसम्बर 1996 में दो–दिवसीय प्रशिक्षण की राज्यव्यापी श्रृंखला आयोजित की। तीन माह तक चले इस कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग 10,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के प्रधानों/उप–प्रधानों को उनके दायित्व तथा अधिकारों के बारे में प्रशिक्षित किया गया।

पंचायत प्रतिनिधियों के दो–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के 60 जिलों के 280 विकास खण्डों से चयनित 10,316 ग्राम पंचायतों के 20,632 प्रधानों तथा उप–प्रधानों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें लगभग 65 प्रतिशत कमजोर वर्गों से थे। प्रदेश स्तर पर इतने व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संभवतः पहला अवसर था जिसमें कमजोर वर्गों के पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण का मौका प्राप्त हो सका। पंचायतों में कमजोर वर्गों की व्यापकता और कार्यप्रणाली को देखते हुए यह विचार बनाया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले कमजोर वर्ग के लोगों को प्रतिदर्श मान कर ग्रामीण जीवन के गुणात्मक विकास के बारे में उनके दृष्टिकोण तथा उनकी जागरूकता को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक अध्ययन किया जाए और यह पता लगाया जाए कि किन कारणों से कमजोर वर्गों का नेतृत्व पंचायतों में प्रभावशाली नहीं हो पा रहा है।

अध्ययन, परिणाम, विवेचना

दो–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पूर्वनिर्मित प्रश्नावली की सहायता से प्रधानों एवं उप–प्रधानों के जातीय प्रतिनिधित्व का पता लगाने का प्रयास किया गया। प्रश्नावली के पच्चीस प्रश्नों में दो प्रश्न प्रधान और उप–प्रधानों की जाति और धर्म से सम्बन्धित थे। इन प्रश्नों के सम्बन्ध में दिए गए जवाबों के आधार पर पंचायत के नेतृत्व हेतु आने वाले प्रशिक्षणार्थियों में विभिन्न जाति वर्गों के लोगों की संख्या का आकलन किया गया। जो निम्न सारणी में प्रस्तुत है :

प्रशिक्षण में विभिन्न जाति वर्गों का प्रतिनिधित्व

		जाति न बता सकने वाले प्रतिभागी	अनु.जाति/अनु. जनजाति के प्रतिभागी	पिछड़ी जाति के प्रतिभागी	सामान्य जाति के प्रतिभागी	अल्प–संख्यक	अन्य
प्रधान	पुरुष	28.4	40.2	23.8	5.9	0.1	1.6
	महिला	30.9	30.8	25.7	7.6	0.3	1.9
उप–प्रधान	पुरुष	21.1	43.4	25.6	8.5	–	1.4
	महिला	25.7	32.6	32.6	8.0	0.6	0.6
	उत्तर प्रदेश	26.1	39.6	25.4	7.3	0.1	1.5

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कमजोर वर्गों के लगभग तीन चौथाई प्रधान और उप–प्रधान पंचायतों के प्रशिक्षण में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस अध्ययन की एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह भी है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या अन्य वर्गों के लोगों की संख्या से कही अधिक है। यहां यह प्रश्न उठाना समीचीन होगा कि वे कौन से कारक हैं जिनके कारण एक लम्बी अवधि से चले आ रहे लोकतांत्रिक परिवेश में कमजोर वर्गों के लोगों ने पंचायतों के नेतृत्व में उचित स्थान प्राप्त कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि लम्बे समय से दबी तथा कुचली इन जातियों में आरक्षण के कारण चेतना आई और ग्रामीण विकास के लिए आगे आए। जहां तक पिछड़ी जातियों का प्रश्न है वर्तमान लोकतांत्रिक परिवेश के चलते अब वे भी पंचायत के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व करने लगीं। अध्ययन की उपलब्धियों से ज्ञात होता है कि पंचायत के नेतृत्व में लगभग 39.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 25.4 प्रतिशत पिछड़ी जाति, 7.3 प्रतिशत सामान्य जातियां, 0.1 प्रतिशत अल्पसंख्यक तथा 1.5 प्रतिशत अन्य जाति वर्गों के प्रतिभागी पंचायतों के नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण में भाग ले चुके हैं वहीं 26.1 प्रतिशत प्रतिभागी ऐसे भी थे जिन्होंने पंचायतों का नेतृत्व सम्हालने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त किया लेकिन जो अपनी जातियों का उल्लेख करने में समर्थ नहीं हो सके।

प्रभावी न होने के कारण

अब प्रश्न उठता है कि कमजोर वर्गों की राजनैतिक जागरूकता और पंचायतों में उनके वर्चस्व के बावजूद आखिर क्या कारण है कि न महिलाएं और न ही अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग उतने प्रभावी हो पा रहे हैं जितने होने चाहिए। अशिक्षा तथा समुचित जानकारी का अभाव और पुरानी वर्ण–व्यवस्था इसका कारण हो सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो निम्नलिखित हैं :

विकास कार्यक्रमों की जानकारी का अभाव : ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का निर्धारण और क्रियान्वयन एक गम्भीर चिन्तन का विषय है। पंचायती राज की नई व्यवस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि ग्राम पंचायतें अपने विकास सम्बन्धी कार्यक्रम स्वयं तैयार करेंगी और उनका क्रियान्वयन भी खुद ही करेंगी। यह व्यवस्था लागू करते समय यह मान लिया गया था कि जो प्रतिनिधि चुनकर आएंगे वे विकास से सम्बन्धित विषयों की पहचान करने तथा उससे सम्बन्धित कार्यक्रम बनाने में समर्थ होंगे। किन्तु आरक्षण के चलते बड़ी संख्या में कमजोर वर्गों के प्रधान, उप–प्रधान तथा पंचायत सदस्यों के पास ऐसी पृष्ठभूमि नहीं है कि वे इस प्रकार के कार्यों में समर्थ हो सकें। ऐसे में पंचायतों के कमजोर वर्गों के प्रतिनिधियों, प्रभावशाली तथा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के अधीन होकर कार्य करने की प्रवृत्ति पंचायतों में देखी जा रही है। परिणामस्वरूप गांवों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्य न होकर सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के स्वार्थों की पूर्ति के आधार पर कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं जो पंचायती राज व्यवस्था तथा कमजोर वर्गों के नेतृत्व को सुदृढ़ बनाने के मूल उद्देश्य पर एक प्रहार है।

शिक्षा की कमी : जहां शिक्षा का अभाव रहेगा वहां अज्ञान का अंधेरा

छाया रहना स्वाभाविक है। विकास और प्रगति की अनेक बातें कही और सुनी जाने के बावजूद राज्य में विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की दशा को अभी भी बदतर ही कहा जाएगा। मुख्य रूप से कमजोर वर्गों और महिलाओं की शिक्षा की तो दशा और भी शोचनीय है। पंचायतों को ग्रामीण शिक्षा के विकास से सम्बन्धित अनेक अधिकार प्राप्त हैं। पंचायतें ही अब शिक्षा समितियों के माध्यम से ग्रामीण शिक्षा की व्यवस्था तथा उससे सम्बन्धित कार्य देखेंगी। पंचायतों के लिए चुने गए कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि तथा महिलाएं गांव के सजग प्रतिनिधि के रूप में गांव में फैली घोर निरक्षरता की भयावहता को कम करने की दिशा में भी अपनी भूमिका निभाएंगी। किन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि इस वर्ग से चुनकर आए पंचायत प्रतिनिधि स्वयं शिक्षित हों। शोध तथा सर्वेक्षण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कमजोर वर्गों तथा महिलाओं की शिक्षा के वर्तमान स्तर को यदि आधार मान लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में जो महिलाएं और कमजोर वर्ग के प्रतिनिधि चुनकर आए हैं उनमें शिक्षा का सामान्य स्तर काफी निम्न तथा उनमें पर्याप्त संख्या में निरक्षर भी हैं। वे ग्राम विकास के कार्यों से भली भांति परिचित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ये प्रतिनिधि विकास के कार्यों की योजना तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में स्वाभाविक रूप से समर्थ नहीं हो पा रहे हैं तथा उनकी अज्ञानता तथा अदूरर्शिता के कारण पंचायतों के कार्यों का क्रियान्वयन स्थगित–सा हो गया है। ये लोग ग्रामीण शिक्षा के विकास में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं।

पंचायत स्तर पर बजट की जानकारी न होना : संविधान के 73वें संशोधन में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा इस बारे में राज्यपालों को सुझाव देने के लिए पंचवर्षीय अवधि वाले राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। आयोग को यह बताना था कि करों, शुल्कों, फीस और चुंगी आदि स्रोतों से जो आमदनी राज्यों को प्राप्त होती है उसे राज्य और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के बीच बंटवारे के नियम क्या होंगे। इसके अतिरिक्त आयोग को राज्यों की समेकित निधि में से विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को सहायता अनुदान देने सम्बन्धी सुझाव समय–समय पर देने थे। 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के काफी दिनों बाद ही उत्तर प्रदेश में वित्त आयोग अपने कार्य को प्रभावी ढंग से करने में समर्थ हो सका। परिणामस्वरूप एक लम्बे समय तक पंचायतों की स्थिति वित्त विहीन बनी रही। इसी प्रकार अनेक प्रकार के करों के माध्यम से होने वाली आय बिल्कुल सीमित रही। पंचायतों के द्वारा विभिन्न प्रकार के करों की वसूली कमजोर वर्गों की अक्षमता और कमजोरी के कारण सम्भव नहीं हो सकी और पंचायतों का कार्य केवल सरकारी अनुदानों पर ही टिका हुआ है। साथ ही कमजोर वर्गों तथा महिलाओं में पंचायत स्तर पर बजट बनाने तथा आय–व्यय सम्बन्धी लेखा–जोखा की जानकारी का अभाव है। सरकार की अनेक घोषणाओं के बावजूद भी पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पा रही है। यह स्थिति शीघ्र समाप्त नहीं की गई तो कमजोर वर्गों का नेतृत्व प्रभावी नहीं हो पाएगा।

स्वायत्तता की कमी : उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को 29 अधिकार कार्य ऐसी शर्तों के अधीन सौंपे गए हैं जिन पर सरकार का प्रत्यक्ष रूप से अधिकार होगा और समय–समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायतें उन कार्यों का सम्पादन करेंगी। किन्तु जिन पंचायतों में कमजोर वर्गों के प्रधान और उप–प्रधान कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों के क्रियान्वयन में सरकार तथा गांव के प्रभावशाली लोगों का हस्तक्षेप बना रहता है। इससे गांव के विकास सम्बन्धी कार्य सुगमतापूर्वक नहीं हो पाते। कमजोर वर्ग के पंचायत प्रतिनिधियों में इस दिशा में सरकार और गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा बढ़ते जा रहे हस्तक्षेप को लेकर असंतोष व्याप्त है जो विभिन्न स्तर पर होने वाली बैठकों में मुखर रूप से देखने को मिलता है।

गुणात्मक विकास की सोच की कमी : वास्तविक अर्थों में गांव के विकास का अर्थ गांव में रहने वालों के जीवन को सुखमय बनाने से है जिसे प्राप्त करने के लिए जहां एक ओर भौतिक संरचना से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार किया जाना आवश्यक है वहीं दूसरी ओर इनका अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इनके उपभोक्ता अर्थात् ग्रामवासियों की जीवन–शैली से जुड़े पक्षों में गुणात्मक सुधार के लिए भी प्रयास करना जरूरी है। इसीलिए मानव संसाधन के विकास को पंचायती राज संस्थाओं का प्रमुख दायित्व माना जाता है। विकास को स्थायी गति प्रदान करने के लिए इन दोनों में न्यायपूर्ण संतुलन स्थापित किया जाना आवश्यक है। इस संतुलन को तलाशने का कार्य सबसे अच्छे ढंग से पंचायतें और प्रधान ही कर सकते हैं। इसीलिए इनसे जुड़े समस्त विषयों को ग्राम पंचायतों की सूची मे सम्मिलित किया गया है। सूची में वर्णित विषयों पर कार्य करने का अधिकार न मिल पाना तो ग्राम पंचायतों और ग्राम प्रधानों को प्रतिकूलतः प्रभावित कर ही रहा है परन्तु पंचायतों द्वारा विगत अवधि में किए गए कार्यों की प्रकृति देखने से ज्ञात हो जाता है कि वे सभी सरकारी विभागों के समरूप ही भौतिक संरचना से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष बल दे रही है। मानव संसाधन के गुणात्मक विकास के लिए प्रयास करने की इच्छा का कमजोर वर्गों के नेतृत्व में प्रायः अभाव देखने को मिला है। ऐसे में पंचायतें गांवों के वास्तविक तथा स्थायी विकास के वांछित लक्ष्य के बिन्दु से दूर होती जा रही हैं। यह स्थिति न केवल ग्रामीण विकास के लिए बल्कि कमजोर वर्गों के अस्तित्व की दृष्टि से भी हानिकारक है।

जन सहभागिता की कमी : ग्रामीण विकास का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जन–सहयोग और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर प्राथमिकताओं का निर्धारण करना होना चाहिए, जबकि सामान्य रूप में देखा जा रहा है कि सरकारी तौर पर एक सामान्यीकृत कार्यक्रम बना लिया जाता है और कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव में विकास योजनाएं चलायी जाती हैं। ऐसी योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि योजनाओं के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य स्थानीय

प्राथमिकताओं तथा ग्रामीण नेतृत्व के अनुरूप नहीं हैं। इसी कारण ऐसे कार्यक्रमों में लोगों का सहयोग भी नहीं मिल पाता। ग्रामीण नेतृत्व अपनी कुंठा के कारण जन सहभागिता के नाम पर अपने को अलग कर रहा है। विशेषकर कमजोर वर्गों के पंचायत प्रतिनिधि अपनी जातीय कमजोरी के कारण इस प्रकार के कार्यों में अपने को सफल नहीं पा रहे हैं। वस्तुतः जन सहयोग तभी सम्भव हो सकता है जब कि गांव के लोगों को यह विश्वास हो जाए कि जो भी विकास कार्य गांव में होंगे वे वहां की जनता के सामाजिक और आर्थिक विकास से सम्बन्धित होंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वे ही उससे लाभान्वित होंगे। इस प्रकार की भावना के न होने के कारण ही अधिकांश सरकारी कार्यक्रमों को केवल विभागीय औपचारिकता के रूप में देखा जाता है। स्थानीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रख कर किया गया कार्य न तो स्थायी होता है और न ही वांछित लाभ उत्पन्न कर पाता है। ऐसे कार्यक्रमों पर किया जाने वाला व्यय सार्वजनिक धन का अंश है अतः इसे सुविचारित ढंग से व्यय किया जाना चाहिये।

निम्न स्तर पर प्रभावी नेतृत्व की कमी : पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई हैं ताकि पंचायती राज व्यवस्था में समाज के कमजोर वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके और उनकी सच्ची भागीदारी से ग्राम के दबे कुचले लोगों का भला हो सके। इसमें कोई संदेह नहीं कि विगत पांच वर्षों में जिन–जिन राज्यों में नई पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत चुनाव हुए उन सभी राज्यों में इस कानूनी आरक्षण के द्वारा इन कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। लेकिन यहां एक सवाल यह उठता है कि क्या इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सचमुच कारगर रहा है। इस समस्या पर यदि हम विहंगम दृष्टि डालते हैं तो इस क्षेत्र में शोध और सर्वेक्षण, इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इन कमजोर वर्गों का नेतृत्व प्रभावी नहीं रहा है। कमजोर वर्गों के बारे में सर्वेक्षण यह बताते हैं कि प्रायः आरक्षित पदों पर वे ही दलित और महिलाएं चुनकर आते हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र के सवर्ण प्रभावशाली लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। पंचायती राज संस्थाओं की औपचारिक बैठकों में ग्रामीण समाज के ये प्रभावशील लोग, दलित प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं।

कमजोर वर्गों के नेतृत्व में आत्मबल की कमी:

सामान्यतः कमजोर वर्ग के सदस्य प्रायः अशिक्षित होते हैं, निम्न जातियों के होते हैं, निम्न आर्थिक स्तर पर जीवनयापन करते हैं और बीमारियों, कुपोषण तथा सामाजिक हिंसा के शिकार सुगमता से हो जाते हैं। इनके व्यवहार में आत्म विश्वास की कमी, उदासीनता, निर्भरता, अनुरूपता तथा

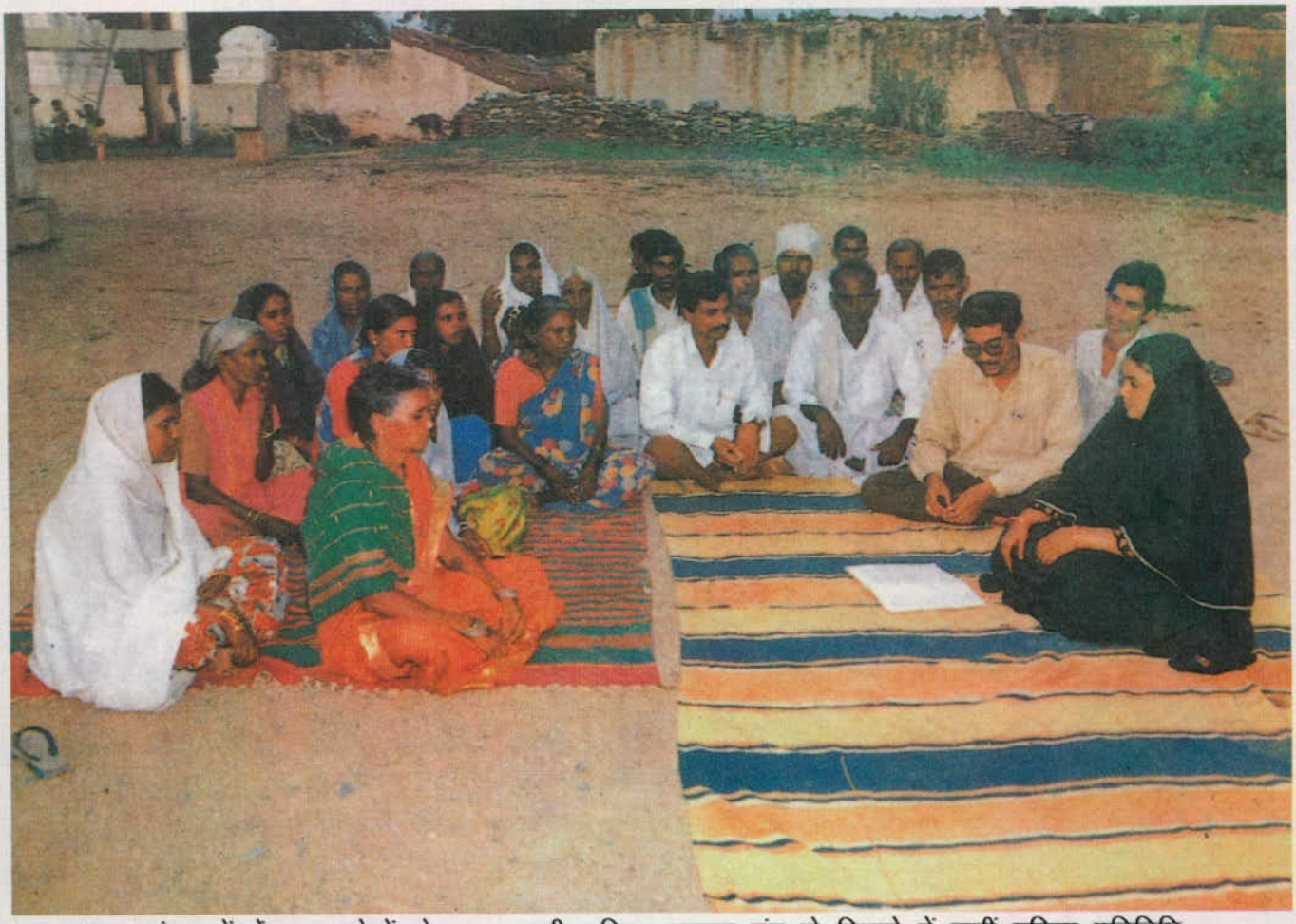

पंचायतों में अन्य लोगों के साथ अपनी भूमिका कारगर ढंग से निभाने में जुटीं महिला प्रतिनिधि

संगठन का अभाव जैसी दुर्बलताएं पायी जाती हैं, जिसका लाभ सरकारी अधिकारी और गांव के प्रभावशाली लोग उठा रहे हैं। विशेषकर ग्रामीण विकास के कार्यों हेतु जो धन पंचायतों को उपलब्ध कराया गया है उस धनराशि का एक बहुत बड़ा भाग ग्रामीण विकास के कार्यों के अतिरिक्त सुख सुविधाओं हेतु व्यय किया जा रहा है। गांव के सबल गांव के विकास सम्बन्धी कार्यों को अपनी इच्छानुसार चला रहे हैं जिससे कमजोर वर्गों में पंचायतों के नेतृत्व के प्रति कुण्ठा सी हो गई है।

जातीय सामंजस्य की कमी : पंचायती राज संस्थाओं में ग्रामीण सत्ता अभी तक मुख्य रूप से पुरुष और उच्च जातियों के हाथों में थी। किन्तु वर्तमान नई पंचायती राज संस्थाओं में पहली बार महिलाओं तथा कमजोर वर्गों के आरक्षण के कारण उन्हें ग्रामीण निर्णय में सहभागिता निभाने का अवसर प्राप्त हुआ है जिसके कारण पुरुष तथा कुलीन वर्गों की प्रधानता प्रभावित हुई है। जातीय भेदभाव के कारण आपसी कलह बढ़ रही है जो पंचायतों की कार्यप्रणाली तथा ग्रामीण विकास को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती।

सामाजिक–पारिवारिक पिछड़ापन

ग्रामीण राजनीति में नेतृत्व की सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्रामीण नेता का महत्व उसके व्यक्तिगत गुणों से कम और पारिवारिक ख्याति और शक्ति से अधिक होता है। जिस नेता का परिवार गांव में प्रभावशाली होता है वह नेता ग्रामीण राजनीति में शक्तिशाली होता है। यदि नेता का परिवार गांव में शक्तिशाली तथा महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है तो उस नेता को अपेक्षाकृत कम महत्व प्राप्त होगा। अध्ययन से ज्ञात होता है कि पंचायतों का नेतृत्व सम्हालने जो कमजोर वर्ग और महिलाएं चुनकर आई हैं उनकी शैक्षिक तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं प्रतीत होती जिससे कहा जा सकता है कि उनके परिवार भी गांव में प्रभावशाली नहीं है। इस प्रकार अपने सामाजिक–पारिवारिक पिछड़ेपन के वे शिकार बन गए हैं। ऐसी स्थिति में कमजोर वर्गों के लोग जो पंचायतों के नेतृत्व में अपनी सहभागिता कर रहे हैं वह प्रभावपूर्ण नहीं प्रतीत होती।

नेतृत्व में निर्धनता की व्यापकता : वास्तव में गरीबी सभी बीमारियों की जननी है। गरीबी के पंचायतों से सम्बन्धित दो पहलू हैं प्रथम सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी, दूसरे पंचायत में चुने गए अध्यक्ष, महिला प्रतिनिधियों, खास कर कमजोर वर्गों की गरीबी से पता चलता है कि महिलाएं तथा कमजोर वर्ग के जो प्रतिनिधि पंचायतों के नेतृत्व हेतु चुन कर आए उनकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। कई महिला प्रतिनिधियों को खासकर कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय समस्या की वजह से अपने परिवार का पालन–पोषण करने के लिए कृषि कार्य अथवा दूसरों के यहां मजदूरी पर जाना पड़ता है। उनका मानना है कि यदि वे पंचायतों की बैठकों में जाएंगी तो उनके परिवार का पालन–पोषण कौन करेगा? यदि सरकार उन्हें आर्थिक सहायता, वेतन आदि दे, तभी वे पंचायत की बैठकों में जा सकेंगी और पंचायत प्रतिनिधि के रूप में अच्छी भूमिका निभा सकेंगी।

निष्कर्ष

पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्थाएं इसलिए की गई थी, ताकि पंचायती राज व्यवस्था में समाज के कमजोर वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके और उसकी सच्ची भागीदारी से ग्राम स्वराज का सपना साकार हो सके। इसमें कोई संदेह नहीं कि विगत पांच वर्षों में जिन–जिन जनपदों में नई पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत चुनाव हुए उन सभी जनपदों में इस कानूनी आरक्षण के माध्यम से इन कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया।

शोध और सर्वेक्षण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि चुनकर आए इन कमजोर वर्गों की भागीदारी पंचायतों में प्रभावकारी नहीं रही है। सर्वेक्षण में अधिकांश जनपदों में देखने में मिला कि ये प्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं के संचालन में मूक तथा बधिर की ही भूमिका अदा कर सके और उनके स्थान पर या तो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी या उनके परिवार, जाति–पांति के लोग उनकी मदद में लगे हैं।

अध्ययन से पता चलता है कि अब पंचायतों के नेतृत्व में उच्च जातियों और प्रभावशाली लोगों का वर्चस्व टूट रहा है और नए–नए समीकरण उभर रहे हैं। हर एक जातियों में विशेषकर कमजोर वर्गों में राजनैतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं तथा अपना आधार ग्रामीण राजनीति में स्थापित कर रही हैं किन्तु अपनी अशिक्षा, बेरोजगारी, समुचित प्रशिक्षण, पुरानी वर्ण–व्यवस्था, निर्धनता, सामाजिक–पारिवारिक पिछड़ापन और आत्मबल के अभाव में उतने प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं जितने होने चाहिए।

अध्ययन से ज्ञात होता है कि महिला प्रतिनिधि जो पंचायतों का नेतृत्व करने आई हैं उनमें गरीबी तथा रोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण वे पंचायत के कार्यों में अपना भरपूर सहयोग नहीं दे पा रही हैं। कुछ महिला प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करे तो वे पंचायत की बैठक में भाग ले सकती हैं अन्यथा अपने परिवार के पालन–पोषण हेतु दूसरों की मजदूरी में लगी रहती हैं।

कुल मिलाकर तो यही कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास हेतु पंचायतों में कमजोर वर्गों और महिलाओं की भागीदारी निरन्तर बढ़ रही है। वह हर मौसम की धूप, छांव में अपने घर परिवार तथा गांव और समाज के लिए कार्य कर रही हैं। साथ ही अपने अधिकारों के लिए दूसरे मोर्चे पर लड़ाई भी लड़ रही हैं। स्वयं जाग रहे हैं और दूसरों को भी जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा पंचायतों में कमजोर वर्ग तथा महिलाओं की पहल तथा आरक्षण की

(शेष पृष्ठ 46 पर)

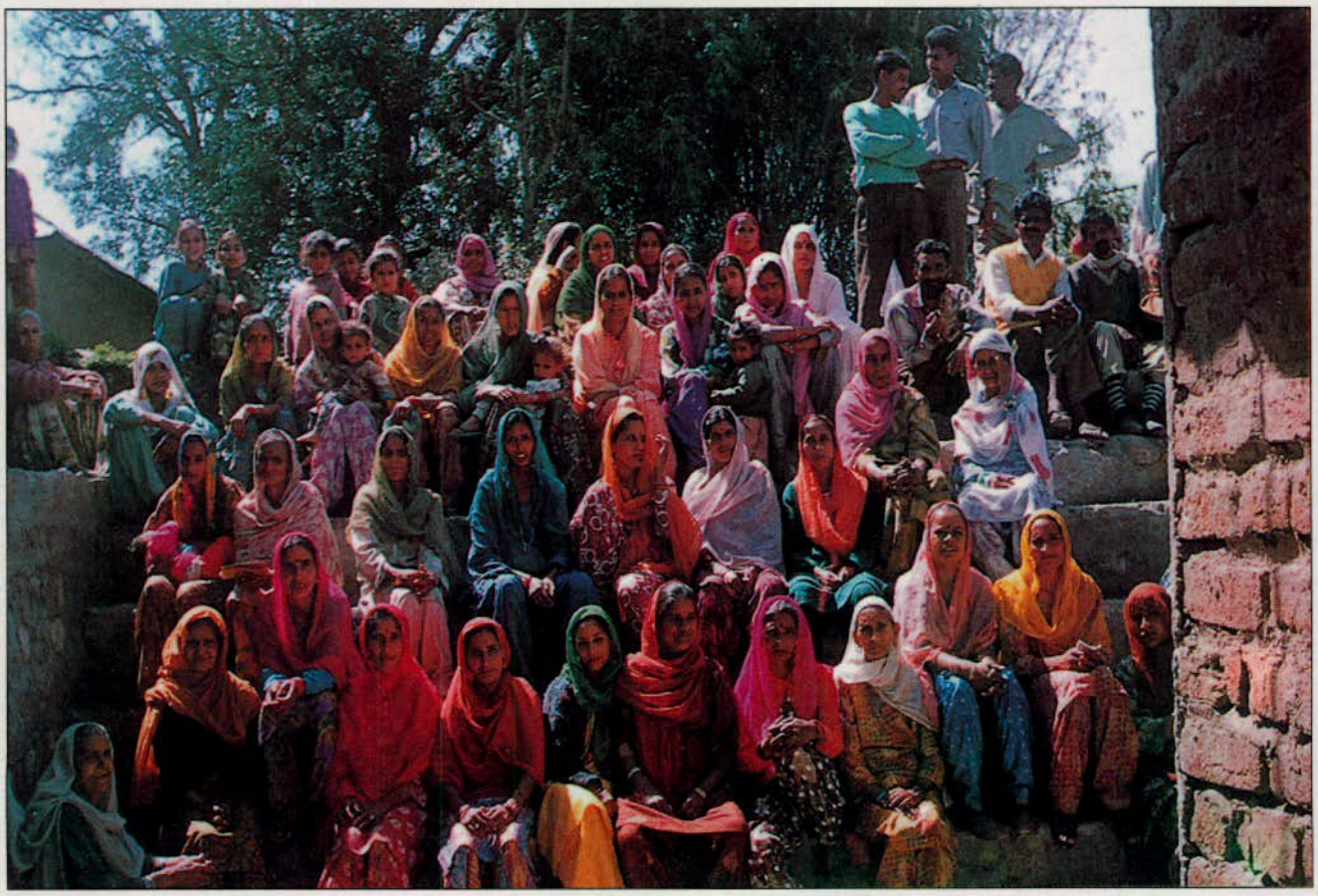

आदिवासी क्षेत्र में ग्राम सभाएं : एक समीक्षा

ग्राम सभा

संविधान के 73वें संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। ग्राम सभा एक प्रकार से ग्राम पंचायत की विधान सभा है, जिसका गांव के सभी मामलों और समस्याओं पर चर्चा कर निर्णय लेने का उत्तरदायित्व है। ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक वर्ष में कम से कम चार बार ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करना अनिवार्य होता है। विकास कार्यों की रूपरेखा तथा प्राथमिकताएं ग्रामसभा में तय की जाती है। ग्राम पंचायत का बजट तथा वार्षिक व्यय विवरण आदि का भी इसके द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक होता है। संक्षेप में ग्राम सभा स्थानीय स्वशासन की नींव तथा लोकतंत्र का आधार कही जा सकती है।

अवलोकन का प्रयोजन एवं अध्ययन बिन्दु

यह समझने के लिए कि ग्राम सभाएं किस प्रकार आयोजित की जा रही हैं, उसके अध्ययन के लिए निम्नांकित बिन्दुओं को जरूरी समझा गया:

- जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में आयोजित ग्राम सभाओं की क्या विशेषताएं हैं?
- इनमें सदस्यों की उपस्थिति –आयु और लिंग के अनुसार क्या रहती

है?

- बैठक व्यवस्था – बिछायत, पानी, छाया आदि की व्यवस्था कैसी होती है तथा क्या इस संबंध में सामाजिक फासलों और लिंग भेदभाव का कोई प्रभाव देखा जा सकता है?
- सदस्यों की भागीदारी, और भूमिका कैसी रहती है सक्रिय, निष्क्रिय अथवा उदासीन।
- सरपंच, वार्डपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद्, प्रधान, विधायक प्रशासन और पंचायत समिति के अधिकारियों, कर्मचारियों, ग्रुप सचिव तथा अध्यापक आदि की भागीदारी और भूमिका क्या रहती है। की ग्राम सभा आयोजन में क्या भूमिका रहती है तथा उनमें आपसी तालमेल कैसा है?
- प्रस्ताव पर विचार–विमर्श तथा निर्णय लेने की प्रणाली और प्रक्रिया क्या है?

इन्हीं बिंदुओं को सामने रखकर स्थानीय स्व शासन और उत्तरदायी संस्थान ने पहली मई 1999 को राजस्थान भर में आयोजित ग्राम सभाओं में से उदयपुर जिले की छः ग्राम सभाओं की बैठक का विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास किया।

पहली मई 1999 की ग्राम सभा का एजेन्डा

राजस्थान सरकार ने राजस्थान की स्थापना के स्वर्ण जयन्ती वर्ष (1999) में 6–11 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त बालकों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय विहीन गांवों, ढाणियों तथा बस्तियों में राजीव 'गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला' खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहली मई 1999 को ग्राम सभा का आयोजन कर ग्राम वासियों की सहमति से उन फली, पालों या ढाणियों में पाठशाला खोली जाए जहां 6–11 वर्ष की उम्र के कम से कम 40 बच्चे उपलब्ध हों और जिनके लगभग एक कि.मी. की परिधि में शिक्षण सुविधा उपलब्ध न हो।

विद्यालय खोले जाने हेतु उपयुक्त स्थान के चयन के लिए ग्राम पंचायत द्वारा अध्यापकों को सर्वेक्षण करने तथा ग्राम पंचायत की शैक्षिक स्थिति संबंधी आंकड़े ग्राम सभा में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन्हीं बैठकों में 'शिक्षा सहयोगी' जो शिक्षा केन्द्र चलाएंगे का चयन भी उसी ग्राम पंचायत में पढ़े लिखे (कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण) युवक–युवतियों में से किया जाने का निर्णय लिया गया। उनके नाम, उनकी वरीयता तथा योग्यता के आधार प्रस्तावित किए जाएंगे। इन उम्मीदवारों में से उपयुक्त पात्र का अन्तिम चयन इस हेतु गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

यह भी अपेक्षा की गई कि ग्राम सभा के समस्त सदस्यों के साथ–साथ वार्डपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक, अध्यापिकाएं तथा अन्य कर्मचारी भी ग्राम सभा के संचालन में सहयोग करेंगे। ग्राम सचिव ग्राम सभा की कार्यवाही का रिकार्ड रखेंगे।

अवलोकित ग्राम पंचायतों की पृष्ठभूमि

इस संस्थान के पांच अनुसंधानकर्ताओं ने उपर्युक्त एजेन्डा और अध्ययन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए पहली मई 1999 को आयोजित निम्नांकित छः ग्राम सभाओं में शामिल होकर उनका अवलोकन और अध्ययन करने का प्रयास किया:

(अ) पंचायत समिति कोटड़ा

1. तेजा का वास
2. क्यारी
3. बेकरिया
4. गोगरूद

(ब) पंचायत समिति बड़गांव

1. कविता
2. थूर

(अ) कोटड़ा : कोटड़ा उदयपुर जिले का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहां लगभग 90 प्रतिशत आदिवासी, एक प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 9 प्रतिशत अन्य जाति के लोग निवास करते हैं। यह क्षेत्र अरावली की दुर्गम पहाड़ियों का है जिसमें आज भी घने जंगल हैं। यह क्षेत्र सदियों से शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग एवं विकास की दृष्टि से पिछड़ा रहा है। इसी कारण इसे पहले 'काला पानी' की संज्ञा दी जाती थी। आजादी के 50 वर्षों के बाद अभी भी चिकित्सा, शिक्षा, यातायात, दूरसंचार तथा बिजली की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस क्षेत्र के विकास में निरक्षरता बहुत बड़ी अड़चन रही है।

क्षेत्र में साक्षरता दर लगभग 9 प्रतिशत ही है जिसमें पुरूष 15 प्रतिशत तथा महिलाएं केवल 3 प्रतिशत ही साक्षर हैं। यहां के लोग टापरों में अपने छोटे–छोटे खेतों के पास ही रहते हैं। परस्पर सम्पर्क के लिए कोई सड़कें आदि नहीं हैं। एक ग्राम पंचायत में कुछ फलों को मिलाकर चार–पांच पाल होती है, तथा एक ग्राम पंचायत का फैलाव 15–20 किमी. का होता है। अतः पंचायत मुख्यालय पर या ग्राम सभा के लिए किसी निश्चित स्थान पर एकत्रित होने के लिए लोगों को लगभग 10 किमी. तक चलना पड़ता है। अधिकांश लोग वर्षा के मौसम में खेती कर लेते हैं, किंतु बहुत छोटे–छोटे खेत होने के कारण आय बहुत कम होती है। अधिकांश लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करते देखे जा सकते हैं। ये लोग अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आस–पास के कस्बों और शहरों में दैनिक मजदूरी के लिए भी जाते हैं।

(ब) बड़गांव : बड़गांव की जिन दो पंचायतों का चयन किया गया उनमें ग्राम पंचायत कविता जनजाति बाहुल्य है तथा थूर अनुसूचित जाति बाहुल्य है। इन लोगों की आर्थिक स्थिति कोटड़ा क्षेत्र में रहने वाले लोगों से थोड़ी अच्छी है, ये लोग एक ही जगह गुड़ा, ढाणी या गांव में रहते हैं।

अवलोकन विवरण

उपस्थिति

- ग्राम सभा में सदस्यों की उपस्थिति आमतौर पर संतोषजनक नहीं थी। छः में से पांच ग्राम सभाओं में तो सदस्यों की उपस्थिति न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति (10 प्रतिशत) के आसपास ही थी।
- महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम थी। अवलोकित 6 ग्राम सभाओं में से 3 में महिलाएं नहीं के बराबर थी जबकि एक ग्राम सभा में 10 प्रतिशत थी। अन्य दो ग्राम सभाओं में महिलाओं की उपस्थिति 20 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत थी।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव और अध्यापक के साथ सरकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे।
- केवल एक ही ग्राम सभा में जिला परिषद् सदस्य की उपस्थिति देखी गई। एक प्रधान ने दो सभाओं में भाग लिया।
- सभी ग्राम सभाओं की अध्यक्षता संबंधित पंचायतों के सरपंचों द्वारा की गई।

सारणी – 1

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यः

क्र. स.	ग्राम पंचायत	ग्राम सभा का कोरम (न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति–कुल सदस्यों की 10%	उपस्थित सदस्यों की संख्या		
			पुरुष	महिला	कुल
1	बेकरिया (प.स. कोटड़ा)	250	110	–	110
2	गोगरुद "	270	180	20	200
3	तेजा का वास "	170	164	36	200
4	क्यारी "	225	60	–	60
5	थूर (प.स. बड़गांव)	265	175	75	250
6	कविता "	250	200	25	225

सारणी – 2

ग्राम सभा में उपस्थित जनप्रतिनिधि

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	कुल जनप्रतिनिधियों की संख्या			उपस्थित जनप्रतिनिधियों की संख्या		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	बेकरिया (प.स. कोटड़ा)	9	4	13	3	0	3
2	गोगरूद "	9	4	13	8	1	9
3	तेजा का वास "	6	3	9	6	1	7
4	क्यारी "	7	4	11	5	0	5
5	थूर (प.स. बड़गांव)	6	3	9	3	2	5
6	कविता "	6	3	9	2	3	5

बैठक व्यवस्था

बैठक व्यवस्था पंचायत भवन, सामुदायिक भवन अथवा पंचायत भवन के बाहर की गई थी। पानी की व्यवस्था पर्याप्त थी। सदस्यों की संख्या अधिक होने पर दो पंचायतों में छाया की व्यवस्था की गई थी। कुछ सभाओं में यह देखा गया कि सरपंच, पंच तथा सरकारी अधिकारी जाजम पर बैठे हुए थे। बाकी के ग्राम सभा सदस्य भूमि पर बैठे थे जहां कोई बिछावन नहीं थी। यह भी देखा गया कि जिन ग्राम सभाओं में कुछ सवर्ण लोग या महिलाएं उपस्थित थीं वहां सामाजिक फांसले और लिंग भेदभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था।

सदस्यों की भागीदारी एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया

- ग्राम पंचायत की जिन–जिन ढाणियों तथा स्थानों पर पाठशालाएं खोली जानी थीं वहां के निवासियों द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव रखे गए। सभी ने अपने–अपने क्षेत्र में ही विद्यालय खोले जाने के लिए अपना पक्ष मजबूती से रखा तथा प्रमाण और तर्क भी दिए।
- प्रत्येक ग्राम सभा में एक महत्वपूर्ण बात यह भी देखने में आई कि उपस्थित युवा सहस्य काफी सक्रिय थे।
- ग्राम सभा के अध्यक्ष (पंचायत के सरपंच) निष्पक्ष रहकर सभी के तर्कों को ध्यान से सुन रहे थे। वे सदस्यों के अधिक उत्तेजित होने की स्थिति में उन्हें शान्त भी करते थे।
- सामान्यतया पाठशाला खोलने का आधार विद्यार्थियों का अपने–अपने निवास से मौजूदा विद्यालय तक पहुंचने में दूरी से होने वाली असुविधा का था।
- स्थान के चयन का दूसरा आधार स्कूल जाने योग्य बच्चों की संभावित संख्या का होना था।
- विचार–विमर्श के बाद एक मत से निर्णय लिए गए।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रधान, जनप्रतिनिध, सरपंच, वार्डपंचों, कर्मचारियों का कोई दबाव नहीं देखा गया।
- एक पंचायत में स्कूल के स्थान के चयन पर सभी सदस्य एक मत नहीं हो पाए, तब दोनों प्रस्तावित स्थानों में से एक का चयन करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया।
- एक अन्य पंचायत में भी यही स्थिति बनी तब सब की राय से कागज की गोटी डालकर निर्णय लिया गया।
- जहां–जहां भी पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्य उपस्थित थे, वहां उन्होंने ग्राम सभा के सदस्यों के आमंत्रण पर आवश्यकतानुसार जानकारी दी तथा विवाद की स्थिति में अपनी राय भी दी।
- दो ग्राम पंचायतों में जहां संस्थान द्वारा प्रशिक्षित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे वहां ग्राम सभा सदस्यों की भागीदारी में जागरूकता, साामाजिक हित तथा नागरिकता के मूल्यों की स्पष्ट झलक थी।

- ऐसी पंचायतों में महिलाएं भी सक्रिय नजर आईं।
- एक महिला सरपंच जिन्होंने इस संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया था, वे कम पढ़ी – लिखी होने के बावजूद भी सभा की अध्यक्षता करने में विशेष तौर से प्रभावी दिखाई दीं।

निष्कर्ष

ग्राम सभाओं में सदस्यों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति, भागीदारी, व्यवस्था आदि के अवलोकन और अध्ययन से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं–

- इन ग्राम सभाओं में सदस्यों की उपस्थिति अधिक उत्साहजनक नहीं थी। ग्राम सभाओं में प्रायः जल, निर्माण कार्य, जमीन संबंधी विवाद, ऋण या सरकारी अनुदान आदि मुद्दे ही छाए रहते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर सामान्यतया ग्राम सभा में अधिक चर्चा नहीं होती है। परन्तु इस बार केवल शिक्षा का एजेंडा होने पर भी ग्रामवासियों ने अपनी रुचि तथा उत्साह दिखाया। इस अवसर पर भी सामान्य उपस्थिति का होना एक शुभ संकेत है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि ग्रामवासी अब शिक्षा को महत्व देने लगे हैं।
- ग्राम सभा की बैठकों में युवा वर्ग की अधिक रुचि देखने में आई। उनका सक्रिय होना लोकतंत्र के भविष्य के प्रति आशान्वित करता है।
- ग्राम सभा के संचालन में सरकारी कर्मचारियों का सहयोग देखा गया। परन्तु यदि उनकी ओर से पूरी तैयारी और पहल होती तो ग्राम सभा में अधिक सदस्यों की भागीदारी हो सकती थी।
- इन छः ग्राम सभाओं में देखा गया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सरकारी कर्मचारियों द्वारा ग्राम सभा सदस्यों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया।
- महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बहुत कम थी। दो पंचायतों में एक भी महिला या महिला जनप्रतिनिधि उपस्थित नहीं थी जो दर्शाता है कि गांव की समस्याओं के प्रति महिलाओं में अभी भी जागरूकता नहीं बढ़ी है। यही कारण है कि बालिकाओं की शिक्षा का मुद्दा उभर कर सामने नहीं आया। यदि जनप्रतिनिधि जागरुक होते तथा अपनी जिम्मेदारी समझने वाले होते तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती थी।
- ग्रामवासियों में समझ की कमी नहीं है परन्तु संकोच और झिझक के कारण तथा जानकारी के अभाव में वे सक्रिय भागीदारी से वंचित रहते हैं। ग्रामवासियों में साक्षरता बढ़े और जनप्रतिनिधियों की क्षमता संवर्धन हो तो ग्राम सभाएं अपने उद्देश्य में अधिक सार्थक तथा सफल सिद्ध हो सकती हैं।
- अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए एक ग्राम सचिव की सेवाएं ही उपलब्ध हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए एक ही दिन में दो या इससे अधिक बैठकों में भाग लेना व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं लगता। ग्राम सचिव का कार्य पंचायत के समक्ष सारी जानकारी प्रस्तुत करना तथा पंचायत की कार्यवाही का रिकार्ड रखना होता है। अतः जब वह एक पंचायत में व्यस्त होता है तो दूसरी पंचायत के सदस्य उसके आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। कहीं–कहीं दूरी अधिक होने से सचिव समय पर नहीं पहुंच पाते हैं जिससे ग्राम सभा के समय पर आयोजन में कठिनाई आती है। अतः जनप्रतिनिधियों और ग्रामसभा के सदस्यों की राय में प्रत्येक पंचायत के लिए एक ग्राम सचिव की नियुक्ति होनी चाहिए।

एक अच्छी पहल

राज्य सरकार ने ग्राम सभा के माध्यम से सबको शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु जो पहल की है वह संभवतः पूरे देश में अनूठी है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में आम लोगों की रुचि बढ़ेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार होगा।

यह पहली बार हुआ है कि गांव में विद्यालय खोलने का निर्णय तथा उसमें पढ़ाने वाले अध्यापक के चयन का अधिकार ग्राम सभा यानी ग्रामवासियों को दिया गया है। इससे ग्रामसभा के सदस्यों को पहली बार अहसास हुआ है कि वे भी सत्ता में भागीदार हैं और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस पहल से विद्यालयों में बालकों की उपस्थिति में वृद्धि होगी तथा गांव वालों की शिक्षा–प्रसार और विद्यालय संचालन के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी। यह ग्राम स्वराज प्राप्ति हेतु एक बड़ा कदम है। ❑

अप्रैल माह में विशेषांक

पत्रिका का अप्रैल 2000 अंक एक विशेषांक के रूप में निकाला जा रहा है जिसका विषय है: **ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या और उससे निपटने के उपाय।** इस अंक में क्षेत्र के विशेषज्ञ और अन्य जाने–माने विद्वान इस विषय का गहराई से विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। रंग–बिरंगे चित्रों से सुसज्जित 64–72 पृष्ठों के इस अंक का मूल्य होगा मात्र 15 रुपये।

आप अपने समाचार पत्र विक्रेता से अपनी प्रति अभी से सुरक्षित करा लीजिए अथवा निम्न पते पर सम्पर्क कीजिए:

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
ईस्ट ब्लाक–4 लेवल–7
आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066

राजस्थान में

पंचायती राज को सशक्त बनाने के प्रयास

डा. पूरण मल

भारत में पंचायती राज संस्थाओं को स्फूर्तिवान और जीवंत व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से 1993 में संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम पारित कर लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा सम्पूर्ण देश में पंचायती राज की त्रि–स्तरीय व्यवस्था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों का प्रावधान किया गया है। पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों के चुनाव प्रत्यक्ष तथा जिला परिषदों के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने तथा मध्यवर्ती स्तर की संस्था के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, यह बात सम्बंधित राज्य

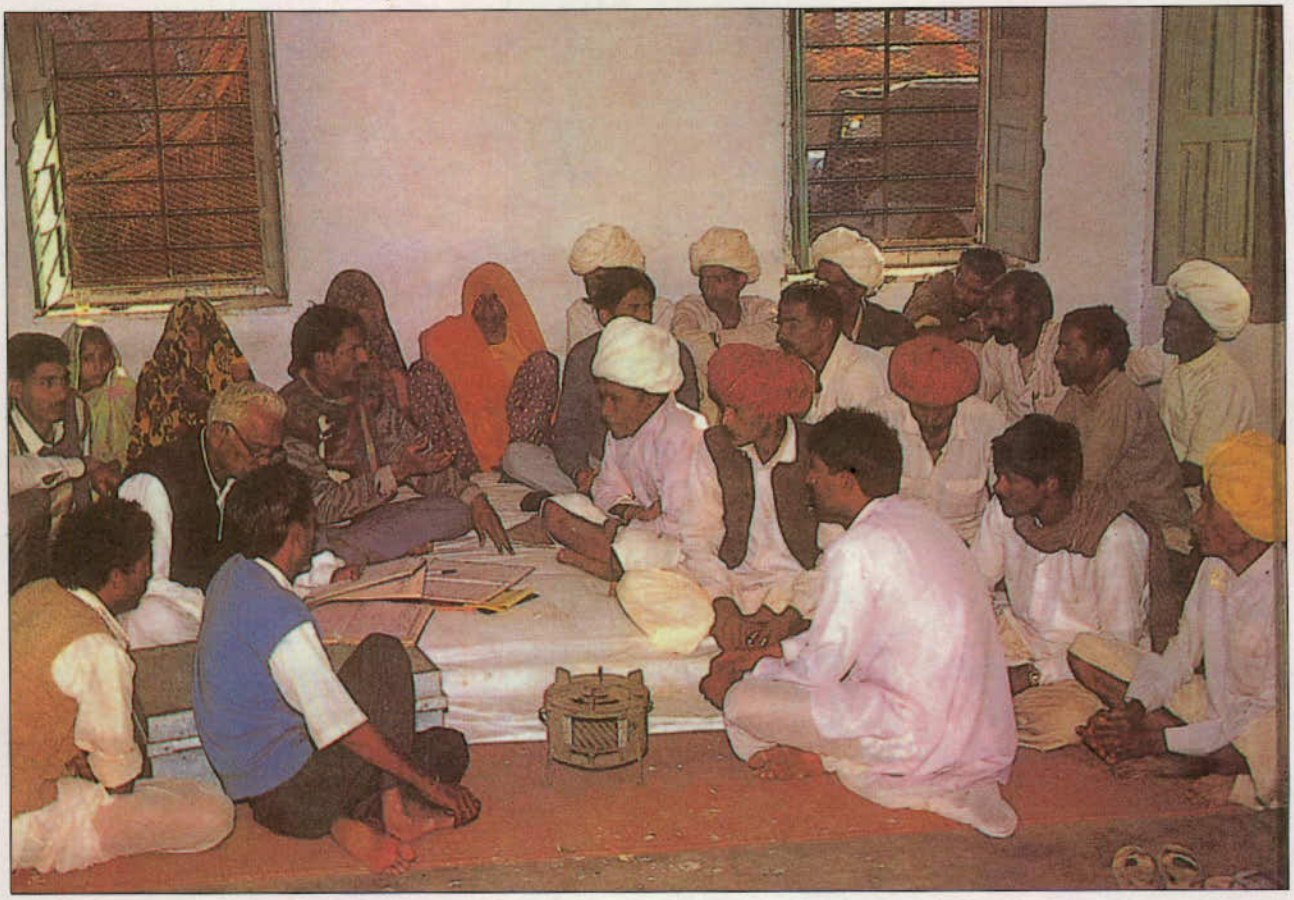

कार्यक्रमों की प्रगति का जायजा लेते पंचायत प्रतिनिधि

सरकारों पर छोड़ी गई। इस अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के साथ पांच वर्ष की निर्धारित अवधि, नियमित तथा अनिवार्य चुनाव, पृथक राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, कार्य और अधिकारों के हस्तांतरण के साथ–साथ उनके निष्पादन के लिए समुचित भौतिक तथा वित्तीय संसाधन प्रदान करने की व्यवस्था की गई।

राजस्थान सरकार ने संविधान में निर्धारित अवधि – एक वर्ष के भीतर राज्य का राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 लागू कर दिया और राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अधीन जनवरी–फरवरी 1995 में सामान्य चुनाव करवाकर नई पंचायत राज संस्थाओं – ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों का गठन कर दिया। इन चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जन–जातियों के लिए 12, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 15 और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए। 1995 में सम्पन्न प्रथम पंचायत राज आम चुनावों में 31 जिला प्रमुखों (अब 32 जिला प्रमुख) में से अनुसूचित जाति के 6, अनुसूचित जनजाति के 5, अन्य पिछड़े वर्गों के 5 तथा 10 महिलाएं निर्वाचित हुईं। जिला परिषद प्रतिनिधि के 997 पदों में से 177 अनुसूचित जाति के, 154 अनुसूचित जन जाति के, 119 अन्य पिछड़े वर्गों के तथा 331 महिलाएं प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर आईं। इस प्रकार पंचायत समिति प्रतिनिधि के कुल 5,257 सदस्यों में से 924 अनुसूचित जाति के, 805 अनुसूचित जनजाति के, 625 अन्य पिछड़े वर्गों से तथा 1,738 महिलाएं चुनी गईं। लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी ग्राम पंचायतों में कुल 9,185 सरपंचों में से अनुसूचित जाति के 1,642, अनुसूचित जनजाति के 1,486, अन्य पिछड़े वर्गों से 1,059 और 3,065 महिला सरपंच चुनकर आईं। वार्ड पंचों के कुल 1,03,712 स्थानों पर अनुसूचित जाति के 17,902, जनजाति के 15,616, अन्य पिछड़े वर्गों से 13,137 तथा महिलाएं 33,236 वार्ड पंच के रूप में चुनी गईं। इन समस्त आरक्षित स्थानों की स्थिति को सारणी–1 के द्वारा समझा जा सकता है।

सारणी–1

1995 में राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण

प्रतिनिधि	कुल स्थान	अनु. जाति	अनु. जन–जाति	अन्य पिछड़े वर्ग	महिलाएं
जिला प्रमुख	31	06	05	05	10
जिला परिषद प्रतिनिधि	997	117	154	119	331
प्रधान	237	38	28	24	79
पंचायत समिति प्रतिनिधि	5,257	924	805	625	1,738
सरपंच	9,185	1,642	1,486	1,059	3,065
वार्ड पंच	1,03,712	17,902	15,616	13,137	33,236

इन तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान में सामाजिक क्रान्ति की शुरुआत हो गई है तथा पंचायती राज संस्थाओं में निम्न वर्गों का प्रतिनिधित्व सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

नई पहल : नवम्बर 1998 में सम्पन्न ग्यारहवीं विधान सभा चुनावों के बाद सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने के दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जो इस प्रकार हैं :

पंचायत राज और विशिष्ट योजना संगठन विभाग का एकीकरण : राज्य सरकार ने पहला कदम ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग और विशिष्ट योजना संगठन विभाग को एक कर दिया है। अब राज्य मंत्रिपरिषद में इन दोनों विभागों का एक ही मंत्री है। प्रशासकीय स्तर पर एक वरिष्ठ मुख्य सचिव (विकास आयुक्त) का पद रहेगा। इन दोनों विभागों के एकीकरण से पंचायती राज संस्थाओं को व्यापक शक्तियां प्राप्त हो गई हैं और विकास कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

जिला प्रमुख जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अध्यक्ष : जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) के अध्यक्ष के रूप में जिला प्रमुखों की नियुक्ति की घोषणा करके पंचायती राज संस्थाओं को सत्ता हस्तांतरण और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की प्रक्रिया 30 जनवरी 1999 से प्रारम्भ की गई। जिला कलैक्टर जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अध्यक्ष थे, अब अभिकरण के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। साथ ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अधीन चल रही योजनाएं जिला परिषदों को हस्तांतरित कर दी गईं।

अभी तक जिला कलैक्टर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करता था, जबकि एक जन प्रतिनिधि उसके निर्देशन में कार्य करता था। सरकार ने जन प्रतिनिधियों के महत्व को स्वीकार करते हुए यह अहम निर्णय लिया कि जिला प्रमुख बैठकों की अध्यक्षता करें तथा जिला कलैक्टर बैठक में भाग लेने के लिए अपने कार्यालय से चलकर जिला प्रमुख के कार्यालय में जाए।

ग्राम सभाओं की एक साथ बैठकें : राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3(i) में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम सभा होगी जिसमें पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गांव या गांवों के समूह से सम्बंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्ति होंगे। धारा 3(ii) में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम दो बैठकें होंगी पहली वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में और दूसरी अन्तिम तिमाही में। साथ ही यदि ग्राम सभा के कुल सदस्यों के एक तिहायी सदस्य किसी विषय पर इस प्रकार की बैठकों की मांग करें तो 30 दिन के भीतर बैठक बुलाना अनिवार्य होगा।

पहले ग्राम सभाओं की बैठकों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। प्रायः सरपंच अपने पक्ष के कुछ लोगों को बुलाकर सारे निर्णय कर लिया करते थे। लेकिन अब पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभाओं को आधारभूत संस्था के रूप में प्रभावी और सक्रिय भूमिका निभाने की दृष्टि से सभी ग्राम सभाओं की बैठक एक साथ निर्धारित तिथि को किए जाने तथा बैठक में पंचायत की विकास योजना बनाकर पंचायत समिति, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं पंचायती राज विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पंचायती राज के अधीन : राज्य में अभी तक ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पंचायती राज के अधीन थी। प्रायः आलोचना की जाती रही है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का समुचित वातावरण नहीं है क्योंकि वहां जन–प्रतिनिधियों (प्रधान, सरपंच) का हस्तक्षेप निरन्तर बना रहता है। लेकिन दूसरी ओर यह उतना ही सच है कि शिक्षा व्यवस्था में जितनी अधिक रुचि स्थानीय ग्रामीण लोग लेंगे, उतनी ही वह कारगर साबित होगी। जनता की उपेक्षा ही कुछ हद तक निरक्षरता और शिक्षा के गिरते स्तर के लिए जिम्मेदार मानी जा सकती है।

सरकार ने हाल ही में एक निर्णय के तहत प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा आठवीं) तक की शिक्षा को भी पंचायतों के अधीन कर दिया गया है।

सुझाव

- वर्तमान में शहरी निकायों (नगर पालिका, नगर परिषद और नगर–निगम) को प्रति व्यक्ति साढ़े बारह रुपये सहायता अनुदान की अपेक्षा पंचायती राज संस्थाओं के मात्र पांच रुपये प्रति व्यक्ति सहायता अनुदान दिया जा रहा है। यदि ग्रामीण जनता को भी अनुदान के मामले में शहरी जनता की बराबरी का दर्जा मिल जाए तो इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जाएगा।
- राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर सरकार गौर करे और आयोग द्वारा वित्तीय सुविधाएं बढ़ाने के जो भी सुझाव दिए जाएं उन्हें यथा संभव लागू करने का प्रयास किया जाए ताकि पंचायती राज संस्थाएं आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो सकें और विकास योजनाओं को चलाने में वित्तीय कठिनाई न आए।
- पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन सरपंच का पंचायत समिति का सदस्य नहीं होने तथा प्रधान का जिला परिषद का सदस्य नहीं होने से इन संस्थाओं के मुखिया नई परियोजनाओं की जानकारी और क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा करने से वंचित रह जाते हैं। अतः यह जरूरी है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में आपसी तालमेल हेतु पूर्व की भांति सरपंचों को पंचायत समिति का और प्रधानों को जिला परिषद का सदस्य बनाया जाए।
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन एक पंजीकृत समिति के रूप में भारत सरकार के निर्देश पर उस समय किया गया था जब देश भर में पंचायती राज की देशव्यापी समान व्यवस्था नहीं थी। 73वें संविधान संशोधन के बाद देशव्यापी पंचायती राज की समान व्यवस्था लागू होने के बाद पृथक से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अस्तित्व बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं रहा है।
- पंचायती राज संस्थाओं को कार्य, शक्तियों एवं संसाधनों के हस्तांतरण में भी साहसिक मानसिकता की जरूरत है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अधीन सभी कार्य पंचायती राज को हस्तांतरित किए जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के प्रभावी मंत्री, शासन सचिव और विभागाध्यक्ष से गहन विचार–विमर्श कर विकास कार्य पंचायती राज को हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने आवश्यक हैं ताकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51, 52 तथा 53 और सम्बंधित अनुसूचियों को सदाश्यता से क्रियान्वित किया जा सके।
- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर पर विभिन्न सेवाओं में तालमेल तथा समन्वय के लिए पंचायत, खण्ड और जिला स्तर पर एक सम्मिलित सचिवालयनुमा भवन हो जिससे सभी विभाग एक साथ मिलकर कार्य कर सकें और आधारभूत सुविधाओं को मिलजुल कर काम में ला सकें।
- आज के बदले परिवेश में यदि जिला प्रमुखों, प्रधानों एवं सरपंचों को उचित मानदेय दिया जाए तो वह ज्यादा व्यावहारिक स्थिति होगी। पंचायती राज और नगरीय स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्राप्त मानदेय की तुलना करने पर ऐसा आभास होता है कि सरकार की नजर में पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का दर्जा शहरी जन प्रतिनिधियों से हल्का ही है।
- उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा को पंचायतों के अधीन करना एक स्वागत–योग्य कदम उसी समय माना जाएगा जब जन–प्रतिनिधि इन संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण साक्षरता को बढ़ाने में रुचि लें और विद्यालयों को राजनीतिक तथा पारिवारिक अखाड़ा न बनने दें। इसके लिए आवश्यक है कि जन–प्रतिनिधि दृढ़ इच्छा–शक्ति और स्पष्ट संकल्प के साथ विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण तैयार करने में अपना योगदान दें।

निष्कर्ष

सरकार ने पंचायती राज सुदृढ़ीकरण को अपनी उच्च प्राथमिकताओं में रखते हुए कुछ ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिए हैं। लेकिन इन निर्णयों को प्रभावी और क्रियान्वित करना भी अत्यन्त आवश्यक है। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज सुदृढ़ीकरण के लिए स्पष्ट संकल्प व्यक्त कर जो सार्थक पहल की है वह पंचायती राज के तथा उसके माध्यम से ग्रामीण विकास की प्रगति के लिए निश्चय ही शुभ संकेत हैं। ❑

कहानी

एक और संकल्प

नरेन्द्र राठौर

'हूम्म... हूम्म... हूम्म'। मूसली की हर धमक के साथ शारदा के गले से निकलने वाली हूम्म की आवाज मूसली की धम–धम के साथ मिलकर एक लय–सी उत्पन्न कर रही थी। बीच–बीच में जब सांस कुछ उखड़ने लगती तो वह कुछ पल सुस्ता लेती और एक हाथ दर्द करने पर मूसली को दूसरे हाथ में संभाल लेती। पिछले आधे घंटे से यह क्रम निरंतर जारी था।

सुबह का समय था। बहू ने द्वार–आंगन लीपने के बाद चूल्हे में लकड़ियां सुलगाकर पतीली में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। शारदा भी जानवरों को सानी देकर स्नान–ध्यान कर बरोठें से चावल निकाल लाई थी। बहू को चावल की नमकीन 'फूलबड़ी' बहुत अच्छी लगती है सो आज उसने बहू के लिए वही बनाने की सोची थी। बार–बार मूसली को एक हाथ से दूसरे में बदलते वह चावल कूटने में पूरी तरह तल्लीन थी तभी उसे बाहर गली में कुछ शोर–सा सुनाई पड़ा। शोर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे लगा मानो सिमट कर वह उसके दरवाजे पर ही आ रहा हो। वह एकाएक कुछ चौंकी, मूसली को एक ओर रखकर घुटनों पर हाथ रख धीरे से उठ खड़ी हुई।

बाहर के कमरे की खिड़की से उसने झांककर देखा, गांव–मुहल्ले के कई नंग–धड़ंग बच्चे उसके घर की ओर हिचकोले लेकर रेंगती एक सफेद किंतु धूल की रंगत से मटमैली हो चुकी कार के पीछे–पीछे शोर करते चले आ रहे थे। कुछ तो उसके बोनट से लटक भी गए थे। पड़ोस के लोग कौतुहल से घर के बाहर आकर, छत पर खड़े या खिड़कियों से झांककर यह नजारा देख रहे थे। कार के शीशे बंद होने की वजह से उसमें अंदर बैठे लोगों को वह नहीं देख सकी। उसे सहज उत्सुकता हुई – 'न जाने कौन है?' उसकी आंखों में एक प्रश्न–चिन्ह था और मन में आशा मिश्रित खुशी का एक आवेग भी। वह जल्दी–जल्दी दौड़कर दरवाजे के पास पहुंची कि तभी बाहर जोरों से दरवाजे की सांकल बजने की आवाज आने लगी। शारदा का दिल अब जोर–जोर से धड़कने लगा था – 'हो न हो यह उसका.....।' उसने लपक कर दरवाजा खोला और अगले पल ही दोनों हाथों से दरवाजे के पलड़ों को पकड़े अवाक् ठगी–सी खड़ी रह गई। सामने सचमुच उसका राजू, उसका 'बचुआ' खड़ा मुस्कुरा रहा था।

आठ वर्षों के अंतराल ने उसकी काया ही पलट दी थी। सूट–बूट में सजा वह वैसा ही सजीला लग रहा था जैसे कभी भूले–भटके गांव की सुध लेने आने वाला कोई सरकारी अफसर। प्यार, खुशी और उमंग से उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। बचुआ को पढ़ा–लिखाकर कुछ बनाने का उसका वर्षों का सपना आज उसे पूरा होता नजर आ रहा था। उसकी छलछला आई आंखों में पानी भरा होने के कारण अब सामने खड़ा राजू, गांव वाले, बच्चे सब धुंधलाने लगे थे। वह जैसे उन सब को देखकर भी नहीं देख पा रही थी। धीरे–धीरे इसी धुंध में से निकलकर एक चित्र उसकी स्मृति में साकार होने लगा। राजू, उसका यही बचुआ। आज से उन्नीस–बीस साल पहले। धूल से सना, गंदा, हाफ पेंट, कमीज की नीचे लटक गई फटी आस्तीन, खिचड़ी बाल और सिर से लेकर नंगे पैरों तक धूल से सनी गंदी काया। दिन–दिन भर गांव की गली–बस्ती में आवारागर्दी कर घूमते रहना और भूख लगने पर घर पहुंच जाना, बस यही उसका काम था।

गांव की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अतः अधिकतर लोग दूर शहर में कमाने–खाने चले गए थे। राजू के बापू भी उन्हीं में से एक थे। महीने के महीने जब पगार मिलती तो वे गांव आते और एक–दो दिन शारदा के पास, घर रहकर फिर काम पर लौट जाते। दोनों में से कोई भी पढ़ा–लिखा नहीं था। न ही उनके पास कोई खेती–बाड़ी, जमीन–जायदाद थी। अतः मजदूरी करके जैसे–तैसे अपना काम चला रहे थे।

इसी तरह दिन एक–एक करके कटते जा रहे थे। उस दिन भी वह आज की तरह घर के काम–काज में लगी थी कि दरवाजे पर आवाज सुनाई पड़ी –

– "भौजी..... अरे कोई है..... ?"

– "कौन..... ? पोस्टमैन भैय्या..... ?" आवाज पहचान कर वह दरवाजे पर दौड़ी चली आई थी।

– "हां भौजी..... मैं हूं। ये लो तुम्हारी चिट्ठी। रामेश्वर ने ही भेजी है।"

शारदा ने चिट्ठी लेकर घर के अंदर आकर दरवाजा बंद किया और आश्वस्त होकर गहरी नजरों से चिट्ठी को निहारते हुए उसी सीने से लगा लिया। आंखें बंद कर वह मन ही मन कुछ पल पति की स्मृतियों को कुरेदते रही फिर उसे पढ़वाने के लिए कमला मास्टरनी के यहां चल पड़ी। पति की चिट्ठी को वह हमेशा कमला मास्टरनी से ही

पढ़वाती थी। वही उसकी ओर से रामेश्वर को चिट्ठी का जवाब भी लिख देती थी। पर वहां पहुंचकर उसे घोर निराशा का सामना करना पड़ा। मास्टरनी पांच–छः दिनों के लिए शहर, अपने घर गई हुई थी। वह परेशान हो उठी। गांव में पढ़ना–लिखना जानते हों, ऐसी एक यह मास्टरनी ही थी जो कुछ ही साल हुए वहां आई थी, एक पंचु सरपंच और एक आशाराम कुम्हार का लड़का था जो मैट्रिक तक पढ़ा था। किंतु इन दोनों में से वह पति की चिट्ठी कैसे पढ़वाती। वह निराश मन से घर लौट आई।

होते–होते आखिर वह दिन आया जब मास्टरनी गांव आई। पर चिट्ठी पढ़ते ही उसे जैसे सांप सूंघ गया। वह देर तक शारदा का मुंह ताकती रही। उसका गला रुंध आया। न चाहते हुए भी उसे वह कटु सत्य बताना पड़ा – "मांजी..... अब बहुत देर हो गई है। यह चिट्ठी रामेश्वर की ओर से उसके ठेकेदार ने लिखी है तुम्हें शीघ्र ही शहर बुलवाया था. ....। खान में काम करते हुए मिट्टी धसक जाने से रामेश्वर चाचा का स्वर्गवास....."

– "नहीं..... यह नहीं हो सकता.....!" शारदा की आंखें पथरा–सी गईं। किस्मत उसके साथ ऐसा क्रूर मजाक भी कर सकती है, इसका उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने मन को कड़ा कर चिट्ठी का एक–एक शब्द पढ़ कर बताने को कहा और तब उसे मालूम पड़ा कि दुर्घटना हुए तो पूरे नौ दिन बीत चुके हैं। अब तक क्या उनकी मिट्टी यों ही रखी होगी? दुख, ग्लानि और क्षोभ से उसका मन चीत्कार उठा। रामेश्वर का सीधा–सादा स्वभाव, उसके साथ बिताए प्यार के वे मधुर क्षण। उसका महीने के महीने गांव आकर उन सबकी खोज–खबर लेना और सूनी आंखों से बचुआ की ओर ताकते रहना। एक–एक दृश्य उसकी आंखों के आगे चित्र–सा घूम गया। टूटे कदमों से घर वापस आकर वह पोटली बांध कर शहर जाने के लिए निकल पड़ी। पर अब वहां क्या रखा था। सब–कुछ तो लुट चुका था। उसके हाथ पति की चिता की राख भी नहीं लगी। ठेकेदार ने बड़ी हील–हुज्जत के बाद मुआवजे के रूप में सौ–सौ के पचास नोट उसकी हथेली पर रख कर जैसे अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। निराश और दुखी मन, वह पति की स्मृतियों को कुरेदती, आंसू पोंछती, तीन दिन बाद गांव वापस लौट आई।

पति की आकस्मिक मृत्यु ने उसके सारे वजूद को हिला कर रख दिया था। कितना तो रोती रही थी वह, उस दिन से। मन किया था दीवारों से सिर पटक–पटक कर स्वयं भी अपनी जान दे दे। पर नन्हे राजू का मासूम चेहरा देखकर उसने अपने मन पर पत्थर रख लिया था। सारा दर्द अकेले पीते रहने के साथ आखिर एक दिन उसने समझ लिया था कि इस तरह शोक करते, बैठे रहने से काम नहीं चलने का।

अंतिम समय में भी पति के पास न पहुंच सकने का गहरा संताप उसे हमेशा सालता रहता था। इस बात के कारण और अपने जीवन के बारे में लगातार सोच–सोच कर वह इसी निर्णय पर पहुंची थी कि इन सारी मुसीबतों का एक ही कारण है – उसका पढ़ा–लिखा न होना। यदि उस दिन वह चिट्ठी पढ़ सकती तो कम से कम अपने पति के अंतिम दर्शन तो कर पाती। पति भी यदि पढ़ा–लिखा होता तो क्यों उसे उन सबको गांव में छोड़कर अकेले इतनी दूर शहर में कमाने–खाने जाना पड़ता। किंतु जो हुआ, सो हुआ, आगे ऐसा नहीं होगा। पति पढ़ा–लिखा नहीं हुआ, वह स्वयं लिख–पढ़ नहीं सकी तो क्या। वह अपने बचुआ को ऐसा नहीं रहने देगी। उसे खूब पढ़ाएगी। दिन–रात मेहनत–मजूरी ही क्यों न करनी पड़े।

और फिर शुरू हुआ था संकल्प की राह पर एक लंबा सफर। बचुआ के धूल से सने रहने वाले कपड़ों की जगह अब साफ–सुथरी स्कूली यूनिफार्म ने ले ली थी। घर के अभाव, कम उम्र में पिता की मृत्यु और मां की भरपूर दीक्षा ने उसे अपनी उम्र से अधिक समझदार बना दिया था। वह पूरे मन से कक्षाओं की सीढ़ियां एक–एक कर चढ़ने लगा। घर के खर्चे और अपनी पढ़ाई के लिये वह मां को दिन–रात खटते देखता तो उसका संकल्प और भी मजबूत हो जाता। वह बहुत जल्दी इन सारे दुखों, सारे अभावों को नोच कर दूर फेंक देना चाहता था। शारदा को वह दिन आज भी अच्छी तरह याद है जब आगे पढ़ाई के लिए उसने बचुआ को उस शहर से दूर जिले के एक बहुत बड़े कालेज में दाखिला दिलाया था। उस दिन खुशी के मारे वह भगवान को गुड़–चने का भोग लगाकर सारे गांव को प्रसाद बांट आई थी। हर कोई उसके इस बावलेपन को चकित भाव से देख रहा था। कालेज की शिक्षा पूरी कर लेने के बाद भी राजू रुका नहीं था। आगे और आगे बढ़ने के उसके संकल्प, उसकी महत्वाकांक्षा को यहां तक पहुंच कर ही संतोष नहीं था। वह प्रतियोगी परीक्षा में बैठा और अच्छे नंबरों से उसमें सफलता प्राप्त करने के बाद उच्च पद प्राप्त कर सरकारी नौकरी में आ गया था।

दो वर्ष इसी घोर साधना में गुजर गए। इस बीच वह गांव भी नहीं आ सका था। उसका मन अपनी पढ़ाई, अपनी साधना से न भटके इसलिए शारदा भी इस दौरान शहर नहीं गई थी। परीक्षा में सफल होने और बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बन जाने की बात उसने जान–बूझकर अब तक मां से छिपा कर रखी थी। शारदा को बस उसकी एक छोटी–सी चिट्ठी मिली थी कि उसकी परीक्षा समाप्त हो गई हैं और थोड़े ही दिनों में वह गांव आने वाला है। मां को अपनी सफलता की कहानी वह गांव पहुंचकर प्रत्यक्ष सुनाना चाहता था। कमला मास्टरनी का अब गांव से स्थानांतरण हो गया था। घर में बहू थी ही। शारदा ने वह चिट्ठी अपनी बहू से ही पढ़वा कर बेटे की आस में एक–एक दिन गिनना आरंभ कर दिया था। और आज वह शुभ दिन था जब उसका बेटा, उसका बचुआ उसकी आंखों के आगे खड़ा था। उसके संकल्प, उसके सपने और उसकी आशा से भी अधिक ऊंचा बन के। उसके गांव के विशाल बरगद–सा ऊंचा, भरा–पूरा और गर्व से तना। खुशी के अतिरेक ने उसकी आंखों में बंधा आंसुओं का घना बांध तोड़ दिया। आज इस खुशी में वह सारे गांव को अपने साथ बहा ले जाना चाहती थी।

राजू ने मां को रोते देखा तो उसका भी मन भर आया। आगे बढ़कर उसने ज्यों ही मां के पैर छूने चाहे, शारदा ने उसे खींच कर अपने सीने से लगा लिया। बच्चों का शोर अब थम चुका था। केवल एक आर्त दिल की आवाज का स्वर ही गूंज रहा था। गांव वाले सभी इस क्षण को अपनी आंखों में भर लेने के लिए मूक, स्थिर होकर खड़े थे। भावनाओं का उफान जब कुछ कम हुआ तो मां–बेटे दोनों अन्दर दालान में आ गए। पीछे–पीछे गांव वाले भी चले आए। सबको अपने गांव के बेटे राजू से न जाने कितनी बातें करनी थीं।

वह पूरे एक माह की छुट्टियां लेकर गांव आया था। वापसी में वह अपने साथ मां को शहर ले जाना चाहता था। पर शारदा गांव का अपना घर छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी घर में वह एक दिन दुल्हन बन कर आई थी। इसकी मिट्टी में गहरे तक उसके पति रामेश्वर की यादों की जड़ें फैली थीं, इन्हें वह काटना नहीं चाहती थी। राजू ने मां की भावनाओं को समझ कर और जिद नहीं की।

उसे घर पर आए एक हफ्ता हो गया था। शारदा उसकी सफलता की कहानी, बड़ी सरकारी नौकरी मिलने की बात आदि सभी सुन चुकी थी। अपना संकल्प पूरा हुए देख उसे बहुत खुशी थी। फिर भी उसके मन में एक फांस थी जो प्रायः चुभती रहती थी। बैठे–बैठे वह अक्सर पति की स्मृतियों में खो जाती। अंतिम समय में उनकी सेवा, उनके दर्शन न कर पाने की उसे गहरी वेदना थी। उस दिन भी वह इसी तरह बैठी कहीं शून्य में ताक रही थी। राजू ने उसे यूं बैठे देखा तो उसके पास आकर बैठ गया।

"मां, शहर तुम जाना नहीं चाहतीं। यहां अकेले रहकर क्या इसी तरह बापू की याद में घुलती रहोगी?"

"नहीं बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। मैं तो यूं ही बैठे–बैठे....."

"नहीं मां, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। एक बात कहूं? तुमने मुझे इतना पढ़ा–लिखा दिया है पर एक बात कभी सोची है, पिता के अंतिम समय में तुम उनके पास क्यों न पहुंच सकीं?"

"जानती हूं बेटा। क्योंकि मैं एक चिट्ठी नहीं पढ़ सकती थी।"

"हां यही तो मैं भी कह रहा हूं। अब तक तो तुम मुझे पढ़ाने में लगी रहीं। अब घर में बहू भी आ गई है। तुम्हारे पास समय है मां। अब तुम भी पढ़ना–लिखना सीख लो। इससे तुम्हारा समय भी अच्छा कट सकेगा और पढ़–लिखकर तुम गांव की दूसरी औरतों और बच्चों को पढ़ा भी सकोगी। फिर मेरी चिट्ठी का जवाब भी तुम खुद ही लिखना।"

"सो तो ठीक है बेटा पर इस उम्र में.....?"

(शेष पृष्ठ 48 पर)

सत्ता का विकेंन्द्रीकरण और ग्राम राज की स्थापना

डा0 नरेन्द्र पाल सिंह*

गांवों में स्वराज की स्थापना गांधी जी का सपना था। उनका मानना था कि गांवों में पंचायती राज होने से गांवों का विकास तीव्र गति से होगा क्योंकि पंचायत प्रमुख ग्रामीण निवासी होने के नाते गांव की समस्याओं को भली–भांति समझकर उनका सफलतापूर्वक निराकरण कर सकेगा। सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होगी, जिससे ग्रामीण विकास में तेजी आने की सम्भावना बढ़ेगी।

भारत में विकेंद्रीकरण योजना का आरम्भ 1959 में हो गया था। आज यह क्षेत्रीय कार्यक्रम निम्न स्तर से उठकर राष्ट्रीय तथा राजकीय स्तर पर अच्छी तरह व्यवस्थित और स्थापित है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस योजना में सुधार और विस्तार हुआ। केंद्रीकृत योजनाओं की खामियों को दूर करने के उद्देश्य से विकेंन्द्रीकरण योजना का जन्म हुआ। गांव विकास की मूल इकाई है और इसके विकास की धुरी है ग्राम पंचायतें। पंचायतों की प्रणाली में व्याप्त विसंगतियों में सुधार हेतु 24 अप्रैल 1993 को संविधान अधिनियम (73वां संशोधन) लागू किया गया तथा उसमें उनके कार्यक्षेत्र, क्रियाकलापों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम, जिला तथा मध्यवर्ती स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था की गई।

अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए नई व्यवस्था का ढांचा प्रस्तुत किया है। जिसमें पंचायत स्तर पर :

- प्राथमिक पाठशाला, राजकीय नलकूप, हैण्ड पम्प, राशन की दुकान, स्वास्थ्य उपकेंद्र, पशु–चिकित्सा केंद्र पोषाहार कार्यक्रम के अतिरिक्त कृषि ग्राम्य–विकास तथा पंचायती राज विभागों के चयनित कार्यों का ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार और गरीबी उन्मूलन योजनाओं का संचालन किया जाएगा।
- सौंपे गए कार्यों के लिए विभागों के बजट से नियत धनराशि का ग्राम–पंचायतों को सीधा हस्तांतरण किया जाएगा।
- पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि 'ग्राम निधि' में जमा होगी, जिस पर ग्राम पंचायत का पूर्ण नियन्त्रण होगा।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिकतम दो पंचायत कर्मी तैनात होंगे, जिनका पदनाम ग्राम पंचायत तथा विकास अधिकारी होगा।
- ग्राम पंचायत तथा विकास अधिकारी ग्राम पंचायत के सभी कार्य पूर्णकालिक बहुउद्देशीय कर्मी के रूप में सम्पादित करेंगे।
- कार्यों के सम्पादन और निगरानी के लिए समितियों का गठन किया जाएगा।

विकास खंड स्तर पर

- विकास खंड के सभी विकास कार्यों की योजना बनाने और समन्वय का कार्य क्षेत्र समिति द्वारा किया जाएगा।
- प्रथम चरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु–चिकित्सा केंद्र, बीज गोदाम, खाद्य सामग्री गोदाम आदि क्षेत्र पंचायत के अधीन होंगे।
- विकास खंड के अधिकारी तथा कर्मचारी क्षेत्र पंचायत की देख–रेख में कार्यों का सम्पादन करेंगे।

* वरिष्ठ प्रवक्ता, वाणिज्य विभाग, साहू जैन पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ. प्र.)

- विकास खंड में विकास कार्यों को संचालित करने के लिए समितियां गठित की जाएंगी।
- ऐसी योजना जो कई गांवों के लिए है, उसका संचालन क्षेत्र समिति द्वारा किया जाएगा। कार्यों के सम्पादन के लिए विभागों के बजट में नियत धनराशि का 'क्षेत्र निधि' में हस्तांतरण किया जाएगा।
- 'क्षेत्र निधि' पर 'क्षेत्र–समिति' का पूर्ण नियंत्रण होगा।

जिला स्तर पर

- जनपद के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना तथा वार्षिक जिला योजना तैयार करने के लिए 'जिला नियोजन समिति' का पुनर्गठन किया जाएगा।
- विकास से संबंधित विभागों के जिला–स्तरीय अधिकारी जिला पंचायत के अधीन होंगे।
- 'जिला ग्रामीण विकास अभिकरण' (डी.आर.डी.ए.) का पुनर्गठन किया जाएगा तथा जिला पंचायत का अध्यक्ष डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन होगा।
- जनपद के विकास कार्यक्रमों को संचालित करने, समन्वय स्थापित करने और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जिला–स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा।
- जनपद में विकास कार्यों के संचालन के लिए जिला पंचायतों को व्यापक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार होंगे।

सत्ता के विकेंद्रीकरण में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के कार्य, अधिकार–क्षेत्र, स्टाफ आदि में वृद्धि की गई है। विकेंद्रीकरण करने और पंचायतों के कार्य और अधिकार–क्षेत्र में वृद्धि करने का कोई भी कार्य वित्तीय संसाधनों के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। इसके लिए पंचायतों के अधिकार–क्षेत्र में दिए जाने वाले विभागों के कार्यों के लिए बजट में निर्धारित धनराशि सीधे पंचायतों को देने की व्यवस्था की गई है। इसके अन्तर्गत राज्य के करों की कुल आय की चार प्रतिशत धनराशि पंचायतों को सीधे देने का निर्णय लिया गया है। जिससे पंचायतों को सीधे प्राप्त होने वाली धनराशि में अभूतपर्व वृद्धि होगी। इस प्रकार पंचायतों को 1996–97 में प्राप्त होने वाली धनराशि की तुलना में 1999–2000 में प्राप्त राशि में लगभग 16–17 गुना वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त राज्य की पंचायतों को जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना के लिए 583 करोड़ रुपये तथा दसवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 189 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। यह धनराशि प्रतिवर्ष आनुपातिक दर से बढ़ती रहेगी।

ग्राम पंचायतों के अधिकार – क्षेत्र में 19 विभाग दिए गए हैं जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, राजकीय नलकूप, ग्रामीण पेयजल, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, पशु–चिकित्सा, युवा–कल्याण, समाज–कल्याण, महिला–कल्याण, बाल–विकास, गन्ना भूमि–विकास, जल संसाधन, कृषि, खाद्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग शामिल हैं।

सरकार ने उपर्युक्त सभी विभागों के चयनित कार्यों का हस्तांतरण ग्रामीण निकायों को किया है तथा इन विभागों के सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी ग्रामीण निकायों के अधीन ही कार्य करेंगे। जो भी कार्य सौंपे जाएंगे उनकी धनराशि सीधे ग्रामीण निकायों को दी जाएगी। ग्राम पंचायतों को शिक्षक और ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का अधिकार भी सौंपने का निर्णय लिया गया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.), जिला मत्स्य विकास अभिकरण और जिला सिंचाई विभाग के अध्यक्ष अब जिलाधिकारी न होकर जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे। जिला योजना समिति के 80 प्रतिशत प्रतिनिधियों का चुनाव ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के सदस्यों में से होगा तथा हस्तांतरित कार्यों की परिसम्पत्तियां ग्रामीण निकायों के स्वामित्व में ही रहेंगी।

ग्राम पंचायत के कार्य में पारदर्शिता

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ महीने पहले एक कदम उठाया गया था कि प्रधान पद के लिए निकटतम हारे प्रत्याशी को बैठकों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा वह एक सदस्य के रूप में माना जाएगा। परंतु ग्राम प्रधानों ने मिलकर इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया गया क्योंकि गलत कार्यों के लिए हारे हुए प्रत्याशी विरोध स्वरूप बोलते। अब सरकार ने ग्राम प्रधानों की बात का समर्थन करते हुए अपने इस प्रस्ताव को वापिस ले लिया है और इसके स्थान पर कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक ग्राम वासी नाम मात्र का शुल्क जमा करके ग्राम पंचायत के किसी भी अभिलेख की प्रति प्राप्त कर सकता है।

कार्य की प्रक्रिया

ग्राम पंचायतें अपने ग्राम की विकास योजनाओं को तैयार कर क्षेत्र पंचायत को भेजेंगी। क्षेत्र पंचायतें ग्राम पंचायतों की योजनाएं संकलित कर जिला पंचायत को भेजेंगी और जिला पंचायतें इन्हें समेकित कर जिले की विकास योजना का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित करेंगी तब राज्य सरकार इसे अंतिम रूप देगी।

विकेंद्रीकरण के लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार ने सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए दलील दी है कि इस योजना से निम्नलिखित लाभ होंगे :

- स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही निदान संभव होगा।
- विकास कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण स्थानीय स्तर पर ही होगा।

- स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों के संचालन से प्रभावी पर्यवेक्षण सम्भव होगा।
- स्थानीय स्तर पर प्रभावी पर्यवेक्षण से कार्यों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- विकास कार्यों पर व्यय होने वाली धनराशि के स्थानीय पर्यवेक्षक से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।
- स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने से विकास कार्यों में तेजी आएगी।
- विकास कार्यों के लिए उपलब्ध धनराशि का दुरुपयोग नहीं होगा।
- स्थानीय स्तर पर स्थानीय साधनों से स्वयं अपनी देख–रेख में कार्य करने से कार्य की लागत में कमी आएगी।
- ग्रामीण स्थानीय निकाय अब छोटे कार्यों जैसे हैण्डपम्प, राजकीय नलकूप और विद्यालय भवन की मरम्मत आदि के लिए शासन पर निर्भर नहीं रहेंगे।
- विकास कार्य लाल फीताशाही और नौकरशाही से मुक्त हो जाएंगे।
- स्थानीय पर्यवेक्षण में कार्य करने से पंचायतों को हस्तांतरित स्टाफ की स्पष्ट जवाबदेही होगी।

विकेंद्रीकरण के लाभों के साथ सबसे अधिक चिंतित हैं वे कर्मचारी जो पंचायत के अधीन कार्य करेंगे लेकिन सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि, प्रोन्नति, नियोक्ता अधिकारी, सेवानिवृत्ति के लाभ तथा सभी सेवा शर्तें पूर्ववत रखने का फैसला किया है तथा किसी की छंटनी नहीं होगी तथा अवकाश स्वीकृति का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है। परंतु आज की व्यवस्था में जब भ्रष्टाचार तथा अकर्मण्यता अपने चरम बिंदु पर है और जातिवाद का बोल–बाला है तो यह मानकर चलना कि सारे लाभ प्राप्त हो जाएंगे इस बात में संशय दिखाई देता है ।

यह बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों को सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ–साथ कार्य, अधिकार, स्टाफ और धन का सीधा हस्तांतरण करेंगी। लेकिन आज की सामाजिक व्यवस्था को देखकर यह बात सीधे–सीधे गले नहीं उतरती कि पंचायतें उपर्युक्त सभी बातों को सही रूप में लागू कर पाएंगी।

अधिकांश ग्राम पंचायतों में आरक्षण के कारण महिलाएं या वृद्ध तथा अशिक्षित व्यक्ति प्रधान पद पर आसीन हैं जो कि अपने विवेक का थोड़ा–सा भी इस्तेमाल नहीं कर पाते और कार्य–व्यवस्था में उनके पति या सम्बन्धियों द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। उपर्युक्त सभी योजनाएं यदि पंचायती स्तर पर सौंपी जाती हैं तो पंचायत से जुड़े सभी लोगों के लिए

सदस्यता कूपन

मैं/हम कुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये का
दो वर्ष के लिए 135 रुपये का
तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का

(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

पता .....

.....

पिन .....

इस कूपन को काटिए और इस पृष्ठ की पिछली ओर बने बाक्स के नं. 3 में दिए गए पते पर भेजिए।

न्यूनतम योग्यता निर्धारित अवश्य की जानी चाहिए तथा उसके बाद जो भी योजना सरकार द्वारा लागू की जाए उससे सम्बन्धित जिला स्तर पर समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। लेकिन जहां ग्राम–प्रधानों की बात नहीं मानी जाती जैसे कि अधिकांश महिला प्रधानों के सम्बन्ध में जब निर्णय कोई और व्यक्ति लेता हो तो प्रशिक्षण का औचित्य भी समाप्त हो जाता है।

यह सोच चाहे पंचायत स्तर पर, विकास खण्ड स्तर पर या फिर जिला स्तर पर हो कि हम नई व्यवस्था के अधीन सत्ता के विकेंद्रीकरण को अपनाएगें। किंतु इससे एक तो इन सभी स्तर पर चुनाव की विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि इस भौतिकतावादी युग में सत्ता, पैसा और अधिकार सभी पंचायतों को हस्तान्तरित किए जाने का प्रावधान है तो इससे और पैसे का अधिक दुरुपयोग होगा क्योंकि प्रत्येक गांव में या तो जाति के आधार पर या राजनीतिक पार्टी के आधार पर या अमीर या गरीब के आधार पर लोग दो या तीन वर्गों में बंटे होते हैं।' ऐसे में जिस वर्ग का भी ग्राम प्रधान होगा उसी वर्ग के लोगों का कार्य सम्पन्न हो पाएगा और धन भी उसी क्षेत्र में लगेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी योजनाएं लागू की जाएं उनकी जवाबदेही और मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए और एक समिति द्वारा प्रत्येक माह या तिमाही में अवश्य मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पंचायत स्तर पर जो भी योजनाएं हों उनका प्रचार और प्रसार होना अति आवश्यक है। इसके लिए जन–अभियान की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जो योजनाएं जिन व्यक्तियों से सम्बन्धित हैं उन्हीं पर लागू की जानी चाहिए। योजना लागू करते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को सुविधाएं दी गई हों चाहे वे कृषि से सम्बन्धित हों या स्वास्थ्य से या बुनियादी ढांचे से सम्बन्धित हों, उनकी पूर्ण जानकारी उन्हें होनी चाहिए। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को किसी योजना के अंतर्गत ऋण दिया गया है तो उसे कब और कितना वापस करना है तथा कैसे उसका उपयोग करना है यह जानकारी होनी चाहिए अन्यथा ऋण डूबने की सम्भावना होती है तथा योजना का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाता।

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण का उद्देश्य बुरा नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आज के वातावरण को देखकर जो भी योजनाएं लागू की जाएं उनका क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन सही ढंग से हो तथा क्रिया–कलापों में व्यावहारिकता लाई जाए। ऐसा होने पर कोई कारण नजर नहीं आता कि ग्रामीण विकास के कार्य में तेजी न आए। ❑

1. हम दिल्ली से *योजना* **अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, पंजाबी और उड़िया में**
   कुरुक्षेत्र **हिन्दी और अंग्रेजी में**
   आजकल **हिन्दी और उर्दू में**
   और बच्चों की पत्रिका *बाल भारती* **हिन्दी में** प्रकाशित करते हैं।
2. डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर निदेशक प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय होना चाहिए।
3. यह कूपन विज्ञापन और प्रसार संख्या प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक 4, लेवल–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066 के पते पर भेजिए।
4. सदस्य बनने के लिए आप हमारे निम्नलिखित केन्द्रों पर भी सम्पर्क कर सकते हैं:

   प्रकाशन विभाग : पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली–110001; सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001; कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई–400038; 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता–700069; राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई–600090; बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना–800004; निकट गवर्नमेंट प्रेस, प्रेस रोड, तिरुअनंतपुरम–695001; 27/6, राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ–226019; राज्य पुरातत्वीय संग्रहालय बिल्डिंग, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद–500004; प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरा मंडल, बंगलौर–560034; सम्पादक, पेयोभरा, नौझम रोड, उजान बाजार, गुवाहाटी–1; सम्पादक, योजना (गुजराती), राम निवास, पालदी बस स्टाप के पास सरखेज रोड, अहमदाबाद

   पत्र सूचना कार्यालय : सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, 'ए' विंग, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.); 80, मालवीय नगर, भोपाल–462003; के–21, नंद निकेतन, मालवीय मार्ग, 'सी' स्कीम, जयपुर–302003
5. शुल्क प्राप्त होने के बाद नियमित रूप से पत्रिका के अंक मिलने शुरू होने में आठ से दस सप्ताह का समय लगता है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में पंचायती राज

विविन्द्र कुमार सोनी*

देश में आधी आबादी महिलाओं की है तो क्या देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव है? नहीं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि उन्हें भी देश के विकास में पुरुषों के समान भूमिका निभाने का अवसर मिलना चाहिए।

क्या समाज तथा राजनीति में स्त्रियों की भागीदारी को आरक्षण की व्यवस्था द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है? क्या महिला सशक्तिकरण के लिए कोई और रास्ता भी हो सकता है जो एक निश्चित अवधि में लड़की के जन्म को अभिशाप न समझने की मानसिकता पैदा करे, स्त्रियों में आत्म–विश्वास पैदा करे, उनमें सामाजिक–कुप्रथाओं को रोकने का आत्म–साहस उत्पन्न करे, शिक्षा और सामाजिक जीवन में बराबर का दर्जा दे? इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से अथक प्रयास किए गए परंतु वे सब निरर्थक साबित हुए क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में आधी आबादी की समस्याओं को कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं था। तो क्या सही शुरुआत राजनीति में आरक्षण की व्यवस्था करने से ही संभव है। 73वां संविधान संशोधन इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि इसमें न केवल पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है, बल्कि इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें भी आरक्षित की गईं है।

सतही स्तर पर इस व्यवस्था को बनाकर यह कहा जाने लगा है कि विश्व के किसी अन्य देश की शासन व्यवस्था में महिलाओं को इतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जितना कि भारत में दिया गया है। परंतु क्या व्यवस्था बना देने से ही आधी–आबादी का विकास हो गया? संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में कहा गया है कि "लोगों की भागीदारी और फैसले लेने में भूमिका उनके स्वभाव पर निर्भर करती है न कि उस ढांचे पर जिसमें वे भाग लेते हैं।"

*शोधार्थी महिला एवं बाल–विकास प्रभाग,
डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू (म. प्र.)

इस समय जो निरक्षर महिलाएं पंचायतों में कार्यरत हैं वे अनपढ़ होने की वजह से अपने आपको असहाय महसूस करती हैं। कहीं आगे आने वाली संतान भी इसी तरह असहाय महसूस न करें, इसके लिए वे अपने बच्चों को विशेष रूप से लड़कियों को, विद्यालय भेजने की इच्छुक हैं। इससे आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की साक्षरता दर तेजी से बढ़ेगी। एक अध्ययन से पता चला है कि हरियाणा में महिलाओं के पंचायतों में आरक्षण से एक स्पष्ट क्रांति सामने आने लगी है। पंच के रूप में निर्वाचित ज्यादातर महिलाएं अनपढ़ थीं, दो वर्ष बाद वे अपनी बेटियों को शिक्षा देने की मांग करने लगी हैं।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की उपलब्धियां अनेक हैं, जिनका संपूर्ण ब्यौरा देना संभव नहीं है परंतु कुछ संक्षिप्त विवरण महिलाओं के कार्यों और निर्णयों की आश्चर्यजनक तस्वीर पेश करते हैं–राजस्थान के अलवर जिले की निम्मुचाना गांव की सरपंच श्रीमती कोयली देवी ने अपने ही ससुर और पति को अधिसूचना जारी की कि वे बताएं कि पंचायत की जमीन हड़पने की वजह से उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों न की जाए। हरियाणा की खाम्बी ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने सबसे पहले सार्वजनिक जमीन को दो वर्ष के लिए 60,000 रुपये के ठेके पर दिया जबकि वही जमीन उससे पहले 20,000 रुपये के पट्टे पर पांच वर्ष के लिए दी गई थी। रेबड़ी ब्लाक की एक महिला सरपंच ने अपने इलाके से शराब की दुकान हटवाई। बेट्टा–पट्टी ग्राम पंचायत की सरपंच ने वहां पानी की समस्या का समाधान करवाया। कुछ राज्यों में निर्वाचित महिलाओं ने कम–वेतन तथा पीने के पानी के खिलाफ विरोध–प्रदर्शन में भाग लिया।

इन उपलब्धियों से सामाजिक परिवर्तन की झलक साफ दिखाई देने लगी है। अधिकांश महिलाएं अपने परिवेश तथा समाज में सुधार और आस–पास की समस्याओं को हल करने में उतनी ही दिलचस्पी ले रही हैं, जितनी कि वे अपने परिवार के कल्याण में लेती हैं। कुछ

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि पंचायत जैसी संस्थाओं में महिलाएं पुरूषों की तुलना में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं।

आज भले ही पंचायतों में महिलाओं की स्थिति को लेकर प्रश्न उठाया जा रहा है, परंतु यह धारणा बिल्कुल गलत है कि महिलाएं कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हैं या उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। वास्तविकता यह है कि अब तक महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था और सामाजिक– राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ने के मार्ग में अड़चनें पैदा करने का ही प्रयास किया गया। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि जब भी महिलाओं को आगे आने का अवसर मिला है, उन्होंने इसका पूरा–पूरा उपयोग किया है। यह हमें विभिन्न राज्यों में हुए पंचायत संस्थाओं के चुनावों से ज्ञात होता है। यूं तो पंचायत के हर स्तर पर एक तिहाई महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, परंतु कुछ राज्यों में इससे अधिक संख्या में चुनी गई हैं। कर्नाटक ग्राम पंचायत के स्तर पर 46.7 प्रतिशत, पंचायत समिति के स्तर पर 40.2 प्रतिशत और जिला पंचायत के स्तर पर 36.5 प्रतिशत महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 38 प्रतिशत महिलाएं हैं। पश्चिम बंगाल में 35.4 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 36.4 प्रतिशत है। इस प्रकार केवल सदस्यों के स्तर पर ही नहीं, पंचायत अध्यक्ष के स्तर पर भी अनेक राज्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निर्धारित अनुपात से ज्यादा है।

गंभीर विषयों पर विचार–विमर्श करतीं महिला पंचायत सदस्य

इसमें संदेह नहीं कि समाज करवट ले रहा है, स्त्रियों में जागृति आ रही है, शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़ रहा है, पर्दा–प्रथा विदाई के रास्ते पर है और महिलाओं की आवाज सशक्त हो रही है, मगर यात्रा काफी लम्बी है। यह तो महिला सशक्तिकरण का पहला अध्याय मात्र ही है। सतही स्तर पर पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देकर जहां उनकी भागीदारी को एक हद तक बढ़ावा मिला है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर अभी बहुत कुछ करना शेष है। महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद जो महिलाएं संसद और विधान सभाओं में चुनकर आएंगी, उनका पंचायत स्तर की महिलाओं तक 'नेटवर्क' होगा जिसके कारण पंचायत में महिलाओं को और अधिक सशक्त होने का अवसर मिलेगा

महिलाओं के स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का उपयोग करने तथा सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्र में अपनी निजी भूमिका निभाने में अनेक बाधाएं हैं। लेकिन जिस समाज में महिलाओं का घर से बाहर निकलना तक अच्छा न समझा जाता रहा है, उस ग्रामीण–परिवेश में निश्चय ही एक नई चेतना का संचार हुआ है। निरक्षरता, गरीबी तथा परम्परा के बंधनों को तोड़ना मुश्किल होते हुए भी अब जरूरी हो गया है। कम–से–कम प्रारंभिक चरण में ही सही, शक्तिशाली लोग अपने फायदे के लिए अनमने ढंग से ही सही, महिलाओं को चुनाव में खड़ा तो कर रहे हैं। आरक्षण की इस व्यवस्था से महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु एक मौन–क्रांति के युग का प्रारंभ हो गया है, जिससे आने वाले वर्षों में सकारात्मक परिणाम निश्चय ही सामने आएंगे।

महिला सशक्तिकरण में बाधाएं

अनेक स्थानों पर जब महिला प्रतिनिधि अपनी जागरूकता का परिचय देने या शक्तियों और अधिकारों के प्रति उत्सुकता दिखाने को आगे आती हैं तो ग्रामीण समाज का अधिकांश दबंग पुरुष वर्ग इन महिला प्रतिनिधियों के साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न, मारना–पीटना, अपशब्द (गाली–गलौच) कहना, निर्वस्त्र करके घुमाना, कुर्सियों पर न बैठने देना, उनके चाय के कप को उनसे ही धुलवाना (जातिगत–भेदभाव), झण्डा न फहराने देना (अधिकार से वंचित करना) आदि अमानवीय व्यवहार करता है। इन घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कदम उठाना जरूरी है, वरना इससे महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी और महिला सशक्तिकरण की दिशा में की गई संवैधानिक व्यवस्था कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगी।

दूसरी तरफ कुछ राज्यों में विशेषकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में महिला प्रतिनिधियों को दण्डित करने का एक तरीका निकाला गया है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सम्बद्ध सरपंच, उप–सरपंच को इस्तीफा देना पड़ता है। जिन पंचायतों में महिलाएं सरपंच हैं, वहां के पुरुष सदस्य उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें बेदखल कर देते हैं और सरपंच के पद पर कोई पुरुष बैठ जाता है। इस षडयंत्र का शिकार ज्यादातर पिछड़ी जातियों की दलित महिलाओं को होना पड़ता है। इस प्रकार की साजिश को रोकने की दिशा में प्रयास जरूरी हैं।

एक तीसरा पक्ष यह है कि महिला प्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार में फंसाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 1,350 से अधिक महिलाएं भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में घिरी हुई हैं। कारण निरक्षरता। उन्होंने तो केवल अंगूठा लगा दिया, यह जाने बिना कि वे किस प्रस्ताव पर अंगूठा लगा रहीं हैं। भ्रष्टाचार में घेरी गई इन महिलाओं के मामले में यह पता लगाया जाना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग थे? उन लोगों को दण्ड मिलना चाहिए, जिन्होंने अपना लाभ लिया और निरक्षर–निर्दोष महिलाओं को भ्रष्टाचार में फंसा दिया।

पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है वह निश्चित ही हमारे सामाजिक–आर्थिक विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर करेगा। परंतु इसके लिए हमें इस दिशा में निम्नलिखित कदम शीघ्र उठाना जरूरी है :

पूर्णतः महिला पंचायत संस्थाओं का गठन

पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कानून द्वारा पूर्णतः महिला (आल–वूमेन) पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। इस दिशा में कुछ राज्यों ने पहल की है, परंतु इन राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तरों में से केवल ग्राम पंचायत स्तर पर ही पूर्णतः महिला पंचायतों का गठन किया है। महाराष्ट्र में तेरह, मध्य प्रदेश में सात, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और हरियाणा की एक–एक ग्राम पंचायत पूर्णतः महिला पंचायत हैं।

पूर्णतः महिला पंचायतों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और इसे पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर गठित किया जाना चाहिए। इसके गठन से पंचायतों के सभी कार्यों में पुरूषों का हस्तक्षेप नहीं रहेगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विकास की रूकावटें कम होंगी और महिलाओं में राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ सकेगी।

किशोरी पंचायतों का गठन

73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण पर बल दिया है इसलिए किशोरी लड़कियों के एक समूह को परिकल्पित किया गया था। इन किशोरी पंचायतों को बनाने के पीछे लक्ष्य यह था कि किशोरी लड़कियों में पंचायती राज के बारे में जागरूकता पैदा की जाए और उनकी इस समझ का उपयोग अन्य महिलाओं को प्रभावित करने में किया जाए। अभी किशोरी पंचायतें महिलाओं को सूचना केंद्र की बैठकों में शामिल होने और पंचायत की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने और गोल बंद करने में लगी हैं।

महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण

भारतीय समाज में महिलाओं को विशिष्ट स्थान और महत्व देने की बात कही जाती है, लेकिन जहां तक उन्हें पद और अधिकार देने की बात है, उनकी हमेशा उपेक्षा और कई अर्थों में तिरस्कर होता आया है। एक–तिहाई आरक्षण ने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने में मदद की है परंतु यह समानता की अवधारणा से परे है। अतः पंचायतों में एक तिहाई आरक्षण के स्थान पर 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था

महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण देना आवश्यक है। प्रशिक्षण स्थानीय भाषा में हो, समय इस प्रकार निर्धारित किया जाए जिससे समस्त प्रतिनिधि उपस्थित हो सकें। इस दिशा में प्रयास हो रहा है, परंतु प्रशिक्षण का कार्य सतत् किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक प्रशिक्षण संस्था बनाई जानी चाहिए।

आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था के सकारात्मक परिणामों को देखकर यह कहा जाने लगा है कि यदि पंचायती राज व्यवस्था को बहुत पहले ही संवैधानिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया होता तो आज हमारी उपलब्धियां कुछ और ही होतीं। परंतु संसद और विधान मंडलों में महिला आरक्षण व्यवस्था का शीघ्र लागू न होना यह बता रहा है कि महिलाओं को अधिकार और पद देने के लिए पुरुष वर्ग अभी तैयार नहीं है।

संदर्भ सूची :

1. मिश्रा, स्वेता : 'पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता' कुरुक्षेत्र, मई 1997
2. 'पंचायती राज अपडेट, सितम्बर 98, इंस्टिट्यूट आफ सोशल सांइसेंस
3. असलम, एम, : 'पंचायती राज व्यवस्थाःविकास के तरीके में बदलाव की जरूरत' कुरुक्षेत्र, अप्रैल 1998
4. गुप्त, जितेन्द्र : 'जन और मातृशक्ति की प्रतिष्ठा' कुरुक्षेत्र, जुलाई 1994
5. कुकरेजा, सुंदरलाल : 'पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता', कुरुक्षेत्र, अप्रैल 1998
6. दुबे, दिवाकर : '73वें संविधान संशोधन से सत्ता का विकेन्द्रीकरण' कुरुक्षेत्र, मई 1997
7. महीपाल : 'पंचायती राज व्यवस्था के चार वर्ष : एक मूल्यांकन', कुरुक्षेत्र, मई 1997
8. महीपाल : 'पंचायती राजः अब तक और अगले डेढ़ दो दशक तक' कुरुक्षेत्र अगस्त 1998
9. महीपाल : 'पंचायती राज की निर्णायक भूमिका', परिषद संदेश, भोपाल, अंक 13, वर्ष 12 पृष्ठ 15
10. शरण, श्रीवल्लभ : 'पंचायतों में महिलाएं : जरूरत है सक्रिय भूमिका की', कुरुक्षेत्र, अप्रैल 1998
11. दत्ता, चंदन : 'पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका', कुरुक्षेत्र अप्रैल, 1998
12. कुकरेजा, सुंदरलाल : 'पंचायती राज : महिलाओं को राजनीतिक शक्ति' कुरुक्षेत्र, जुलाई 1998

ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक परिवेश की वर्तमान स्थिति

डा. दिनेश मणि

शिक्षा किसी भी समाज की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोगों के रहन–सहन, आचार–व्यवहार, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक उन्नति बहुत सीमा तक शिक्षा पर ही निर्भर करती है। भारत गांवों का देश है जहां लगभग तीन–चौथाई निवासी रहते हैं। वे प्रायः कृषि या कृषि आधारित धन्धों में लगे हैं। अनुमानतः देश की लगभग 68 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है। जब भी हम गांवों से संबंधित किसी समस्या पर विचार करते हैं तो उसका सीधा सम्बन्ध गांव के किसान से होता है। गांवों में शिक्षा की

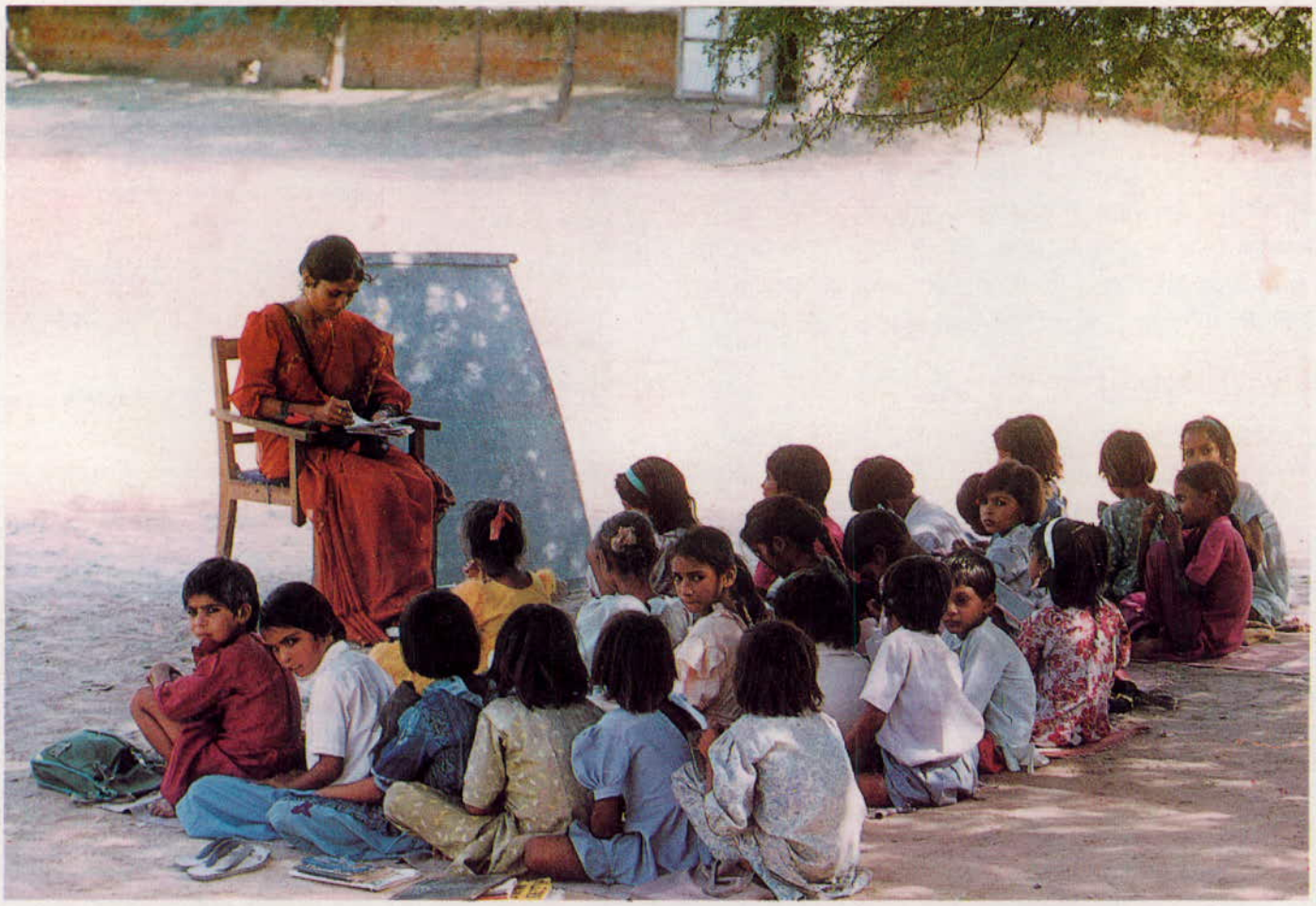

लोगों की शिक्षा के प्रति उदासीनता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में कम उपस्थिति

समस्या और उसके समाधान का सवाल भी किसानों के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है।

सच कहा जाए तो गांवों में दी जाने वाली शिक्षा देश के ग्रामीण जीवन और आवश्यकताओं से पूर्णतः असम्बद्ध है। देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 40 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है पर इस कृषि– प्रधान देश में कृषि की शिक्षा प्राप्त करने वाले मात्र 0.2 प्रतिशत हैं और पशुओं की चिकित्सा जानने वाले 0.6 प्रतिशत हैं। भारत के 68 प्रतिशत की तुलना में संयुक्त राज्य अमरीका की केवल 6 प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी है परन्तु वहां कृषि–शिक्षा प्राप्त करने वाले 21 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार रूस में भी 15 प्रतिशत लोग कृषि विषयों का अध्ययन करते हैं।

क्या हम भारतीय इन्हीं 0.2 प्रतिशत कृषि की शिक्षा प्राप्त करने वालों के सहारे 'हरित क्रांति' और निरन्तर उत्पादन वृद्धि के सपने संजोए बैठे हैं? गांवों में शिक्षा के इस पहलू को ध्यान में रखते हुए कृषि शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता महसूस होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में कृषि विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। उच्च शिक्षा में भी ये छात्र कृषि विषयों का अध्ययन नहीं कर पाते। अगली शताब्दी में कृषि कार्यों में लगे लोगों की संख्या में कमी आने की आशंका है, अतः यंत्रीकृत वैज्ञानिक कृषि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के स्तर पर कृषि शिक्षा को वरीयता देनी होगी और अधिकाधिक माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी।

स्वतंत्रता के पश्चात से अब तक हमारे देश ने बहुत प्रगति की है। कृषि और औद्योगिक उत्पादन सभी में वृद्धि हुई है, परन्तु आंकड़ों पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि सिर्फ उन्हीं राज्यों ने अधिक प्रगति की है जहां पर शिक्षा, विशेष रूप से, कृषि शिक्षा पर जोर दिया गया है। इस संदर्भ में केरल, पंजाब और हरियाणा के नाम सामने आते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम गांवों में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था कर सकें तो राष्ट्रीय प्रगति में तेजी आएगी।

गांवों में शैक्षिक प्रसार और स्तर में सबसे बड़ी बाधा वहां व्याप्त गरीबी है। देश का ग्रामीण अपने बालक को महंगी उच्च शिक्षा दिला नहीं सकता तथा केवल स्कूली शिक्षा प्राप्त उसका बालक न तो नौकरी ही पा सकता है और न शारीरिक श्रम ही कर पाता है। अतः वह अपने बच्चों को स्कूल न भेजकर खेतों में काम करने के लिए भेजना बेहतर समझता है। गांव के विद्यालयों में शिक्षा की एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है, उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का अभाव। इसके कई कारण हैं। ग्रामीण अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजकर निश्चिन्त हो जाते हैं। वे इस बात की चिन्ता नहीं करते कि उस विद्यालय में पढ़ाई होती भी है या नहीं अथवा उनका बालक स्कूल में रहता भी है या नहीं। साथ ही इन विद्यालयों में अधिकांश शिक्षक स्थानीय होते हैं। अतः पढ़ाने के बजाय वे अपने घरेलू हितों को प्राथमिकता देते हैं। परिणाम यह होता है कि घर तथा स्कूल दोनों जगहों के बन्धन से मुक्त ये छात्र उच्छृखल एवं अनुशासनहीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में न तो छात्र पढ़ना चाहते हैं न शिक्षक पढ़ाना। परिणामस्वरूप शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता चला जाता है। इस विषम स्थिति से उबरने के लिए अभिभावकों में जागरूकता तो जरूरी है ही, स्थानीय शिक्षकों का अन्यत्र स्थानान्तरण भी अपरिहार्य है।

वस्तुतः शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों का किताबी ज्ञान नहीं है अपितु वे सारी बातें शिक्षा के अर्न्तगत ही हैं जिनका अनुभव हमें हर रोज अपने सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश में होता है। शिक्षा क्या है – इस बारे में एक अंग्रेजी उक्ति अत्यन्त ही सटीक है उसमें कहा गया है कि स्कूल में पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाने के बाद भी जो शेष रह जाए वही शिक्षा है।

हमारे देश में अब तक चली आ रही शिक्षा प्रणाली के दुष्प्रभावों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए गांधी जी ने बहुत पहले ही कहा था कि ऊंची शिक्षा हमें अपने ही देश में विदेशी बना देती है क्योंकि 'शिक्षित' हो जाने के बाद जनता को हम पहचानते ही नहीं। जनता हमें 'सभ्य' समझकर अलग कर देती है और 'हम' आम लोगों को जंगली समझकर नीची निगाह से देखते हैं। वस्तुतः यह शिक्षा किसान के बेटों को बाबू बनाती है तथा किसानी तथा शारीरिक श्रम को हेय दृष्टि से देखना सिखाती है। परन्तु क्या वास्तविक शिक्षा का लक्ष्य यही है? स्पष्टतः नहीं। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास है। अतः विद्यालयों में शिक्षा का उद्देश्य युवकों में स्वतंत्र चिन्तन तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना होना चाहिए। साथ ही बच्चों में ज्ञान की ज्योति जलाए रखने की दायित्व–भावना का भी विकास होना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बच्चों के एक समूह से कहा था – 'याद रखो कि स्कूल में जितनी आश्चर्यजनक बातें तुम सीखते हो, वह विश्व के प्रत्येक देश की अनेक पीढ़ियों के अनन्त श्रम तथा निरंतर प्रयास के बाद प्राप्त हुई हैं, और यह सारी विरासत तुम्हें इसीलिए सौंपी जा रही है कि तुम इसे सम्मान और आदर के साथ ग्रहण करो, इसका विकास करो और फिर एक दिन इसे अगली पीढ़ी को समर्पित कर दो। प्यारे बच्चो, जो निर्माण हम सब मिलकर करते हैं, स्थायी महत्व की उन चीजों के जरिये ही हम नश्वर लोग अमरता हासिल करते हैं। ❑

कुरूक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
ईस्ट ब्लाक–4 लेवल–7
आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

लोगों की आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम

अपना गांव अपना काम योजना

निरंतर विकास से समुदाय की क्षमता और स्वावलंबन में वृद्धि होती है, परन्तु यह तभी संभव है जब विकास कार्यों का चयन जनसमुदायों की आवश्यकताओं के अनुसार हो तथा विकास कार्य में जनता और सरकार की भागीदारी हो। यह भी आवश्यक है कि विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जहां तक संभव हो, स्थानीय जनता द्वारा हो। कई स्थानों पर स्थानीय समुदायों, सामाजिक संगठनों आदि द्वारा धनराशि एकत्रित कर शाला भवन और औषधालय भवन आदि निर्मित कराए जाते हैं। इससे न केवल सामाजिक स्वावलंबन सुदृढ़ होता है, अपितु कार्यों में गुणवत्ता भी बढ़ती है।

ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक परिसम्पतियों का निर्माण होता है। राज्य के दूर–दराज के गांवों/ढाणियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़े जाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने *अपना गांव अपना काम* योजना का क्रियान्वयन एक जनवरी 1991 से प्रारंभ किया।

योजना का मूलमंत्र

राज्य सरकार गांवों और गरीबों के विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील है। सरकार का प्रयास है कि गांवों का समग्र विकास हो तथा विकास कार्यों में जनसहभागिता हो। अतः गांव का धन, गांव के द्वारा गांव के विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराना ही इस योजना का मूलमंत्र है।

योजना का उद्देश्य

- गांव के विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण।
- सामुदायिक परिसम्पत्तियों के रख–रखाव में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन।
- स्थानीय लोगों में स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन।
- अल्परोजगार और बेरोजगार परिवारों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन,
- गांववासियों के जीवन–स्तर में सुधार।

योजना की मुख्य विशेषताएं

1. राज्य सरकार द्वारा यह शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना है।
2. योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों का चयन स्थानीय समुदाय अथवा दानदाता द्वारा किया जाता है।
3. योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्य की कुल लागत की 30 प्रतिशत (न्यूनतम) राशि जन सहयोग, स्थानीय समुदाय अथवा दानदाता द्वारा दी जाती है तथा शेष 70 प्रतिशत (अधिकतम्) राशि में से 20 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत (अधिकतम) राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जनजाति क्षेत्र में 20 प्रतिशत जन सहयोग प्राप्त किए जाने का प्रावधान है।
4. जन सहयोग की राशि सामग्री के रूप में भी दी जा सकती है।
5. कार्यों का सम्पादन ग्राम पंचायत तथा कार्यकारी विभागों के माध्यम से कराया जाता है।
6. योजना के तहत अप्रवासी भारतीयों को उनके जिले में विनियोग करने हेतु विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है।

योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्य

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय के लाभ और उपयोगिता वाले सार्वजनिक/सरकारी स्वामित्व के निम्नलिखित निर्माण कार्यों को इस योजना के अधीन कराया जा सकता है।

- सार्वजनिक उपयोग के भवन और उनकी चहारदीवारी जैसे–राजकीय विद्यालय भवन, सामुदायिक केन्द्र, आंगनबाड़ी आदि।
- शाला भवन, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, पशु चिकित्सा भवन अथवा स्वास्थ्य केन्द्र भवन की मरम्मत।
- शमशान, कब्रिस्तान आदि की चहारदीवारी और सुविधाएं।

- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अनुमोदित पेयजल योजना का कार्य।
- गांव की आबादी की सीमा में सड़क–खड़ंजा और नालियां।
- सड़क नीति के अनुसार गांव को मुख्य संपर्क सड़क से जोड़ने के लिए डब्ल्यू. बी.एम./ग्रेवल रोड़ मय पुलिया (बशर्ते सार्वजनिक निर्माण विभाग या मंडी समिति की योजना के अन्तर्गत मंडी बोर्ड द्वारा उसका डामरीकरण हेतु लिखित सहमति दे दी गई हो)।
- जवाहर रोजगार योजना (अब जवाहर ग्राम समृद्धि योजना) और सुनिश्चित रोजगार योजना की मार्गदर्शिकाओं के अंर्तगत स्वीकृत हो सकने वाले कार्य।
- पर्यटन स्थल पर आधारभूत सुविधाएं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल।
- ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे–छोटे तालाबों/जोहड़ों/डिग्गियों और अन्य पारम्परिक जलस्रोतों का निर्माण कार्य तथा उनको गहरा करना।
- सामुदायिक जलोत्थान योजनान्तर्गत पक्की नालियों का कार्य।
- बड़े और छोटे मरम्मत कार्य।

कार्य का वित्त पोषण

1. प्रस्तावित कार्य का वित्त पोषण निम्नानुसार होता है:
   (क) जन सहयोग राशि – न्यूनतम 30 प्रतिशत
   (ख) अपना–गांव अपना–काम योजना मद–अधिकतम 50 प्रतिशत
   (ग) अन्य योजना मद – अंतर राशि – 20 प्रतिशत
2. जनजाति उपयोजना क्षेत्र की पंचायतों, या ऐसे गांव जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या गांव की कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक हो या ऐसे गांव जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक हो वहां जन–सहयोग कार्य लागत का न्यूनतम 20 प्रतिशत अपेक्षित होता है।
3. जन–सहयोग की राशि स्थानीय समुदाय/सामाजिक संगठन/गैर सरकारी संगठन/पंचायती राज संस्था/व्यक्तिगत दानदाता द्वारा दी जाती है।
4. जिस योजना के मद से अंतर राशि ली जाती है, कार्य उस योजना की मार्गदर्शिका के अंतर्गत करना आवश्यक होता है।
5. जिन कार्यों के लिए जवाहर रोजगार योजना (अब जवाहर समृद्धि योजना)/सुनिश्चित रोजगार योजना के मद से अंतर राशि ली जाती है, उसमें इन योजनाओं से व्यय होने वाली राशि का न्यूनतम 60 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया जाता है।

कार्यों की स्वीकृति के लिए शर्तें

1. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अपना गांव अपनी योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों के लिए पंजीकरण रजिस्टर रखा जाता है, जिसमें इस योजना के अंतर्गत जन–सहयोग के आधार पर निर्माण कार्य के प्रस्ताव पंजीकृत किए जाते हैं।
2. बजट की उपलब्धि और कार्य की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के उपरांत ग्रामीण कार्य निर्देशिका 1997 के अंतर्गत कार्य–स्वीकृति की प्रक्रिया के अनुसार अभिकरण द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है।
3. यदि कार्यकारी संस्था द्वारा जन–सहयोग सामग्री/मूल्यांकित निर्माण कार्य के रूप में दिए जाने का विकल्प दिया जाता है तो तकनीकी स्वीकृति जारी होने के तत्काल बाद कार्यकारी संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ किया जा सकता है।

कार्यों का क्रियान्वयन

सामान्यतः कार्य का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। परंतु यदि जनसहयोग जिस पंजीकृत ट्रस्ट/संस्था/समिति द्वारा दिया जाता है और ऐसी समिति स्वयं कार्य निष्पादन कराने का विकल्प रखती है तो ऐसी संस्था/ट्रस्ट/समिति द्वारा कार्य का क्रियान्वयन कराया जा सकता है। बड़ी लागत के कार्य किसी सरकारी विभाग/संस्था द्वारा कराए जा सकते हैं।

यदि पंचायती राज संस्था कार्य में रुचि नहीं रखती है तो ग्रामीण कार्य निर्देशिका 1997 के अनुच्छेद 2.2 (2) के अनुसार तदर्थ व्यवस्था की जा सकती है।

लक्ष्य एवं उपलब्धियां

अपना गांव अपना काम योजना के अंतर्गत आठवीं योजना 1992–97 के दौरान 42.13 करोड़ रुपये का जन–सहयोग प्राप्त कर 117.37 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। वर्ष 1996–97 में इस योजना का कुल प्रावधान 13 करोड़ रूपये का रखा गया था।

नवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (1997–98) में राज्य आयोजना मद में कुल 1,400 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया जिसके मुकाबले 1,700.98 लाख रुपये का व्यय किया गया। इस योजनांतर्गत कुल 3,435 लाख रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनमें 1,159 लाख रुपये का जनसहयोग प्राप्त हुआ। इस वर्ष 2,588 कार्य पूर्ण कराए गए।

वर्ष 1998–99 में योजनांतर्गत 2,160 लाख रुपये के संशोधित प्रावधान के मुकाबले माह जनवरी 99 तक 1,683.40 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

वर्ष 1999–2000 में योजनांतर्गत राज्य योजना मद में 1,600 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। ❑

पंचायती राज : अधिकार और कर्त्तव्य

देवेन्द्र उपाध्याय

स्वतंत्रता के बाद से ही पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास शुरू हो गए थे। ये प्रयास भारत के ग्रामीण पुनर्निर्माण और विकास के क्षेत्र में जनता की भागीदारी को सुनिशिचत करने की दिशा में महत्वपूर्ण थे। इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था को आम आदमी के हित के साथ जोड़ा गया। अनेक समितियां गठित की गईं और उनकी सिफारिषों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक कदम उठाए गए।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई और इसके साथ ही पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में आई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पंचायतों के साथ सहकारी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी पर भी बल दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्तूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। तब उन्होंने इसे 'नए भारत के संदर्भ में अति क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम' की संज्ञा दी थी।

देश के विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों में विभिन्न कानूनों के अधीन पंचायती राज संस्थाएं गठित की गईं। अलग–अलग राज्यों में पंचायत राज संस्थाओं के अलग–अलग नाम रखे गए। उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों में भी एकरूपता नहीं थी। कुछ राज्यों में कर लगाने का जिला पंचायतों को अधिकार था लेकिन 18 राज्यों में ऐसा कोई अधिकार ही नहीं था।

समय पर चुनाव न कराने, मनमाने ढंग से पंचायतों को भंग करने, कमजोर वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने, वित्तीय संसाधनों का अपर्याप्त आवंटन और अन्य अनेक समस्याओं ने पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर किया। इन तमाम समस्याओं का गहराई से विवेचन हुआ और पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं में एकरूपता लाने की दिशा में प्रयास होने लगे।

इन सभी दोषों को दूर करने को एक व्यापक पंचायती राज संबंधी संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसे 73वां संविधान संशोधन विधेयक कहा जाता है। संसद द्वारा इसे पारित करने के बाद राष्ट्रपति ने 24 अप्रैल 1993 को इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी।

निचले स्तर से ही अगर जनता की भागीदारी नहीं होती है तो इससे विकास की गति में पिछड़ापन आता है। अभी तक योजनाएं ऊपर से बन कर आती थीं, या यों कहा जा सकता है कि योजनाएं ऊपर से थोपी जाती थीं। योजना बनाने वाले यह नहीं देख पाते थे कि जिनके लिए योजना बनाई जा रही है उनके लिए वह उपयोगी है भी या नहीं। ऐसी योजना कामयाब भी हो सकती है या नहीं। यह आम शिकायत थी कि ग्रामीण योजनाओं के लिए जो राशि स्वीकृत होती है वह गांवों तक पूरी नहीं पहुंच पाती। 73वें संविधान संशोधन विधेयक में ऐसी तमाम समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया। जनता की सक्रिय भागीदारी के बिना योजनाएं कामयाब नहीं हो सकती हैं, यह पिछले अनुभवों ने बता दिया था।

73वें संविधान संशोधन विधेयक ने महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों को ग्राम सरकार में साझीदारी के अवसर खोल दिए। महिलाओं को पहली बार 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिला। इससे पर्दे के पीछे रहकर परिवार का कुशल संचालन करने वाली महिलाओं को गांव के विकास के लिए कुछ करने का मौका मिला।

इस नई व्यवस्था से पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष सुनिशिचत कर दिया गया है। अगर पंचायत अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर दी जाती है तो छः महीने के भीतर उसका चुनाव कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया। तीन स्तर पर पंचायती राज प्रणाली पूरे देश में लागू हो गई है जिनमें ग्राम पंचायत, खंड या क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत है। लेकिन जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है वहां खंड पंचायत स्तर की अनिवार्यता नहीं रखी गई। सभी स्तरों पर पंचायत के सभी स्थान, प्रत्यक्ष चुनाव से भरे जाने की व्यवस्था की गई है। यह जनता की सीधी भागीदारी है जो लोकतंत्र को मजबूत करती है।

पंचायतों को संविधान संशोधन के बाद व्यापक अधिकार मिल गए हैं। इसमें कृषि और कृषि विस्तार, भूमि सुधार और भू–संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल–आच्छादन विकास, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, मात्स्यिकी, सामाजिक वनोद्योग, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योग, खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग, पेयजल, ईंधन और चारा, ग्रामीण विद्युतीकरण, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, बाजार और मेले, सार्वजनिक वितरण प्रणाली समेत 29 विषयों को शामिल किया गया है। इन्हें संविधान की दसवीं अनुसूची के बाद ग्यारवीं अनुसूची में जोड़ा गया है। यह सब पंचायतों के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं।

पंचायतों को अब व्यापक अधिकार मिल चुके हैं। इन अधिकारों के माध्यम से वे अपने गांव, खंड और जिला स्तर के विकास को गति दे सकती हैं। अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए वे कुछ मदों पर कर भी लगा सकती हैं। यह पंचायतों का कर्त्तव्य है कि उन्हें जो अधिकार मिले हैं उनका सही ढंग से उपयोग हो। ग्रामीण विकास के लिए किन–किन योजनाओं को प्राथमिकता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए यह देखना पंचायतों की जिम्मेदारी है। ग्रामीण विकास के लिए केंद्र और राज्यों से पंचायतों को जो धनराशि मिलती है उसका दुरुपयोग न हो यह पंचायतों का कर्त्तव्य है।

अगर पंचायतें अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग करने का अपना कर्त्तव्य निभाएं तो इससे ग्रामीण विकास की गति और तेज होगी। अगर अपने कर्त्तव्य का पंचायतों ने सही तरीके से निर्वाह नहीं किया तो गांवों का पिछड़ापन दूर नहीं हो पाएगा। ❑

लघुकथा

एहसास

वीरेन्द्र कुमार भारद्वाज

घर जाने के लिए अभय अपने बूढ़े बाबा के साथ पटना से बस में चढ़ा। बस की सभी सीटें भरी थीं। बूढ़े बाबा की याचक निगाहें हर एक को घूरने लगीं। पर किसी ने उससे आंखें मिलाने की नेकी न की। अभय को क्रोध आ गया, पर अपने व्यवहार को याद कर खुद पर शर्मिन्दा हुआ। उसने भी तो कई बस यात्राएं की हैं, पर कहां उसने कभी अपनी बगल में खड़े किसी बूढ़े अथवा महिला को बैठने को अपनी सीट दी है। उसे एहसास हो आया कि व्यक्ति को खुद दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए तभी अपेक्षा भी करनी चाहिए।

अभय ने प्रण किया कि वह स्वस्थ रहते बड़े–बुजुर्गों की हरसंभव मदद करेगा।

निरक्षरता से मुक्ति के लिए

व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत

जगदीश मालवीय

मानव–जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। किसी भी देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक विकास शिक्षा पर ही निर्भर करता है। यह हमारा दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि देश के सबसे बड़े राज्य मध्यप्रदेश में 1991 की जनगणना के अनुसार सिर्फ 43.50 फीसदी लोग ही साक्षर हैं। ऐसे में जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का समुचित लाभ जरूरतमंदों को नहीं मिल पाता है।

राज्य के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजयसिंह ने प्रदेश के नागरिकों को निरक्षरता से मुक्ति दिलाने के लिए एक अभिनव पहल प्रारंभ की है। प्रदेश के 15 से 50 वर्ष तक की आयु के सभी निरक्षरों को साक्षर करने हेतु एक व्यापक जन आंदोलन *पढ़ना–बढ़ना आंदोलन* शुरू किया गया है। साक्षरता के इस महायज्ञ में नीमच जिला भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है। जून 2000 तक इस जिले में सभी को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

नीमच जिले में *पढ़ना–बढ़ना आंदोलन* के क्रियान्वयन की व्यापक मुहिम 28 जुलाई 99 से प्रारंभ कर दी गई। प्रथम चरण में जिले के शिक्षा गारंटी योजना वाली बसाहटों में इस आंदोलन की शुरूआत की गई। जिले में 155 शिक्षा गारंटी स्कूल वाली बसाहटों में 208 पढ़ना–बढ़ना समितियां गठित कर 5,434 निरक्षरों को साक्षर करने का कार्य किया जा रहा है। आंदोलन के दूसरे चरण में 15 दिसम्बर से संपूर्ण जिले में नियमित साक्षरता कक्षाओं के संचालन हेतु जिला कलेक्टर श्री प्रभात पराशर के मार्गदर्शन में व्यापक रणनीति तैयार की गई है। जिले में कुल 1,231 पढ़ना–बढ़ना समितियां बनाई गई हैं। प्रत्येक समिति के लिए एक–एक गुरुजी मनोनीत किया गया है। इन समितियों में जिले के 15 से 50 वर्ष तक की आयु के कुल 33,933 निरक्षरों को दर्ज किया गया है। इनमें 24,264 महिलाएं और 9,669 पुरूष हैं।

जिले में *पढ़ना–बढ़ना आंदोलन* के सफल क्रियान्वयन तथा इसे जन–आंदोलन का रूप देने के लिए जिले के सभी ग्रामों और वार्डों में ग्राम प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। यह ग्राम प्रभारी उस ग्राम विशेष के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा उस ग्राम में निवास करने वाले अन्य शासकीय विभागों के कर्मचारी हैं। इन ग्राम प्रभारियों के कार्यों की मानिटरिंग के लिए ग्राम समूह प्रभारियों तथा जोनल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। इस आंदोलन में जन प्रतिनिधियों और समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए जिले के सभी 735 ग्रामों में ग्राम शिक्षा सभाओं का आयोजन किया गया तथा सभी गांवों में पढ़ना–बढ़ना जन जागरण रैलियां निकाली जा चुकी हैं।

जिले में *पढ़ना–बढ़ना आंदोलन* की रणनीति में जन–जन को अवगत कराने और लोगों को अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु जिले में पढ़ना–बढ़ना संकल्प रथ यात्रा की अभिनव शुरुआत की गई है। *प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के मुख्य अतिथ्य में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा पिछले दिनों कुकड़ेश्वर में हरी झण्डी दिखाकर इस संकल्प*

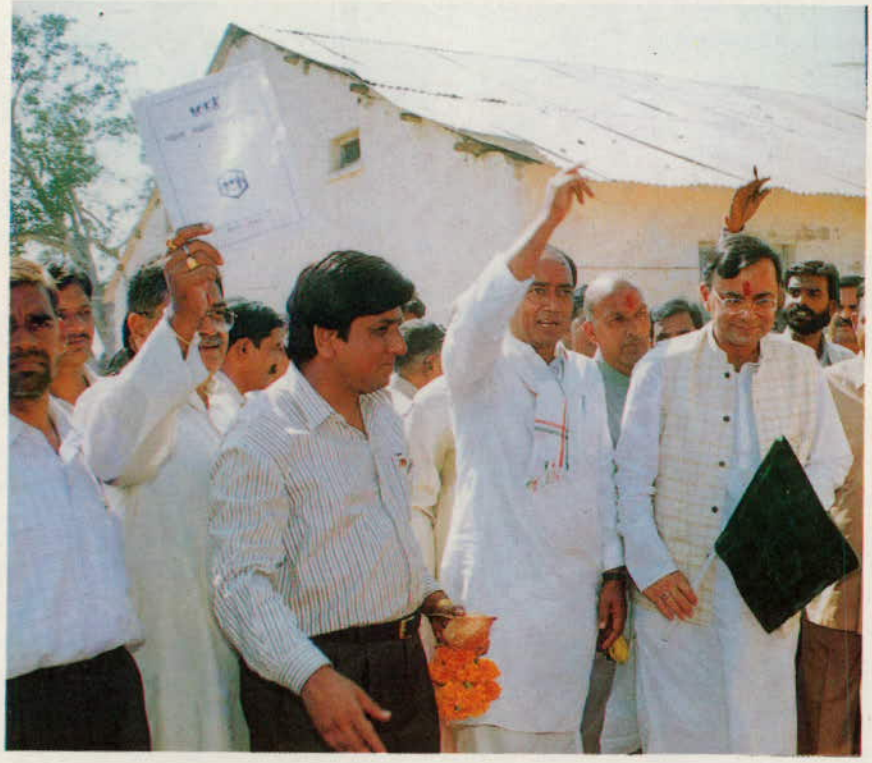

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के साथ पढ़ना–बढ़ना संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए

रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह संकल्प रथ यात्रा जिले के गांव–गांव का भ्रमण कर *पढ़ना–बढ़ना आंदोलन* का संदेश पहुंचा रही है। यह यात्रा 15 दिसम्बर 99 तक जिले के गावों का भ्रमण कर लोगों का अभियान से जुड़ने हेतु प्रेरित करती रही।

इस *पढ़ना–बढ़ना आंदोलन* के तहत शासन द्वारा दिसम्बर 2000 तक सभी को साक्षर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

इस तरह नीमच जिले में *पढ़ना–बढ़ना आंदोलन* के तहत निरक्षरता से मुक्ति के लिए एक व्यापक जन–आंदोलन की शुरुआत हो गई है। इस आंदोलन में समाज का हर वर्ग अपनी भागीदारी कर रहा है। समाज को निरक्षरता से मुक्ति दिलाने के इस महायज्ञ में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी से किए जा रहे संयुक्त प्रयास यदि जारी रहे तो वह दिन दूर नहीं जब राज्य में एक भी व्यक्ति निरक्षर नहीं होगा। ❑

कुरुक्षेत्र की विज्ञापन दरें

	सामान्य दर		चार विज्ञापनों की अनुबंध दर		विशेषांक की दरें	
	रंगीन	श्वेत/श्याम	रंगीन	श्वेत/श्याम	रंगीन	श्वेत/श्याम
पूरा पृष्ठ	8000	4000	25600	12800	12000	6000
आधा पृष्ठ	5000	2500	16000	8000	7000	4000
पिछला आवरण पृष्ठ	13000	7000	41600	22400	19000	10000
अन्दर का (तीसरा) आवरण पृष्ठ	11000	6000	35200	19200	16000	9000

पत्रिका के आकार संबंधी अन्य जानकारी

पूरा आकार : 21 से.मी. × 28 से.मी.

मुद्रित क्षेत्र : 17 से.मी. × 24 से.मी.

मुद्रण प्रणाली : आफसेट प्रेस

स्वीकार्य विज्ञापन सामग्री : केवल आर्टवर्क/आर्टपुल/पोजिटिव

विज्ञापन स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 60 दिन पहले

पता जिस पर विज्ञापन भेजा जाए :
विज्ञापन एवं प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
ईस्ट ब्लाक 4, लेवल 7,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली 110066
टेलीफोन : 6105590 (कार्यालय)
6116185 (निवास)
फैक्स : 6175516, 6193012

डिमांड ड्राफ्ट निदेशक, प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय हो

हम विज्ञापन एजेंसियों को 15 प्रतिशत कमीशन देते हैं।

किसी पत्रिका के दो भाषाओं के संस्करणों के एक ही अंक के लिए विज्ञापन जारी करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

अंकुरित अनाज : आहार भी औषधि भी

डा. विजय कुमार उपाध्याय

भारत में अंकुरित अनाजों को आहार के रूप में ग्रहण करने का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। हमारे देश के पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इनके सेवन से अनेक प्रकार के लाभ बताए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग नाश्ते में अंकुरित चना, मटर, मूंग, गेहूं, इत्यादि अनाजों का बड़े चाव से सेवन किया करते हैं।

हाल में चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों से पता चला है कि अंकुरित अनाजों के नियमित सेवन से कब्ज दूर रहती है, शरीर की रोग–प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि होती है, शरीर का वजन नियंत्रित रहता है तथा जवानी लंबे समय तक बरकरार रहती है। इन शोधों से पता चला है कि जिन अनाजों को हम सामान्य तौर पर आहार के रूप में ग्रहण करते हैं उनमें कुछ पोषक तत्व अघुलनशील अवस्था में मौजूद रहते हैं। जब हम इन अनाजों को बिना अंकुरित किए दाल, रोटी या अन्य तरीके से ग्रहण करते हैं तो ये अघुलनशील पोषक तत्व हमारे शरीर की पाचन प्रणाली द्वारा उपयोग में नहीं लाए जाते तथा हम इन पोषक तत्वों से मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं। परंतु जब हम इन अनाजों को अंकुरित कर लेते हैं तो अंकुरण के लिए आवश्यक घटक (जैसे – ताप, आक्सीजन, जल इत्यादि) इन अनाजों में अनेक प्रकार के जैव–रासायनिक परिवर्तन पैदा कर देते हैं। इन जैव–रासायनिक परिवर्तनों में प्रमुख हैं एंजाइम संबंधी परिवर्तन तथा विटामिनों और खनिजों की मात्रा में वृद्धि।

अनाजों के अंकुर हमारे शरीर के लिए उपयोगी सभी खनिजों तथा विटामिनों से ही युक्त नहीं होते, अपितु पानी में फूलने तथा अंकुरण के

दौरान ये खनिज महत्वपूर्ण परिवर्तनों के दौर से गुजरते हैं। ये परिवर्तित यौगिक जल में घुलनशील होते हैं जिन्हें हमारे शरीर की पाचन–प्रणाली अच्छी तरह ग्रहण कर लेती है।

अंकुरण के बाद अनाजों में पोषक तत्वों का परिमाण काफी अधिक बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ – सूखे मूंग की तुलना में अंकुरित मूंग में प्रोटीन 30 प्रतिशत, कैल्शियम 34 प्रतिशत, पोटेशियम 80 प्रतिशत, लोहा 40 प्रतिशत, फास्फोरस 56 प्रतिशत तथा सोडियम लगभग 69 प्रतिशत अधिक पाया जाता है। अंकुरण के कारण विटामिनों के परिमाण में भी आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ – मूंग के अंकुरण के फलस्वरूप विटामिन ए का परिमाण तिगुना, विटामिन बी–1 का परिमाण दुगुना, विटामिन बी–2 का परिमाण पांच गुना तथा विटामिन सी का परिमाण छः गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार विटामिन डी तथा ई का परिमाण भी काफी अधिक बढ़ जाता है।

उपर्युक्त पोषक तत्वों में वृद्धि के विपरीत कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जिनका परिमाण अंकुरित अनाजों में घट जाता है। उदाहरण के तौर पर अंकुरित मूंग में सूखे मूंग की अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट 9 प्रतिशत कम रहता है। अंकुरित अनाजों में कार्बोहाइड्रेट का परिमाण घटने का कारण यह है कि इसके अनेक अणु अंकुरण के दौरान विघटित हो जाते हैं तथा ये विघटित अंश वायुमंडलीय नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया कर अमीनों अम्ल का निर्माण करते हैं। इन अमीनों अम्लों के अणुओं से निर्मित प्रोटीन सरल संरचना वाला तथा अधिक सुपाच्य होता है। अंकुरण के दौरान एक और काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। इस दौरान अनाज में उपस्थित मंड (स्टार्च) एंजाइम क्रिया के कारण ग्लूकोज तथा सुक्रोज में बदल जाता है। ग्लूकोज तथा सुक्रोज हमारे शरीर में बहुत आसानी से पच जाता है। इस प्रकार अंकुरित अनाज वैसे लोगों के लिए भी काफी अनुकूल आहार माना जाता है जिनकी पाचन प्रणाली दुर्बल है।

अनाजों के अंकुरण के दौरान इनमें मौजूद जटिल संरचना वाला प्रोटीन विघटित होकर अमीनों अम्ल तथा एमाइड में बदल जाता है। सरल संरचना वाले ये दोनों यौगिक शरीर में होने वाली क्षय क्रिया तथा बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने की गति को धीमी कर देते हैं। अंकुरण के दौरान अनाजों में उपस्थित चर्बी या वसा एंजाइम क्रिया के कारण लाभदायक फैट्टी एसिड में परिवर्तित हो जाता है।

वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से जानकारी मिली है कि सूखे अनाजों को विभिन्न रूपों में सेवन किए जाने की अपेक्षा अंकुरित अनाजों का सेवन बहुत अधिक लाभदायक है। शोधों से प्राप्त निष्कर्ष बताते हैं कि अंकुरित अनाज वस्तुतः एक संतुलित तथा पूर्ण आहार है। इनमें मानव शरीर के लिए आवश्यक तथा उपयोगी सभी प्रकार के अमीनो अम्ल तथा अनेक महत्वपूर्ण एंजाइम पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये एंजाइम शरीर में भोजन को पचाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि शरीर में एंजाइम समुचित परिमाण में नहीं पहुंचे तो आहार का पाचन ठीक ढंग से नहीं होता है तथा इसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं। अंकुरित अनाजों के नियमित सेवन से स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है, साथ ही साथ बढ़ती आयु के कारण शरीर में पैदा होने वाले अनेक दोषों (जैसे – बाल पकना या झड़ना, चमड़े पर झुर्रियां पड़ना, आंखों तथा श्रवण तंत्र की कमजोरी इत्यादि) पर भी नियंत्रण होता है।

भारत के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डा. कुलरंजन मुखर्जी ने अपनी पुस्तक "पुराने रोगों की गृह चिकित्सा" में अंकुरित अनाजों के सेवन को रक्ताल्पता (एनीमिया), दमा, बवासीर, हृदय रोग, उच्च रक्त चाप, जोड़ों के दर्द, चर्म रोग, धातुक्षीणता एवं नपुंसकता जैसे रोगों में काफी लाभदायक बताया है। अंकुरित अनाजों में रेशे की मात्रा अधिक होने के कारण इनका नियमित सेवन कोष्ठबद्धता से ग्रस्त लोगों के लिए काफी लाभदायक होता है। ❑

कृतघ्न

मैं झुलसा भीषण गर्मी में
थपेड़े सहे गर्म हवा के
आंधी–पानी से लिया लोहा–
तुम्हारे लिए

जहर पिया–
देने को प्राण वायु
खुद खड़ा रहा धूप में
तुम्हें छाया देने के लिए
खुद, भूखा–प्यासा रहकर भी–
फल दिए तुम्हें भरने को पेट,

बावजूद इसके–
तुमने दी मुझे उपेक्षा और संताप;
अपने स्वार्थ के लिए
अंत में
मृत्युदंड!

अखिलेश अंजुम

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं ग्रामीण विकास

डा. सी.एम. चौधरी*

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार भारत गांवों में बसता है। ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है क्योंकि तीन–चौथाई जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा राष्ट्रीय आय का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था से प्राप्त होता है। विगत दो दशकों से केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने हेतु अपने बजट का अधिक से अधिक हिस्सा आवंटित किया है। राज्य सरकारें भी ग्रामीण विकास पर पर्याप्त व्यय राशि आवंटित कर रही हैं। ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अनेक संस्थाओं का गठन किया गया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी. आर.डी.ए.)एक ऐसी ही संस्था है जिसके द्वारा जिला स्तरीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अर्न्तगत पंजीकृत संस्था है। इसका गठन लघु कृषक विकास अभिकरण (एस.एफ.डी.ए.) के नमूने पर किया गया है। 2 अक्तूबर 1980 को लघु कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मिला दिया गया तथा इसके क्रियान्वयन का दायित्व भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को सौंप दिया गया। अब सभी जिलों में ग्रामीण विकास अभिकरण गठित किए जा चुके हैं। इस अभिरकण के माध्यम से लघु और सीमान्त कृषक, भूमिहीन कृषक, मजदूर आदि कृषि, सिंचाई पशुपालन, स्वरोजगार तथा गैर–कृषि कार्यों के लिए ऋण तथा अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित होते हैं।

अभिकरण के उद्देश्य

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निम्नांकित उद्देश्य हैं :

- जिले में लघु तथा सीमान्त कृषकों की समस्याओं की पहचान करना।
- इन समस्याओं के समाधान हेतु विनियोग और उत्पादन संबंधी योजनाएं तैयार करना।
- जिले में निजी, अर्द्ध–सरकारी, स्वैच्छिक संगठनों तथा सरकारी विभागों के सहयोग से योजनाओं का क्रियान्वयन करवाना।
- जिले में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना।

संगठनात्मक ढांचा

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यों का संचालन एक संचालन निकाय (गवर्निंग बाडी) द्वारा किया जाता है। इसका संगठनात्मक ढ़ांचा इस प्रकार होता है :

1. जिलाधीश/जिला प्रमुख	अध्यक्ष
2. राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य
3. केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष/प्रतिनिधि	सदस्य
4. भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
5. जिला प्रमुख/प्रतिनिधि	सदस्य
6. क्षेत्रीय सांसद एवं विधायक	सदस्य
7. राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त गैर सरकारी प्रतिनिधि (महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य अन्य लोगों में से)	सदस्य
8. संयुक्त रजिस्टार सहकारी समिति	सदस्य
9. प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
10.जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
11.जिला पशुपालन अधिकारी	सदस्य
12.ग्रामीण बैंक अधिकारी	सदस्य
13.परियोजना निदेशक	सदस्य सचिव

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अध्यक्ष द्वारा 5–6 व्यक्तियों की एक छोटी समिति बनाई जाती है। इस समिति की बैठक प्रत्येक महीने होती है जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है।

* सह–प्राफेसर (रीडर) आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर (राजस्थान)

की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। इस बात की तो कोई सीमा नजर नहीं आती पर दूसरी बात की सीमा अवश्य है, वह सीमा है मनुष्य के भोजन को वनस्पति और पशुओं के रूप में पैदा करने वाली धरती की। पिछली शताब्दी में यूरोप में मनुष्य ने टैक्नोलौजी की प्रगति द्वारा धरती की प्रति एकड़ पैदावार तीन से चार गुनी तक बढ़ा ली है। पर इस बारे में मतभेद हैं कि यह प्रगति बनी रहेगी और निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति करती रहेगी। इस सम्बन्ध में केवल अन्दाज ही लगाया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि अन्ततोगत्वा हमें अपना भोजन उस हरी काई से प्राप्त करना पड़ेगा जो ठहरे हुए पानी पर जम जाती है। यह कोई सुनहला भविष्य नहीं है। यह बात बनी रहती है कि हमारे जैसे पुराने देशों में जनसंख्या अधिकतम उपलब्ध भूमि से कहीं बढ़ चुकी है। इसलिए स्पष्टतया दूसरा विकल्प केवल यही है कि भूमि से स्थायी रूप से अधिक पैदावार प्राप्त की जाए या नए खाने वालों की संख्या को रोका जाए या ये दोनों उपाय बरते जाएं।

लंबे अरसे की फसलें

धरती के मुख्य रूप से तीन उपयोग होते हैं–वन, चरागाह और खेती। भारत में धरती पर नगर और औद्योगिक बस्तियां बसाए जाते हैं तथा संचार और अन्य विभिन्न कार्यों के लिए भी उसका उपयोग होता है। जंगल से हमारा अभिप्राय उस इलाके से होता है जहां प्रकृतिजन्य वनस्पतियां हों और उन्हें मनुष्य ने नष्ट न किया हो। हमारी पहली वन–नीति में वनों के महत्व को स्वीकार किया गया था, परन्तु साथ ही यह भी कहा गया कि जब कृषि और वनों की मांग में प्रतिस्पर्धा हो तो कृषि–कार्यों को ही प्राथमिकता दी जाए। उस समय जंगल अधिक थे और जनसंख्या कम थी। उसके 50 वर्ष बाद आज से लगभग छः वर्ष पूर्व जो वन–नीति बनाई गई, उसमें इस समस्या पर दूसरी दृष्टि से विचार किया गया। अब राष्ट्रीय वन देश की प्रतिरक्षा के लिए इमारती लकड़ी और दूसरे वन जन्य पदार्थ उपलब्ध करेंगे। देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए वनों को अब बड़ी परिसम्पदा माना जाने लगा है और इनका विनाश करने पर रोक लगा दी गई है। इसी श्रेणी में बड़ी–बड़ी नदी–घाटी योजनाओं के 'कैचमेंट' क्षेत्रों में पड़ने वाले वन आते हैं जो इनकी नीचे से रक्षा करते हैं। स्थानीय वनों की एक दूसरी श्रेणी मुख्य रूप से स्थानीय खपत के लिए बनाई गई है। इसको सुव्यवस्थित रखने और इसका सुप्रबन्ध करने पर भी जोर दिया गया है। अब यह बात समझी जाने लगी है कि वनों का महत्व केवल इमारती लकड़ी आदि के कारण ही नहीं है। ऊंचे–ऊंचे वनों में पेड़ों के दो या तीन स्तरों पर बड़े–बड़े पत्ते होते हैं। जब यह जमीन पर गिरते हैं तो इन सूखे पत्तों की एक मोटी तह बन जाती है जो कि भारी वर्षा तथा ढलवां इलाकों के लिए बढ़िया आवरण का काम देते हैं। वर्षा का पानी पत्तों की मोटी परत और जमीन सोख लेती है जिससे वर्षा के वेग का जोर कम हो जाता है। जमीन में जो पानी जमा हो जाता है, उससे जंगलों से निकलने वाली नदियों को बारह मास पानी मिलता रहता है। इस तरह न केवल वनों के उत्पादन से लाभ होता है बल्कि नीचे के इलाकों को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। इसीलिए वन राष्ट्र के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं। वनों की सुरक्षा के लिए हमें दोतरफा कार्यवाही करनी चाहिए। जहां वन कट चुके हैं, वहां नए वन लगाने चाहिए और जहां विद्यमान हैं, वहां उन्हें नष्ट होने से बचाना चाहिए। यह संरक्षण इन रूपों में दिया जाए–उन्हें जरूरत से ज्यादा न काटा जाए, उन्हें जरूरत से ज्यादा न चरा जाए, और उन्हें जानबूझ कर आग लगा कर नष्ट न किया जाए। जंगलों का रख–रखाव मुख्य रूप से इन बातों पर निर्भर करता है – किस्म–किस्म की धरती में उसके अनुकूल पौधे लगाकर धरती का अधिकतम उपयोग किया जाए, जंगलों से प्रतिवर्ष उतना ही माल लिया जाए जिसकी पूर्ति धरती और जलवायु से एक वर्ष में हो सके और निरन्तर उनके विकास का प्रयत्न किया जाए। वन में लम्बे अरसे की फसलें होती हैं और वन–नीति में ही थोड़ी और लम्बी अवधि के संघर्ष स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं।

मवेशी और भोजन

मवेशी अपना भोजन प्राकृतिक चरागाहों तथा मनुष्य द्वारा पैदा किए घास और चारे से प्राप्त करते हैं। बीहड़ जंगलों में प्रकृति स्वयं शिकार का सन्तुलन करती है। प्रायः वहां भी मनुष्य की शिकारी प्रवृत्ति मांसाहारी तथा शाकाहारी जीवों तथा पेड़–पौधों का सन्तुलन बिगाड़ देती है। पर हमारे मवेशियों की संख्या बढ़ती जाती है और हमारे देश में उनके भोजन की समस्या निराशा की सीमा तक पहुंच रही है। हमारे देश में 20 करोड़ से भी अधिक मवेशी हैं। उनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन देश में है ही नहीं। भले ही हमारे देश में कितने भी चरागाह हों पर मवेशियों के लिए तो भोजन की व्यवस्था वहीं करनी पड़ेगी जहां वे विद्यमान हैं। इस समस्या पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, उतना अभी नहीं दिया गया और कई बार हम भावना में बह कर वास्तविकता को भूल जाते हैं। समस्या के हल केवल इस प्रकार के हो सकते हैं – मवेशियों की संख्या कम की जाए, बढ़िया पशु रखे जाएं तथा उन्हें बढ़िया भोजन कराया जाए। यदि चरागाहों के चारों ओर बाढ़ लगा दी जाए और वहां बदल–बदल कर चरा जाए, तो कई बार उनका उत्पादन दुगुना हो जाता है।

धरती और खेती

आजकल मनुष्य धरती का सब से महत्वपूर्ण उपयोग खेती के रूप में करता है। भारत में खेती की विशेषता यह है कि इसमें सब से कम पूंजी लगाई जाती है और उपज अनिश्चित होती है तथा कम होती है। यद्यपि हमारे उत्तम किसानों की पैदावार तो उतनी ही होती है जितने दुनिया के किसी भी अन्य किसान की। परन्तु हमारी प्रति एकड़ औसत उपज दुनिया में सब से कम होती है। इसके कई कारण हैं। जमीन के पीछे मनुष्यों का अनुपात बढ़ने से घटिया जमीनों पर खेती होने लगी। कई जमीनें तो ऐसी हैं जहां खेती हो ही नहीं सकती। केवल भोजन वाली फसलें पैदा करने से किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ गई है जिसके कारण न तो वे जमीन को खाली छोड़ सकते हैं, न उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं। इस समय समस्या यह है कि धरती को उसी काम के लिए प्रयुक्त किया जाए, जिसके वह उपयुक्त और सक्षम है, जमीन का उपजाऊपन

और नमी बढ़ाई जाए तथा उसमें से अधिकतम पैदावार स्थायी रूप से ली जाए।

इसमें कई सामाजिक बातें आ जाती हैं। मनुष्य और मनुष्य के धरती के साथ सम्बन्ध, खास कर खेती के बारे में एक जटिल समस्या हैं। टैक्स उगाहने वाले जमीन के मालिक और जमीन जोतने वाले के आपसी सम्बन्ध बड़े जटिल होते हैं और कई बार उनका उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। जागीरदारी आदि का उन्मूलन होना तो आवश्यक ही था पर इससे हमेशा उत्पादन बढ़ने में सहायता नहीं मिली। सामाजिक और आर्थिक न्याय से कई बार अधिकतम उत्पादन में बाधा पड़ी है। यह बात तो स्पष्ट है कि यदि खेती से हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरना चाहते हैं तो मनुष्य और मनुष्य के साथ धरती के सम्बन्ध की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए और उसे जल्दी ही लागू करना चाहिए। इसके बिना पैदावार में बढ़ोतरी की आशा नहीं की जा सकती।

भूमि का उपयोग

भूमि के इस प्रकार के उपयोग को, जिससे यह लम्बे अरसे तक अधिकतम पैदावार दे, आजकल गलती से भू–संरक्षण की समस्या कहा जाता है जो भूमि को क्षरण से बचाने का निषेधात्मक पहलू है। आबादी बढ़ने के साथ–साथ जनसंख्या बढ़ना जरूरी है, इसलिए भूमि का उपजाऊपन और नमी बढ़ाना भी जरूरी है। कुछ हद तक तो उपजाऊपन और नमी बनाए रखी जा सकती है, परन्तु प्रकृति की अपनी सीमाएं होती हैं। इसलिए उचित यही होगा कि धरती को उसी उपयोग में लाया जाए जिसके लिए वह सबसे अधिक उपयुक्त हो जैसे– वन, घास और खेती आदि। पर जब उपयोग बदल दिया गया तो खेती के सर्वोत्तम तरीके काम में लाने चाहिए। हमारे यहां वर्षा केवल विशेष ऋतु में होती है और इसलिए इंजीनियरी ढंग से या किसी और तरीके से हमें पानी जमा करना पड़ेगा। ढलवां जमीनों में ऊपर से नीचे की ओर जुताई करने की बजाय आड़ी–तिरछी खेती की जाए तो उससे ही काफ़ी अन्तर पड़ सकता है। पट्टियों में खेती करना तथा छोटे–मोटे बांध और खाइयां बनाना भी उपयोगी होता है। बड़े–बड़े बांधों द्वारा पानी इकट्ठा करना भी इसी योजना का एक भाग है। सब से बड़ी चीज़ यह है कि पानी को बहने से रोका जाए और जमीन के अन्दर या ऊपर उसको जमा किया जाए। हमारा उद्देश्य यह है कि पानी वेग से बहने की बजाय धीमे–धीमे बहे। हमारा सारा भोजन धरती से प्राप्त होता है और अन्य आवश्यकताएं भी धरती से पूरी होती हैं जैसे– खनिज आदि। हमें धरती कम पड़ रही है और दुरुपयोग कर के हम इस प्रक्रिया को और भी तेज बना रहे हैं। यदि हम धरती का दुरुपयोग करते रहे तो हम अपना सब से बड़ा सहारा खो देंगे और दुनिया को भूखों मरने की तारीख के नजदीक ला देंगे। ❑

(पृष्ठ 38 का शेष) **रासायनिक कीटनाशकों के परंपरागत जैविक विकल्प**

हो रहा है। आंध्र प्रदेश में इसकी खपत इस समय सर्वाधिक है। एक अध्ययन में पाया गया है कि यहां गांव से लेकर हैदराबाद के पंचतारा होटलों तक का पानी और भोजन इन कीटनाशकों से प्रदूषित है। यहां तक कि मां के दूध के 70 प्रतिशत नमूने तक प्रदूषित पाए गए। इसी तरह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में भी इन कीटनाशकों के भयावह परिणाम दिखाई पड़ने लगे हैं।

रासायनिक कीटनाशकों का उत्पादन करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा पश्चिमी सोच वाले वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा भ्रम फैला रखा है कि कीटनाशकों के बगैर पैदावार हो ही नहीं सकती। संकर किस्म के बीजों वाली खेती पर यह बात कुछ हद तक ठीक भी है लेकिन यदि परंपरागत बीजों का उपयोग किया जाए, खेत में पर्याप्त मात्रा में जीवांश उपलब्ध हो तथा प्राकृतिक जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाए तो उत्पादन किसी भी तरह कम नहीं होगा। सौभाग्य से देश के अनेक लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं जिनसे भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। डी.ए.वी. कालेज, कानपुर के जीव विज्ञानी डा. उमाकांत पाण्डेय एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने अब तक अपने देश में 40 ऐसी वनस्पतियों की सूची बनाई है जिनसे कारगर जैव कीटनाशक तैयार किए जा सकते हैं जैसे– शरीफे का बीज,कद्दू का बीज, केले का बीज, नीम, नागरमोथा, तंबाकू, आदि। डा. पाण्डेय के अनुसार भारत में जैव कीटनाशकों के निर्माण की असीम सम्भावनाएं हैं। आवश्यकता है इन पर शोध और प्रचार–प्रसार की। कानपुर स्थित सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिसिनल एण्ड एरोमेटिक प्लाण्ट (सीमैन) में 27 साल तक कीड़े–मकोड़ों पर शोध करने वाले डा. पाण्डेय ने रासायनिक कीटनाशकों के खिलाफ जेहाद छेड़ने के लिए पिछले दिनों 'इंडियन सोसायटी आफ बायो सांइस एण्ड एनवायरमेन्ट' नामक संस्थान की स्थापना की है। संस्थान में किसानों को प्राकृतिक कीटनाशक निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ❑

(पृष्ठ 40 का शेष) **भारत पधारें**

के प्रति अच्छी तस्वीर लेकर ही जाए। जो भी विदेशी पर्यटक भारत आए वह ऐसी धारणा मन में लेकर लौटे कि भारत में पर्यटन सस्ता, आरामदायक तथा आकर्षक है। इन सब के लिए एक ओर जहां पर्यटकों के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं जैसे कि बुनियादी सुविधाओं की कमी, असुरक्षा की भावना, अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति, गाइडों का असंतोषजनक व्यवहार, आतंकवादियों की गतिविधियों पर अंकुश, दलाली, कमरों की कमी, कमीशन आदि बुराइयों को दूर करना जरूरी है वहीं दूसरी ओर वर्तमान पर्यटन केंद्रों के साथ ही साथ नए केंद्रों का भी विकास किया जाना चाहिए। ❑

सरस मंडप में ग्रामीणों द्वारा तैयार सामान की अच्छी बिक्री

इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'सरस' नाम का एक अपना मंडप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हर वर्ष नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नवम्बर माह में आयोजित किया जाता हैं। भारत और विदेशों से लाखों लोग मेले को देखने आते हैं। सरस में ग्रामीण गरीबों द्वारा तैयार सामान बिक्री के लिए रखा गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीणों द्वारा तैयार सामान देश और विदेश के बाजारों में बिक्री की संभावनाओं का पता लगाने के लिए इस मंडप का आयोजन किया।

'सरस' में देश के 22 राज्यों के 450 जिलों से आए सामान को प्रदर्शित किया गया। इनमें खाद्य पदार्थ, संगमरमर, चमड़े, पटसन, कपड़े, बेंत, लकड़ी से बनी हस्तशिल्प की वस्तुएं थीं।

कुरुक्षेत्र के सम्पादक मण्डल के एक दल ने मण्डप का दौरा किया और देखा कि देश के दूर–दराज क्षेत्रों से आए ग्रमीणों में अपने सामान को प्रदर्शित करने का अभूतपूर्व उत्साह था। आन्ध्र–प्रदेश के गुंटूर जिले से आई युवती रानी को अपने स्वादिष्ट अचार की बिक्री से बेहद संतोष था। इसी राज्य के नलगौडा जिले का युवक भास्कर अपने हथकरघे के सामान की बिक्री से संतुष्ट था। राजस्थान के नियोटा गांव का दस्तकार भीम सिंह नीले रंग की कांच मिट्टी की वस्तुएं मेले में बिक्री के लिए लाया था। उसे अपने सामान के कई निर्यात आर्डर मिले।

मेले में मौजूद ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इस प्रदर्शनी से ग्रामीणों द्वारा तैयार वस्तुओं की बिक्री भविष्य में बहुत बढ़ेगी। तमिलनाडु से आए एक अधिकारी ने कहा कि इससे ग्रामीणों को और बढ़िया माल तैयार करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। उपभोक्ताओं को अपना सामान सीधा बेचने से ग्रामीणों को पता चला है कि उनके हुनर के कितने कद्रदान हैं।

जम्मू कश्मीर के एक अधिकारी ने कहा कि बिचौलियों के न होने के बावजूद बिक्री की बहुत सम्भावना दिखाई दी है और इससे ग्रामीण कारीगरों को निर्यातकों से सीधे सम्पर्क का मौका मिला है।

आर.एन. / 708 / 57
डाक–तार पंजीकरण संख्या :डी (डी एल) 12057 / 2000
आई.एस.एस.एन. 0971–8451
पूर्व भुगतान के बिना डी.पी.एस.ओ. दिल्ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)–55

R.N./708/57
P&T Regd. No. D (DL) 12057/20
ISSN 0971-8451
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at DPSO, Delhi-5

श्रीमती सुरिन्द्र कौर, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली–110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रकः अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू–30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया–II नई दिल्ली–20. सम्पादक : बलदेव सिंह मदान